

## दो शब्द

जनतंत्र तथा राष्ट्रीयता वह शक्तियाँ हैं जो एशिया के समस्त देशों के विचार तथा कार्यों को अत्यन्त प्रभावित करता है। वह पुराने विचार तथा संस्थाएं जो इनके विकास के मार्ग में वापक हैं विनष्ट होंगी और अन्त में इन नूतन शक्तियों की विजय होगी। हम जनतंत्र के अभ्यस्त नहीं हैं। हमारे यहाँ जागों का चारतम्य रहा है; हम जातसांत के भेदभाव को मानते आए हैं। इसी कारण हम अप्पृथक्ता को भी पनपने देते हैं, इन सब भेद-भावों को मिटा कर हमें जनतंत्र को नई परम्परा कायद करनी है। हमारी राष्ट्र भावना भी दुर्बंध है। देश को भौगोलिक सीमा के भीतर रहनेवाले सभी लोगों के साथ अपनी आत्मविता का अनुभव करना ही राष्ट्रीयता है। उपर्योग विविध सम्प्रदायों के बीच आचार विचार का साम्य बढ़ेगा और सब सम्प्रदाय समान रूप से खोकार करेंगे कि ऐसे कुछ पतोक, कुछ मूल्य और चहेश्य हैं जो सबको खोकह दें तथा २ राष्ट्रविता परिपक्ष होंगो।

हम भारतियों को इन दोनों दिशाओं में अभी अहुत कुछ करना है। लेइ के साथ कहना पड़वा है कि आज भी ऐसी संकुचित प्रवृत्तियाँ चल रही हैं जो हमको आगे घड़ने से रोकती हैं। इन सब प्रवृत्तियों का हमें विरोध करना है। इसके लिये जनता को शिक्षित करना हमारा कर्तव्य है।

इस टप्टि से प्रस्तुत पुस्तक का यहा महत्व है। इन विषयों पर और भी साहित्य निकलना चाहिये तथा जनवा को बताना चाहिये कि युग-धर्म को स्थीकार करके ही तथा उदार-मान का पोषण करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा हमारी उपर्युक्ति देखना हमको साजायगी।

इस पुस्तक के लेखक द्वा० जगदीश चन्द्र जैन अपने देश के प्राचीन इतिहास के अच्छे विद्वान हैं। लेखक महोदय ने यह दिखाने की चेष्टा की है कि सम्प्रदायवाद से हमारा कितना अनिष्ट सम्पादित हुआ है तथा इस की जड़े इतनी गहरी हैं कि यिना अथक प्रयत्न किये इसका अन्त नहीं हो सकता। आशा है इस पुस्तक का हिन्दू संसार में खगत होगा।

लखनऊ  
२ फरवरी १९५०

—नरेन्द्र देव

## अपनी बात

समाज ने छोटी विकास की दूसरी मंजिल पर कदम रखा। आदिभ समाजबादी व्यवस्था की साम्यता विनष्ट हो गई। समाज गुलामों और उनके मालिकों के रूप में बँट गया। दास-रखामी दासों पर नाना प्रकार के जुहम दाने लगे। दासों ने मालिकों के खिलाफ विद्रोह किया, किन्तु विजय साधन-सम्पन्न मालिकों की रही। रखामी धर्म ने विद्रोह को सदा के लिये दफना देने के लिये नाना प्रकार के अर्हों का निर्माण किया। किन्तु धर्म विद्रोह को दबाने में सेना तथा पुलिस की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ। सामाजिक विकास का सारा इतिहास इस बात का साक्षी है और तभी तो उस दिन जब चापू ने कोटि कोटि पीड़ित मानवता को अहिंसा प्रेम के वरदान से मुक्ति प्रदान किया। साम्प्रदायिकता के हिमायती गोडसे ने जनता-जनार्दन के पुजारी के भौतिक शरीर को नष्ट करने में ही धर्म और जाति का कल्याण देया।

कुछ लोगों ने इस महान घटना को पागलपन का नाम दे कर संहोष कर लिया।

किन्तु यदि आप इस विद्वान लेखक के खोज-पूर्ण मन्त्र का अध्ययन करेंगे तो आप पायेंगे, प्रत्येक युग में प्रतिगमी सुविधा-प्राप्त धर्म का कोटि कोटि पीड़ित मानवता पर ज़क्क लाए नृशंस प्रहार, धर्म और जाति के नाम पर।

ऐसी अवधि में यदि आप चाहते हैं ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें विषमता विनष्ट हो गई हो तथा मानव मानवी सम्मान पा रहा हो तो आप को जहाँ एक और आर्थिक क्रान्ति करनी है तो दूसरी ओर उन विचारों के लिलाफ जेहाद बोलना है जिनके द्वारा हमारे नवोदित राष्ट्र पर कलक का टीका लगा है, तथा जिसने जन-तंत्र को सदा के लिये स्वाहा कर देने को हिमाकर की है ।

यह ठीक है कि विचार परिस्थितियों में पैदा होते हैं किन्तु पैदा होते ही उनकी स्वतन्त्र सत्ता हो जाती है अतएव केवल परिस्थिति बदल देने मात्र से ही विचार नहीं बदलेंगे । जहरीले विचारों का विनाश स्वयं सुन्दर विचार ही कर सकते हैं ।

इसा पुनीत भावना से प्रेरित होकर ढाँ जगदीश चन्द्र जैन ने जो गांधी हत्या काण्ड के प्रमुख गवाह रहे हैं इस महत्व-पूर्ण प्रन्थ की रचना किया है । विद्वान पाठक विषय की महत्ता को समझ रख कर प्रन्थ का समादर करेंगे । मुझे इसकी पूर्ण आशा है ।

जागरण साहित्य मन्दिर  
कमच्छा, बनारस

रामायण राय

## प्रास्ताविक

३० जनधरी, १९४८ के दिन सदात्मा गांधी को, नृशंस हत्या की जाने पर लेखक का मन अत्यन्त झुच्प हो उठा। जो व्यक्ति राष्ट्र की आणादी के लिये कागमग २५ वर्ष सक रवाधीनता-संमान में जूम्हा रहा, और अन्त में स्वाधीनता प्राप्त करके ही जिसने दम लिया, उसकी इतनी निर्ममता से उसी के देशांतरियों द्वारा हत्या की गई। वर्गतुलः इसी चिन्तना की प्रेरणा के फल प्रस्तुप यह पुरस्क लिखी गई है।

महात्मा गांधी की हत्या के पश्चात् देश में जो घटनाएँ पटों और देश आंसियों को जो गहरा आपात पहुँचा, उससे स्पष्ट है कि भारत की जनता जाति और सम्प्रदायबाद में विश्वास स्थो चुकी है और वह प्रतिक्रियाबादियों के मार्ग पर चलने से इन्कार करती है। वह अब ऐसा समाज चाहती है जहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, जहाँ किसी जाति धर्म, सम्प्रदाय और वर्ग के भेदभाव रहित मनुष्य मात्र को मलुप्योचित अधिकार दिये जायं जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी मेहनत और योग्यता द्वारा समाज में समुचित स्थान प्राप्त कर सके।

सम्प्रदायबाद और जाति-पौंति की सबसे बड़ी पोषक है पूजीवादी और सामाजिक न्यवस्था जिसके बल पर स्वार्थान्ध लीण धर्म और सम्प्रदाय का नरस लेकर अपना शोषण लारी

रखते हैं। इस व्यवस्था के नाश होने पर ही हमारे देश से सम्प्रदायिकता और जाति-पांचि का भावना का उन्मूलन हो सकता है और तभी हम जनतंत्र को राह पर चलने वाले अपने देश के नौनिहालों को सम्प्रदायवादियों के निर्भय प्रहार से दबा कर सकते हैं।

जागरण साहित्य मन्दिर के सचिवालय के श्री रामायणराय तथा बी सतीशकुमार का मैं अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशन करने की उदारता प्रदर्शित की।

२८, शिवाजी पार्क  
सम्बई २८ } }

जगदीशचन्द्र जैन

## भूमिका

विद्यानवेशाओं ने मानव-समाज को आदिम, यर्दर और सभ्य इन तीन युगों में विभाजित किया है। विकास की प्राथमिक अवधा प्राचीन अवस्था में मनुष्य को प्रकृति के विरुद्ध अपने संघर्ष को बहुत कठिन परिस्थितियों में चलाना पड़ता था। यात यह थी कि पशु अवस्था से जम धीरे-धीरे मनुष्य यना, तो यह कभी अकेला नहीं रहा, थलिक भूर-प्यास से अपनी रक्षा करने के लिये, तथा आँधी, याद, ज़म्मली जानवर और पड़ोस में रहने वाले विरोधी कशीलों से अपने आपको घचाने के लिए यह सदा समूहों या कशीलों में घूमता रहा। सभ्यता के उस आदिम युग में मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं के लिए सामूहिक जीवन पर ही पूर्णतया अवलभित रहना पड़ता था तथा समाज अपने गिरोह के लोगों की दूर तरह से हिलाकृत करता था। उदाहरण के लिए, पक्षोरिद्धा के इतिहायनों में जन किसी का कोई भाई या लड़का मर जाता, तो घर के लोग तीन महीने तक खाने की तलाश में बाहर नहीं निरुलने थे।

ऐसी परिस्थिति में गिरोह के अन्य लोग उनके खाने पीने आदि की व्यवस्था करते थे। इसी प्रकार प्राचीन पारीलों में हत्या का भदला सामूहिक रूप से लिया जाता था और घदला लेने की भावना पीढ़ी-दर पीढ़ी तक चलती थी।

उस युग में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन वैयक्तिक न होकर सामूहिक था। जीविका का मुख्य साधन शिशार था। हथियार बेबल पत्थर के होते थे, इसलिए मिलकर ही शिकार खेलना सम्भव था। सभ लोग शिकार मारकर लाते और सब साथ बॉट-चूटकर खाते थे। ऐसी हालत में असमानता या छोटेन्हडे का प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि जो कुछ मिलता था, वह थोड़ा होता था और सावजनिक सम्पत्ति समझा जाता था।

जङ्गली जातियों में रिवाज था कि जब कोई आदमी भोजन करने वैठता, तो वह ज्ञोर-ज्ञोर से चिल्लाकर दूसरे साथियों को भोजन के लिए निमन्नित करता था। होटेएटाट्स जाति में ऐसा रिवाज था कि यदि किसी वे पास कोई चीज अधिक हो, तो वह अपने साथियों में बॉट देता था। उत्तर अमरीका के इण्डियन लोगों के रस्म रिवाजों का अध्ययन करने से पता लगता है कि निझी सम्पत्ति के सूचक 'मेरा' और 'तेरा' शब्दों का प्रयोग भी वे लोग नहीं जानते थे। ईसा के पूर्व दूसरी शताब्दि में आविभूत होनेवाले और फिलाम्तीन के यहूदियों में सर्वोच्चम समझे जाने वाले एसेन्स पथ के लोग घन सम्पत्ति को घृणा की दृष्टि से देखते और सम्प्रदाय में दीक्षित होते समय अपनी सम्पत्ति दूसरों के नाम फर देते थे। आदिम जातियों में ऐसी प्रथा थी कि जो अपना वैयक्तिक दो-चार साधारण चीजें होती थीं, वे मृतक के साथ ही दफना दी जाती थीं।

उस ज़मानेमें ज़मीन, हवा-पानी की सरह विना मोल की समझी जाती थी और उस पर ग़ाथ का सामूहिक अधिकार रहता था। यहुत सी जगह घरागाह की ज़मीन का सामूहिक स्वामित्व तो अभी तक गाँवों में कायम है। इसी प्रकार सिक्खों के शासन-काल तक—१६ वीं सदी के पूर्वार्ध में—पंजाब के बहुत से हिस्सों में ज़मीन पर सामूहिक अधिकार था।

आगे चलकर मृतक की साधारण सम्पत्ति आपस में वाँटी जाने लगी। यूनान और रोम की जातियों में यह रिवाज प्रचलित था। उसके बाद, एथेनियन लोगोंमें, जो आदमी अपनी सम्पत्तिका बसीयतनामा नहीं करता था, उसी की सम्पत्ति वाँटी जाने लगी। आदिम जातियों में किसी जीव-जन्मुया घृण-लता आदि द्वारा आत्म-परिचय देने का रिवाज था। उदाहरण के लिए, ड्कोट्स और मिसौरी आदि जातियाँ गरुड़, चीता, नाग, कछुआ, हरिण, भैंस, मछली, नमक, दीर्घ केश, सूर्य, बरफ, रक्त, घर्षा आदि चिह्नों द्वारा अपना परिचय देती थीं। आयोंकी पूर्ववर्ती अनेक जातियों में यह रिवाज प्रचलित था। इससे भी पता लगता है कि आदिम साम्यवाद के युग में व्यक्ति की अपेक्षा समाज का ही प्रधानता थी तथा व्यक्ति अपने आप को सब से अभिन्न समझता था। तब तक समाज में न यग पैदा हुए थे, न सम्पत्ति का मेरान्तेरापन था।

सच पूछा जाय तो न्यूनता अर्थात् आचरणक वस्तुओं की कमी के ऊपर आधारित उस युग के समाज का आचार बहुत सीधा सादा था। व्यक्तिगत सम्पत्ति न होने से उस समय न खोरी थी, न मिथ्या-भाषण, न बहाँ कोई पुलिस थी, न अदाकार; न कोई अमीर था, न शरीब—सब लोग बराबर थे और अपनी जीविका के लिए सख्त मेहनत करते थे। कबीले अपने-

भगवाँ का स्वयं निषटारा करते थे तथा सांधिक जीवन के विरोधी सभी घाम दुराचार समझे जाते थे।

जैन-धर्म की शान्तावलि में यह 'भोगभूमि' का जीवन था, जब सब लोग देवों के समान स्वच्छन्द जीवन व्यतीत करते थे। जैन-धर्म के अनुसार 'भोगभूमि' में स्त्री और पुरुष के युगल पैदा होते थे और वे पूर्ण यौवन को प्राप्त होकर परस्पर विवाह कर लेते थे। इस प्रकार का सगोत्र विवाह आदिम जातियों में होता था। रक्षुद्धि को सुरक्षित रखने के लिये मिथ्र के राजवंशों द्वाया विहार की शाक्य-जाति में यह प्रथा 'प्रचलित थी। मिथ्र का कविता में भाई-बहन का अर्थ ही प्रेमी-प्रेमिका होता है। इससे भी उक्त वात का समर्थन होता है। वौद्ध सम्प्रदाय में भी राम और सीता को भाई-बहन माना गया है।

आदिम काल में यूथ-विवाह का चलन था, अर्थात् समान वय का कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री का पति हो सकता था, और समान वय की कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष की पत्नी हो सकता थी, और एक की जो सतान होती थी, वह सबकी सतान मानी जाती थी।

ध्यान देने की वात है कि सान्यवाद (आदिम) का युग होते हुए भी यह आदर्शवाद अथवा स्वर्ण-युग नहीं कहा जा सकता। वास्तव में यह युग जगली और वर्वरता का युग था, जब मनुष्य कदराओं में रहता था, मछलियाँ पकड़ता था और शिकार से पेट भरता था। धीरे-धीरे उसने लकड़ी और पत्थर के हथियारों की जगह तीर-कमान और भाले का आविष्कार किया और लकड़ी तथा पत्थर के टुकड़ों को घिस कर आग को ढूँढ़ निकाला। उसने बोलना सीखा। फिर वह

अपने काम के वर्तन-भाँडे बनाने लगा, बकरी-गाय आदि घरेलू पशुओं को पालने लगा तथा उनके मास और दूध से निर्बाह करने लगा। परिणाम यह हुआ कि थम-शक्ति की अधिक आवश्यकता होने लगी, और कृषीलों के जो लोग दिन-भर बेकार धूमते रहते थे, उनके दैनिक काम की मात्रा बढ़ गई।

उसके बाद मनुष्य ने क्रमशः जमीन को जोतना-बोना शुरू किया और अपनी कुलहाड़ी से जङ्गलों को काट-काटफर खेतों में परिवर्तित कर दिया। अब मनुष्य इतना सभ्य हो गया था कि वह धूजों पर या कन्दराओं में रहने के बजाय धूप में तपी ईटों और पत्थरों के मकान बनाकर रहता था।

इन सब बातों का मनुष्य के सामाजिक रहन-सहन पर बहुत प्रभाव पड़ा तथा जमीन के जोतने वोने से वर्तन, बौजार, जामीन आदि के साथ कुछ कुदम्बों का घनिष्ठ संवंध कायम हो गया। इससे किसी परिवार को अधिक मात्रा में पशु, खेत आदि मिले और किसी को कम मात्रा में। यह था समाज में वैयक्तिक सम्पत्तिका शीगणेश।

वैयक्तिक सम्पत्ति के आरंभ होने से आदिम युग से साम्य-बाद का जो रूप चला आ रहा था, उसकी जगह पिरुसत्ता कायम हो गई। उत्पादन के साधन व्यक्ति के हाथ में आने से लोभ, असंतोष और आन्तरिक कलह का उदय हुआ और बहुत से कायदे-कानून बन गए, जिससे समाज में विप्रमता फैलने लगी। इससे कृषीलों में स्वार्थपरता और प्रतियोगिता की मात्रा बढ़ी और उनमें परस्पर लड़ाइयाँ होने लगीं।

अब तक जब कभी कृषीलों में युद्ध होता था, तो वे एक-

दूसरे की हत्या कर कवीलों का सर्वनाश ही कर देते थे उस समय मनुष्य नर-भक्ति का था। यहाँ तक कि आवश्यकता पड़ने पर वह अपने सगे-सम्बन्धियों और मित्रों तक को हजार कर जाता था। अनेक लड़ली जातियों में तो अपने भुदों को बेचने का रिवाज था। अस्तु, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, खेती-वासी का आविष्कार होने से मनुष्य की उत्पादन-शक्ति बढ़ गई थी, अर्थात् अब उसमें इतनी शक्ति आ गई थी कि वह अपनी आवश्यकता से अधिक पैदा कर सके। अतः खेती के लिये गुलामों को रखना आर्थिक हृष्टि से लाभदायक था। इसलिये लड़ाई में पकड़े हुए शत्रुओं को या लोगों को खरीदकर उसने गुलाम बनाया और उनसे खेती कराना शुरू किया। कहा जाता है कि मिश्र मैरेमेसेस गुरुतीय के राज्य काल में तथा यूनान में लायों गुलाम खेतों में काम करते थे। एथेन्स में इतने गुलाम थे कि वहाँ के प्रत्येक स्वाधीन पुरुष के हिस्से में अठारह गुलाम आते थे !

इस प्रकार प्राचीन सान्यवाद नष्ट होने पर मनुष्य निजी सम्पत्ति का स्वामी बना और सम्पूर्ण समाज की सामूहिक दरिद्रता ने एक बर्ग की वैयक्तिक दरिद्रता का रूप धारण कर लिया। इससे संघ की एकवंशिकता नष्ट हो गई। दास-प्रथा का सूत्रपात होने से समाज का पहला घड़ा ओणी-विभाजन शुरू हुआ, यानी समाज मालिक और गुलाम—शोपक और शोषित—बर्गों में बँट गया। नतीजा यह हुआ कि मकान, जमीन या पशु के समान गुलाम भी अपने स्वामी की सम्पत्ति समझा जाने लगा और उत्पादन के साधन तथा उत्पादन-कर्चाँ दोनों मालिक के हाथ में आ गए।

प्राचीन रोम में गुलाम को 'योलता हुआ औजार' कहा जाता था और यह अपने स्वामी की रथावर सम्पत्ति समझा

जाता था। जैन-शास्त्रों में खेत, भकान, धन, धान्य, सीना, चाँदी और पशु के साथ दास-दासी की गणना की गई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता लगता है कि दास-दासी खरोदे जाते थे, गिरवी रखे जाते थे और धन पाने पर मुक्त कर दिये जाते थे। कर्ज़ या राज-दण्ड न चुका सकने के कारण भी दास बना लिये जाते थे। यूनान और भारत आदि देशों में यह आम रिवाज था।

कुछ शताब्दियों बीतने पर गुलामी-प्रथा जायज मान ली गई। यूनानी विद्वान अरस्तू ने उसे स्वाभाविक और अनिवार्य बताकर तथा सेण्ट पाल ने उसे ईश्वरीय व्यवस्था मानकर उसका समर्थन किया। यहूदी लोगों में गुलामों के लिये कानून था कि सातवें वर्ष उन्हें श्रण से मुक्त करके छोड़ दिया जाय। बाद में यह समय चाप्चास वर्ष कर दिया गया। मालूम नहीं, फिर भी इस कानून का पालन हो सका या नहीं।

इस प्रकार वर्ग-भेद के साथ वैयक्तिक सम्पत्ति में धृद्धि हुई, और उत्पादन के साधन क्षतिप्रय लोगों के हाथों में आ जाने से जनसत्ता की जगह एक व्यक्ति—पितर—का नेतृत्व कायम होकर वर्ग-शासन के साथ राज-शासन की नींव पड़ी। शासक उच्च वर्ग के ही होते थे। शासकों का काम था उच्च वर्ग के लोगों की जायदाद की दिक्काज्जत करना, आक्रमणकारियों से लड़ाइयाँ लड़ना तथा प्रजा में शान्ति और व्यवस्था कायम रखना। लेकिन राज्य का शासन गुलामों के मालिक करते थे, और गुलामों को आमतौर से समाज का सम्मान भी नहीं माना

जाता था। उनको नागरिक अधिकार नहीं प्राप्त थे। गुलामों की ज़िन्दगी बहुत सरती थी, इसलिये शासक-वर्ग उनकी हालत को असहा बना देता था। गुलाम परेशान होकर अपने मालिकों के विरुद्ध विद्रोह करते, लेकिन वहीं निर्भमता के साथ उसे दवा दिया जाता था। और इसी को शक्ति और व्यवस्था कायम रखना कहा जाता था।

इटली, सिसिली आदि देशों में गुलामों द्वारा विद्रोह किए जाने के उल्लेख मिलते हैं। मिश्र में एक बार गुलामों ने मिलकर बहाँ के किसी प्रान्तपर ही बहुत समय तक कञ्जा किए रखा—यद्यपि मिश्र के प्राचीन लेखों में इसका कोई चिह्न नहीं मिलता। रोम में जब गुलाम बूढ़े हो जाते और काम करने के लायक न रहते थे, तो उन्हें सस्ते दामों में बेच दिया जाता था। वे कहीं भाग न जायें, इस ढर से उन्हें तपते हुए लोहे से दाराकर उनके शरीर पर निशान कर दिया जाता था। यदि फिर भी कोई भाग जाता था, तो उसे सूली की सज्जा दी जाती थी।

धास्तव में दास प्रथा का इतिहास शोपकों और शोपियों के भीषण रक्षपात का इतिहास है। देसा जाय तो नये शासक-वर्ग के पास अपने अनुयायियों को प्रलोभन देने के लिये अनेक भौतिक साधन मौजूद थे। इधर सब शासकों में एक प्रकार का समझौता-सा हो गया था कि किसी शासक को ऐसा काम नहीं करना चाहिये, जिससे इस प्रथा को किसी तरह का आधार पहुँचे। इस बात पर सर लोग पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता छोड़कर एकत्र होने के लिये तैयार भी थे।

आगे चलकर उत्पादन साधन तथा शिल्प को पूरी तरह अपने हाथ में लेने के लिये देवी देवता, धर्म और कायदे कानून बनाकर राज्य शासन की नींव टूट की गई। इस राइल

की दस ईश्वरीय आङ्गाएँ तथा यूनान और रोम के धार्मिक कानून इसी समय बने। महाभारत में कहा है कि जब सर्वत्र अराजकता फैल गई, तो देवताओं ने विष्णु भगवान के पास जाकर प्रार्थना की। उस समय विष्णु ने पृथु को सर्वप्रथम राजा नियुक्त किया। ब्राह्मणों और देवताओं ने राजा से निवेदन किया—“हे महाराज, आप विधिपूर्वक रागद्वेष द्वोड्कर समाव से पृथ्वी पर शासन करें तथा प्रतिज्ञा करें कि आप ब्राह्मणों को दण्ड न देंगे और प्रजा की वर्णसकरता से रक्षा करेंगे।” इसलिये शास्त्रों में राजा को विष्णु का अश कहा गया है।

मिश्र, बाबुल, ईरान, चीन और जापान में राजा को देवता का रूप माना जाता था। बाबुल में तो राजकर भी ईश्वर के नाम से इकट्ठा किया जाता था। धर्म-सम्बन्ध और राज्य की एकता प्रदर्शित करने के लिए राजा पुरोहित के समान वस्त्र पहनता था। हस्तुरवी (२१२४—२०८० ई० पू०) का कहना था कि उसे ईश्वर की ओर से इलहाम मिलता है।

उस ज्ञाने में राजा लोग माल-असधाव, रूपयाखेसा, शुलाम आदि से मन्दिरों का कोप भरते और मन्दिरों के नाम बड़ी बड़ी जुमीन जायदाद लिख रखते थे। यही कारण है कि उस समय राजभक्ति के ऊपर पोथे-वे-पोथे लिखे गए और राजा के विरुद्ध कोई कार्य करने को पाप घोषित किया गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा है—“राजा का पद इन्द्र का पद है। वही प्रत्यक्ष रूप से लोगों को दण्ड और पुरस्कार आदि देता है। जो लोग उसकी अवज्ञा करते हैं, वन्हें स्थयं दैव की ओर से भी दण्ड मिलता है। अतः राजाओं का कभी अपमान नहीं करना चाहिये।” प्राचीन बैन सूत्रों में राज्य-विरुद्ध गमन करने को घोरी कहा गया है।

इस प्रकार शान्ति कालमें धर्म गुरुओं की शान्ति-व्यवस्था और राजमहिला के उपरेक्षा से तथा युद्ध काल में वलवार के चल से शासनकर्त्ताओं ने अपने राज्य को अनुरण बनाया।

दास युग के बाद आया अर्द्धगुलामी का या सामन्तवादी युग। दास-व्यवस्था के क्रूर शोपण और कष्टों की भट्टी में दासों की अवस्था गिरती गई और उनकी उत्पादन शक्ति कम होती गई। उनकी कार्य कुशलता और पहले की हमता नष्ट हो गई। कालान्तर में दाम स्वामियों को दासों को रखना मँहगा पड़ने लगा। दास जितना पैदा करते, उससे उनका अपना ही निर्वाह न होता। ऐसी दशा में स्वामियों की क्या मिलता? दासप्रया आर्थिक दृष्टि से लाभहीन ही नहीं, हानिकारक हो गई। वब स्वामियों ने उन्हें पूर्ण गुलामी से मुक्त करके अर्द्ध-गुलाम बना दिया—उन्हें जमीन से बांध दिया गया। वहां महाने सख्त मशक्कत करके वे जो-कुछ पैदा करते, उसका अधिकाश जमीन का स्थामी अर्थात् सामन्त हडप लेगा, केवल एक छोटा-सा अश अर्द्ध-दासों के जीवन-न्यापन के लिए छोड़ देता। अर्द्ध-दासों को जमीन छोड़कर भागने की इजाजत नहीं थी। इससे मालिक या सामन्त अपने दासों के अरण-पोपण की जिम्मेदारी से मुक्त हो गए और उल्टे घर चैठ अर्द्ध-दासों की कमाई पर गुलबर्दे उड़ाने लगे। इस युग में उत्पादन साधन पर सामन्तों का अधिकार था, उत्पादन कर्त्ताओं पर नहीं। वे लोग पहले की वरह गुलामों की खरीद चेच सकते थे, केवल भारने का अधिकार अब उन्हें न था। अध्यान देने की वात है कि ११ बीं सदी में फ्रास में एक घोड़े की फीमत १०० सू (एक फ्रासीसी सिक्का) थी, जब कि एक अर्द्धगुलाम किसान ३८ सू में मिल सकता था।

आगे चलकर सामन्तों ने अपनी आवश्यकताओं और अपने शोपण को बढ़ाया, जिससे अर्द्ध-गुलामों से वसूल की जाने वाली पैदावार की मात्रा और बढ़ गई। पूरी मात्रा न देने पर अर्द्ध-गुलामों के कष्ट और बढ़ जाते।

उदाहरण के लिए, एथेन्स में एटिका के खेतों पर नोटिस चिपके रहते थे कि कौन-सा खेत कितने रुपयों में बन्धक रखा हुआ है। जिन खेतों पर नोटिस नहीं रहते थे, वे खेत रुपया चुकता न कर सकते के कारण किसान के हाथ से निकल कर मालिक द्वारा अधिकृत माने जाते थे। यदि किसान को इन खेतों में काशत करने की छूट मिल जाती, तो वह अपना अहोभाग्य समझता था। यद्यपि इस हालत में उसे अपनी पैदावार का  $\frac{1}{2}$  हिस्सा अपने मालिक को लगान में देकर सिफ़े बाकी बची पैदावार से अपनी आजीविका चलानी पड़ती थी। इतना ही नहीं, यदि मालिक के शूण के मुकाबले में किसान के खेत की कीमत कम होती थी, तो उसे अपने चाल-बच्चों को बेचकर उसका कर्ज़ चुकाना पड़ता था !

जातक-ग्रन्थों में राजा के कर उगाहनेवालों को भूखे दाकुओं के समान घताया गया है, जो किसानों की मेहनत की कमाई को छीनकर ले जाते थे। उनके ढर से सारी व किसान अपने बाल-बच्चों को लेकर जङ्गल में निकल जाते और वहाँ जङ्गली पशुओं के समान धूमते-फिरते थे। मनु महाराज ने पैदावार के छठे हिस्से को जायज़ कर घताया है। आगे चल कर यह कर एक-तिहाई हो गया। धादशाह अकबर के राज्य-काल में किसानों से ३॥ करोड़ रुपये वार्षिक कर लिया जाता था। ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के शासन-काल में पैदावार का आधा हिस्सा वसूल किया जाने लगा।

इस प्रकार अर्द्ध-गुलामी की प्रथा में किसानों की घनेक पीढ़ियों द्वारा जोती और तैयार की हुई जमीन पर जमीदार का पूरा इक रहने लगा और किसान एक प्रकार से उसकी सम्पत्ति का भंग बन गए। इस युग में जर्मनी, फ्रांस, इंग्लॉस्टान, रूस आदि देशों में किसानों के विद्रोह हुए, जिनको दमन करने के लिए जमीदारों और उनकी सरकारों ने बड़ी निर्दयता से काम लिया।

गुलामों और अर्द्ध-गुलामों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के आधार पर व्यापार पनपा, वस्तुओं का विनियम द्वारा लगा, ऐशो-इशरत की चीज़ें बनने लगीं, बाजारों का जन्म हुआ, विशेष वस्तुओं को बनाने के लिए छोटे-छोटे कारखाने खुले और पूँजीवाद का युग आया। ज्यो-ज्यों विनियम का विकास बढ़ा, विदेशी व्यापार की उन्नति हुई, उत्पादक और खरोदार के बीच के एक नये व्यापारी-वर्ग का जन्म हुआ, मुद्रा (रुपये-पैसे) का महत्व बढ़ा सथा नये-नये साधनों के आविष्कार से उत्पादन-शक्ति में और वृद्धि हुई। खेतों से भाग-भाग कर लोग कारखानों में आए और श्रमजीवी बने। श्रमजीवियों का शोपण अधिकाधिक बढ़ता गया।

पूँजीवादी व्यवस्था में उत्पादन-साधन पूँजीपति के हाथ में रहते हैं, कक्षे इतना ही है कि वह उत्पादन-कर्त्ताओं को पहले की तरह बेच नहीं सकता। इधर उत्पादन-कर्त्ताओं के हाथ में उत्पादन-साधन न होने के कारण वे अपना श्रम बेच पूँजीपतियों द्वारा शोषित होकर ही ज़िनदा रहते हैं। इसका फल यह होता है कि उत्पादन के तरीके वैज्ञानिक होने से माल के उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि होती है। लेकिन समाज की सारी सम्पत्ति कुछ लोगों के हाथ में केन्द्रित हो जाने से

जनता गरोब होने लगती है, और वह माल खरीदने में असमर्थ हो जाती है। माल बाजारों में पड़ा-पड़ा सड़ने लगता है, बाजार में मन्दी आ जाती है, पूँजीपतियों का मुनाफ़ा घटने लगता है और समाज में बहु-उत्पादन का आर्थिक संकट छा जाता है। इस संकट से बचने के लिए बड़े-बड़े पूँजीपति माल को नष्ट कर देते हैं और उत्पादन-शक्तियों पर प्रहार करते हैं, जिससे समाज में उथल-पुथल मच जाती है और उसे फिर बदलना आवश्यक हो जाता है।

इस युग में व्यापारी-वर्ग का महत्व बहुत बढ़ जाता है। वह अर्द्ध-गुलामों के स्वामी जमीदारों के लिये ऐशो-आराम की चीज़ें मुहूर्या करता और उनसे मनमाना मुनाफ़ा कमाता है। इस प्रकार जमीदार जो पैसा अर्द्ध-गुलामों से बसूल करते हैं, उसका एक हिस्सा अनायास ही व्यापारी की जेव में पहुँच जाता है।

व्यापार के विकास के साथ-साथ सूदखोरी की उन्नति होती है। बड़े-बड़े राजा-महाराजा और जमीदार बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ लड़ने और अपने ऐशो-आराम का सर्व पूरा करने के लिए व्यापारियों से कर्ज़ लेते हैं, जिससे राजकुल में उनका सम्मान बढ़ने लगता है और राजा के सामने उनका कोई मुकदमा पेश होने पर फैसला उनके पक्ष में दिया जाता है।

धीरे-धीरे जमीन भी खरीदी और चंधक रखी जाने लगती है, और वह भी धैश्य के द्वारा में पहुँच जाती है। रुपये का मालिक हो जाने पर वह अब अपने सुद के कारखाने स्थोल देता है और उनमें कारीगरों को नौकर रखकर उनसे काम लेता है। अब वह चाहे जब बाजार-भाव गिराकर स्वतन्त्र रूप से काम करने चाले कारीगरों से नाक रगड़वा सकता है। ईस्ट इण्डिया

कम्पनी के मालिकों ने हिन्दुस्तान के कारीगरों के अँगूठे कटवा कर इसी स्वार्थमय धृणित मनोवृत्ति का परिचय दिया था।

इस प्रकार महाजनी पूँजी सामन्तवादी समाज में मजबूती से अपना पंजा लगाकर उस समाज की नीव को जर्जित कर उसे खत्म कर देती है। फल यह होता है कि व्यापारियों और जमीदारों के अत्यधिक शोपण से किसान दरिद्र होकर भूखों भरने लगता है और जमीदारों की धेलियाँ भरना उसके लिए असमव हो जाता है।

इस समाज का दूसरा शोपक प्राणी पुरोहित वर्ग है, जो अपनी बुद्धि के चमत्कार से जनता की बुद्धि कुखिठतकर शासक वर्ग के हाथों को मजबूत करता है। दरअसल जब शासक वर्ग बुद्धिजीवी पुरोहितों का प्रभाव घटता हुआ देखता है, तो वह अपने शोपण को निविरोध तथा धर्मानुमोदित तौर पर जारी रखने के लिए उन्हें नाना प्रकार के प्रलोभन देकर अपने वश में रखने की कोशिश करता है।

उदाहरण के लिए, मिश्र में रेमेसस वृत्तीय के राज्य में पुरोहित लोग १ लाख ३० हजार (मिश्र की एक तिहाई जनसंख्या, गुलामों के ७ लाख ७५ हजार एवं जमीन के और ५ लाख पशुओं के मालिक थे। वे लोग मिश्र और सीरिया के १६९ नगरों से कर वसूल करते थे, और उनकी जमीन-जायदाद से किसी प्रकार का फर नहीं लिया जाता था। इसके अलावा राजा उन्हें ३२ हजार किलोप्राम सोना, १० लाख किलोप्राम चाँदी और प्रति वर्ष १ लाख ८५ हजार योरे अनाज भेट देता था। लेकिन जब मजदूरों की मजदूरी देने पर समय आता, तो वह टकान्सा जवाब दे देता कि राजकीय में द्रव्य नहीं है।

इसी प्रकार बाबुल में पुरोहित लोग घन-कुबेर थे । वे लोगों को कर्ज़ पर रुपया देते थे । और देश के व्यापार की बागडोर उनके हाथ में थी । सैकड़ों उनके नौकर-चाकर रहते थे, जो नाचने-गाने से लेकर शराब खींचने तकका काम करते थे । भारतक-ग्रन्थों से पता लगता है कि यज्ञ-याग आदि में भारत के पुरोहितों को भरपूर दान-दक्षिणाएँ मिलती थीं । राजा उन्हें गौच, हजार-हजार गाँँ, घोड़े, रथ, दास-दासी, सोना और स्त्रियाँ तक दान में देता था । राज-हस्तिका अभियेक होने पर उन्हें १ फरोड़ मुद्राएँ भेंट चढ़ती थीं । भैंस, भेड़, बकरी और सुअर के मांस का रसास्वादन कर वे लोग बड़ी चैन से रहते थे ।

ईस्वी सन् की १३ वीं सदी में यूरोप में भी ईसाई पुरोहित सामन्ती राजाओं के पृष्ठ-पोषक थे, और ईसाई धर्म-संघ के पास सबसे अधिक सम्पत्ति थी । इस पर जन-साधारण के बढ़ते हुए असतोप को दबाये रखने के लिये पोप ने ऐलान किया था—“अमीरों को यही खयाल रखना चाहिये कि वे सर्व-शक्तिमान के ऐसे सेवक और उसकी सम्पत्ति के ऐसे सरक्षक और बोटने वाले हैं कि जिनके हाथ में गरीबों का भाग्य ईसामसीह ने खुद सौंप रखा है ।”

वास्तव में देखा जाय तो राज्य-शासन सामाजिक रचना का अत्यन्त अस्थाभाविक, लेकिन आवश्यक रूप था—इस बात को शासक-चर्चा भलीभांति समझता था । यही कारण है कि अपनी शोपण-प्रणाली जारी रखने के लिए उसे पुरोहित-चर्चा और सदाचार के सिद्धान्तों का आश्रय लेने की ज़रूरत हुई । पुरोहितों ने भी स्वामिभक्ति का पार्ट सचाई के साथ अदा किया । उन्होंने युद्ध में राजा की विजय-कामना आदि के लिए यज्ञ-याग रचाकर शान्ति-होम करने आरम्भ कर दिये ।

इस प्रकार जब वैदिक समाज में—यास सौर से निम्न वर्ग में—ऊँच नीच के भेद को लेकर वर्ग-विद्वेष की भावना खोर पकड़ रही थी, उसे रोकने के लिए पुरोहितों ने वेद के सुप्रसिद्ध पुरुषसूक्त की रचना द्वारा समाज को ब्राह्मण, शून्यि, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों में विभाजित कर निम्न वर्ग को सदा के लिए शोपित होने को छोड़ दिया और साथ ही अपनी बनाई हुई व्यवस्था पर अपौरुषेयत्व की छाप लगा दी।

बास्तव में जाति, वर्ण या जात-पाँत के भेद-भाव शाश्वत वस्तु नहीं हैं, जो अनादिकाल से चले आते हों। ये समाजकी एक विशिष्ट अवस्था में—वर्ग-समाज की अवस्था में—उत्पन्न होते हैं। लोगों के शोपण को बनाए रखने के लिए, उन्हें दबाए रखने के लिए शोपक वर्ग और उसके चाढ़कार भाट-पुरोहित जात-पाँत और वर्ण वर्गका विधान रचते हैं और लोगों को धोखे में रखने के लिए उसे धर्म और ईश्वरीय इच्छा का जामा अहनाते हैं।

पूँजीवाद-काल में आगे चलकर साम्राज्योंकी स्थापना होती है, जिसके अन्दर बहु-'जातीय' राज्य बन जाते हैं और जातीयता (rationality) के नामपर खूँरेजी और मार-काट होने लगती है। फल यह होता है कि दलित 'जाति'के घारों ओर से पीड़ित होने से दलचल मच जाती है, और स्वार्थान्व लोग 'जातीय' हित की बड़ी बड़ी बातें कर 'जातीय' जनता से मातृभूमि की रक्षा के लिए आन्दोलन करनेकी अपील करते हैं। हिटलर ने इसी नीति का आश्रय लेकर अपने आपको देवदूत का और अपनी शक्ति को दैवी शक्ति का रूप देकर, जर्मन जनता को आर्यत्व और विशुद्ध जर्मन राष्ट्र का पाठ पढ़ाकर युद्ध के लिए उत्तेजित किया था। जापान ने लोगोंको धोखा देने के लिए एशियावादकी

गुहार उठाई थी। इटली के मुसोलिनी ने कालों के ऊपर गोरों के प्रभुत्व का आदर्श ठहराकर अशोसीनिया पर आक्रमण किया था।

सच पूछा जाय तो संसार में सबसे अधिक कुकर्म और जघन्य पाप इस 'फाले-नोरे', 'छोटे-बड़े' और 'ऊँच-नीच' के भेद-भाव को लेकर ही होते हैं। भारत इसी कारण अधोगति को प्राप्त हुआ। अगले अध्यायों के पढ़ने से यह बात स्पष्ट होगी।

---

## अध्याय पहला

### वैदिक काल में वर्ण-व्यवस्था

३,०००—६०० ई० पू०

आधुनिक शोधों से पता लगता है कि वैदिक आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, और इसकी सन् से लगभग ३,००० वर्ष पूर्व वे इस देश में आर्विभूत हुए थे। वारतव में आर्य और ईरानी एक ही वंश के थे, और ये फारसी, प्रीक, लैटिन, ट्यूटानिक, केलिटिक और स्लेवोनिक भाषायें बोलते थे। इनका एक दल दक्षिण एशिया की ओर चला और दूसरा योरप की। यहाँ से उन लोगों में भेद हो गया और फिर कभी उनकी आपस में भेट नहीं हुई।

जब 'आर्यों' ने इस देश में पदार्पण किया तो यहाँ अनेक जातियाँ वसती थीं, उनमें कुछ अत्यधिक संस्कृत थीं और कुछ अत्यधिक असंस्कृत। शीतप्रधान देश में रहने के कारण 'आर्यों' का वर्ण गौर, आँखें भूरी, केश भूरे, नाक उठी हुई और कुद लम्बा था। उनके आचार-विचार अंशतः आदिम-युग के थे। वे लोग बड़े मेहनती और कुर्तीले थे तथा आनन्द से अपना जीवन विताते थे। आर्य लोग लड़ाक्ह थे, और युद्ध में विजयी होने के लिये, दस्युओं का संहार करने के लिये, अनाज तथा पशुओं की प्राप्ति के लिये, खेतों में जल की वर्षा

के लिये, तथा अपने और अपनी संतान के दीर्घ जीवन और सुख-समृद्धि के लिये इन्द्र, अग्नि आदि देवताओं का आहान करते थे। इसके विपरीत, भारत जैसे उपणिषद्धान देश में चिरकाल तक रहने के कारण, अनार्य लोगों का वर्ण श्याम, आँखे काली, केश काले, नाक छोटी और चपटी और कद छोटा था। ये लोग दास अथवा दस्यु के नाम से कहे जाते थे। यज्ञ याग ये नहीं करते थे, देवताओं को नहीं मानते थे, और व्रत-नियम नहीं रखते थे। आगे चलकर अन्य आर्य जातियों के साथ ये लोग भी शुद्र नाम से कहे जाने लगे।

भारत में आने के बाद आर्य लोग कानुल और स्वात नदियों की उपत्यकाओं ( अफगानिस्तान ) में आकर रहने लगे, और वहां से पंजाब ( सप्त सिन्धु = सात नदियाँ ) में फैलकर खेती-वारी से अपनी आजीविका चलाने लगे। वे लोग इस देश की सौन्दर्य-गरिमा देखकर अत्यन्त प्रभावित हुए। हिम से आच्छादित पर्वतों की श्वेत चोटियाँ, कलकल नाद करने-वाली नदियाँ, बन उपयन की श्रेणियाँ, हरे-भरे उपजाऊ खेत, पक्षियों का कलरव, रक्त छटा से रक्षित सुन्दर प्रभात, स्वच्छ नीला आकाश, गिर्मल शरत-कालीन चन्द्रमा, जीवन दायक उगता हुआ सूर्य, तथा मृदु शीतल मन्द पवन — इन सबने आर्यों के मन को मोहित कर लिया, और उनके सरल तथा कोमल हृदय काव्य-गान की तत्री से झकूत हो उठे। अपनी सुख-कामना के लिये वे प्रकृति देवी के अधिनायक इन्द्र ( पानी बरसाने वाला ), आकाश, सूर्य, वरुण, पृथ्वी, अग्नि, चायु, चर्पा ( पर्वन्य ), हल ( सीता ), चण्डा और सोम आदि देवताओं की स्तुति कर उनका आहान करने लगे।

अपने पर में अपने पुत्रग्र परिवार के साथ देवताओं की शुभा करता था। देवा जाप तो उम प्राचीन युग पा यही सीधा-सादा पर्म था, जो यज्ञ याग आदि के मियामारण के आदम्पर से शून्य था। न उस समय फाई मंदिर था, न मूर्ति यश करने के लिये एष वेदा होती थी, जिसमें धी, दूध, माम-और सोमरस से अग्निदोष किया जाता था।

धीरे धीरे भृष्य एशिया के यात्रा प्रजाप से हरी भरी गगा-चपत्यका की ओर पढ़कर मध्यदेश में रेखने लगे, और कुरु प्रजाप, काशी, फोशल, विदेश आदि प्रदेशों पर अधिकार करने लगे। इन्हीं प्रदेशों में जनक, अनातरामु, जनमेजय और परीक्षित आदि राजाओं को जन्म हुआ। यहाँ इस देश के मूल निवासी दस्युओं से उनकी मुठभेड़ हुई और उन्होंने आयों को आगे पढ़ने से रोका। जैसा कहा जा चुका है, यहाँ की अनार्य जातियाँ भी अपनी सम्बता और सस्तृति में फर्म न थी। उन्होंने वनिज-व्यापार में उप्रति की थी, उनके व्या पारी सुमेरिया और पालुल तक व्यापार के लिये आते थे, और उन्होंने नगर बसाये थे। ऐसी हालत में स्वामाधिक था कि ये जातियाँ अपनी माटूभूमि की रक्षा के लिये प्राणपण से आक्रमणकारियों का मुकाबला करतीं।

लेकिन आर्य लोग युद्धविद्या में निपुण थे, घोड़ों पर बैठ कर तीर-कमान और भाला चलाने में प्रवीण थे, और सब से बड़ी घात यह थी कि उन्हें खेती करने के लिये जमीन, और अपनी गायों को चराने के लिये चरागाहों की आधश्यकता थी। बस लूटपाट और लड़ाइयाँ होने लगीं। दस्यु लोग भी कुछ फर्म न थे। अवसर पाते ही वे आयों के गाँवों और नगरों पर ढूट पड़ते और उनके गाय-बैल तथा खेत जोतने के

हल आदि उठा ले जाते। लेकिन असंगठित दस्यु सुसंगठित आर्यों के मुकाबिले में अधिक समय तक न टिक सके। परिणाम यह हुआ कि उनमें से बहुत से मारे गये, बहुत से गुलाम बना लिये गये और रहने-सहने पर्वतों की गुफाओं और जंगलों में जा दिये। इसी समय से दाम शब्द गुलाम के अर्थ में व्यवहृत होने लगा और अपने वर्ण के कारण ये लोग हीन समझे जाने लगे। तत्पश्चान् आर्यों ने गंगा-जमुना की तरंगों को पार करके पूर्व की ओर प्रयाण किया, और देश भर में उनका रहने-सहन और आचार-विचार फैल गया।

कहने की आवश्यकता नहीं कि आर्यों और दासों के एक साथ रहने-सहने का दोनों जातियों के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा। दोनों में यौन-सम्बन्ध जारी हो गया और आचार-विचारों में आदान-प्रदान होने लगा। इससे आर्यों जाति की लिंग-पूजा, शिव-पूजा, नाग-पूजा, नदी-पूजा, पर्वत पूजा, तथा अनेक प्रकार के जादू-मंत्र और अन्य विश्वास आर्य जाति में प्रचलित हो गये। दासों ने भी आर्यों की भाषा, उनकी ज्ञान-सम्पत्ति तथा उनके आचार-व्यवहारों को अपना कर सदा के लिये उनका लोहा मान लिया। बाद में दोनों संस्कृतियों परस्पर इतनी घुल मिल गई कि उनका पृथक्करण कठिन हो गया। इन्हीं संस्कृतियों के मिश्रण-स्वरूप गंगा उपत्यका में राम-कृष्ण, सीता-द्वौपदी आदि का जन्म हुआ, और यहाँ तक कि इस प्रदेश के मुकाबिले में आर्यों के आदि स्थान पंचनद फो हीन समझा जाने लगा।

वेदों के अध्ययन से पता लगता है कि आर्यों के इस देश में आने के पहले उनमें कोई वर्ण या जाति-भेद नहीं था।

अपने घर में अपने कुटुम्ब परिवार के साथ देवताओं की स्तुति करता था। देखा जाय तो उस प्राचीन युग का यही सीधा सादा धर्म था, जो यज्ञ-याग आदि के क्रियाकाण्ड के आहंकर से शून्य था। न उस समय कोई मंदिर था, न मूर्ति, यज्ञ करने के लिये एक वेदी होती थी, जिसमें धी, दूध, मास और सोमरस से अग्निहोम किया जाता था।

धीरे धीरे मध्य एशिया के यात्री पजाब से हरी भरी गगा उपत्यका की ओर बढ़कर मध्यदेश में फैलने लगे, और कुरु पजाब, काशी, कोशल, विदेह आदि प्रदेशों पर अधिकार करने लगे। इन्हीं प्रदेशों में जनक, अजातशत्रु, जनमेजय और परीक्षित आदि राजाओं को जन्म हुआ। यहाँ इस देश के मूल निवासी दस्युओं से उनकी मुठभेड़ हुई और उन्होंने आयों को आगे बढ़ने से रोका। जैसा कहा जा चुका है, यहाँ की अनार्य जातियाँ भी अपनी सभ्यता और सत्कृति में कम न थीं। उन्होंने बनिज व्यापार में उन्नति की थी, उनके व्या पारी सुमेरिया और धारुल तक व्यापार के लिये जाते थे, और उन्होंने नगर बसाये थे। ऐसी हालत में स्वाभाविक था कि ये जातियाँ अपनी मारुभूमि की रक्षा के लिये प्राणपण से आक्रमणकारियों का मुकाबला करतीं।

लेकिन आर्य लोग युद्धविद्या में निपुण थे, घोड़ों पर बैठ कर तीर-कमान और भाला चलाने में प्रवीण थे, और सब से बड़ी धात यह थी कि उन्हें खेती करने के लिये जमीन, और अपनी गायों को चराने के लिये चरागाहों की आधरयक्ता थी। वस लूटपाट और लड़ाइयाँ होने लगीं। दस्यु लोग भी कुछ फम न थे। अबसर पाते ही वे आयों के गाँवों और नगरों पर दूट पड़ते और उनके गाय-बैक तथा खेत जोतने के

हल आदि उठा ले जाते। लेकिन असंगठित दस्यु सुसंगठित आर्यों के मुकाबले में अधिक समय तक न टिक सके। परिणाम यह हुआ कि उनमें से बहुत से मारे गये, बहुत से गुलाम बना लिये गये और रहे-सहे पर्वतों की गुफाओं और जंगलों में जा छिपे। इसी समय से दाम शब्द गुलाम के अर्थ में व्यवहृत होने लगा और अपने वर्ण के कारण ये लोग हीन समके जाने लगे। तत्परचात् आर्यों ने गंगा-जमुना की तरंगों को पार करके पूर्व की ओर प्रयाण किया, और देश भर में उनका रहन-सहन और आचार-विचार फैल गया।

कहने की आवश्यकता नहीं कि आर्यों और दासों के एक साथ रहने-सहने का दोनों जातियों के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा। दोनों में यौन-सम्बन्ध जारी हो गया और आचार-विचारों में आदान प्रदान होने लगा। इससे आर्येंतर जाति की लिंग-पूजा, शिव-पूजा, नाग-पूजा, नदी-पूजा, पर्वत पूजा, तथा अनेक प्रकार के जादू-मंत्र और छन्द विश्वास आर्य जाति में प्रचलित हो गये। दासों ने भी आर्यों की भाषा, उनको ज्ञान-सम्पत्ति तथा उनके आचार-व्यवहारों को अपना कर सदा के लिये उनका लोहा मान लिया। बाद में दोनों संस्कृतियों परस्पर इतनी घुल मिल गई कि उनका पृथक्करण कठिन हो गया। इन्हीं संस्कृतियों के मिश्रण-स्वरूप गंगा उपत्यका में राम-कृष्ण, सीता-द्वौपदी आदि का जन्म हुआ, और यहाँ तक कि इस प्रदेश के मुकाबिले में आर्यों के आदि स्थान पंचनद को हीन समझा जाने लगा।

वेदों के अध्ययन से पता लगता है कि आर्यों के इस देश में आने के पहले उनमें कोई वर्ण या जाति-भेद नहीं था।

सभ लोग एक साथ रहते, घरते-धीरे, आपस में वियाद-शारीर करते, वेदमन्त्रों की रचना करते, युद्ध करते, और खेत जोतते थे। उस समय एक ही कुटुम्ब में पुत्र मन्त्रकर्त्ता श्रृणि, पिता पैदा और माता चक्की में अनाज पीसने वाली पिस्तनहारी हो सकती थी, तथा चारे के लिये नाना धरागाढ़ों में फिरने वाली गाया की तरह, परिवार के लोग धनोपार्नन वे लिये नाना व्यवसायों पा अवलम्बन लेते थे। ×

लेकिन जैसे जैसे आर्यों की सतति घटने लगा, और उनकी अधिकार-सीमा विस्तृत हो गई, अपने वश को सुरक्षित रखने के लिये उन्हाने दास वन्याओं से विवाह करना बढ़ कर दिया, और यह-याग आदि उत्सवों में उनके आने का निपेद करवे उनके साथ सामाजिक और धार्मिक सबध विच्छेद कर लिया। इस समय से आर्यजाति के इतिहास में आर्य वर्ण और दास वर्ण नाम के दो वर्ण कायम हुए, जिन्होंने आगे चलकर चातुर्वर्ण्य का रूप धारण किया। ध्यान रखन की बात है कि वेदों में ज्ञात्रिय, ज्ञात्रण या विप्र शब्द किसी जाति विशेष के बाचक न होकर क्रम से बलशाली, भन्त्रकर्त्ता और ज्ञानी के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं, तथा वशिष्ठ, विश्वामित्र, अग्निरस और करव नामक कुटुम्बों में घडे घडे ज्ञात्रिय और पुरोहितों ने जन्म धारण किया है।

वैदिक समाज में पिण्डसत्ता-काल में खेतों पर सब गाँव का समान अधिकार रहता था, सब मिलकर खेती

× काठरह ततोभिषगुपलप्रक्षिणी नना।

नानाधियो वसूयवो ३ तुगा इव तस्य मेन्द्रायेन्द्रो धरिस्व ॥

(शून्यवेद ७ ११२ ३)

चारों फरते और खेतों को सीचते थे, तथा ज़मीन को कोई बेच नहीं सकता था। लेकिन जैसे-जैसे शिल्प-कला की उन्नति हुई, फारीगरों की संख्या बढ़ी, व्यापार के साधन उन्नत हुए, माल की अदलावदली के स्थान पर गाय-बैलों से मुद्रा का काम लिया जाने लगा, वैदिक आर्यों ने दासता-युग से निकल कर सामन्त-युग में प्रवेश किया। इस समय उनकी इच्छा हुई कि वे अच्छे-अच्छे मकान बनवा कर रहे, अनेक कियों से विवाह करे, बहुत से नौकर-चाकर और गाय-बैलों के स्वामी बनें, तथा बड़े-बड़े यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा प्रभुता का प्रदर्शन करें। इस प्रकार जीवन-सधर्ष की घटती हुई आवश्यकतायें दैरकर अपने सामाजिक सगठन को सुदृढ़ बनाने के लिये और दैनिक कार्यों का सुचारू रूप से संचालन करने के लिये कार्य-विभाजन आवश्यक समझा गया।

उदाहरण के तौर पर, जो लोग दस्युओं से वीरतापूर्वक चुदू कर उनका सामना कर सकते थे और राज्य शासन का भार बहन कर सकते थे, उन्हें ज्ञात्रिय बनाया गया, जो धीरे-धीरे आडम्बरों से परिपूर्ण होते हुए वैदिक क्रिया-कलाओं का कुशलतापूर्वक संचालन कर सकते थे, और पठन पाठन में अपना। समय बिताते थे, उन्हें ब्राह्मण बना दिया गया, तथा वाकी बचे हुए जो लोग खेती वारी और बनिज-व्यापार से घन संपत्ति का सचय कर सकते थे, उन्हें वैश्य बनाया गया। इस प्रकार गुण-कर्म की प्रधानता रखते हुए सुविधानुसार धर्म व्यवस्था कायम कर ली गई। यह सम्भवता की ओर एक कदम बढ़ाना था, यद्यपि आगे चलकर इसका भवंकर दुष्परिणाम हुआ।

वैदिक प्रन्थों में जन्म की उपेक्षा कर कर्मानुसार घर्ण-परिवर्तन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इससे पता लगता है कि कार्य-विभाजन की सुविधानुसार घर्ण-व्यवस्था कायम हो जाने पर भी गुण-कर्म की अवहेलना कर घर्ण-निश्चय करने के लिये वैदिक समाज में जात-पाँत या श्रेणी-विभाजन का प्रवेश अभी नहीं हुआ था। उदाहरण के तौर पर, वशिष्ठ ऋषि ने गणिका की सतान होते हुए भी सपोदल से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर ऋग्वेद के सातवें मण्डल की रचना की। ऐतरेय ऋषि ने दासीपुत्र होते हुए भी ऐतरेय ब्राह्मण और ऐतरेय उपनिषद् की रचना की। महाभारत के रचयिता व्यास धीवरी, और पराशर ऋषि चांडाली की सतान होते हुए भी पूज्यत्व को प्राप्त हुए। इसी प्रकार पंचाल के राजा विश्वामित्र और कुरु के राज्याधिकारी देवापि ज्ञात्रिय से ब्राह्मण हो गये। पृष्ठ मनु के पुत्र होते हुए भी गुरु की गाय मारने के कारण शूद्र हो गये; नाभाग ज्ञात्रिय से वैश्य हो गये। मनुसृति ( १०-६४ ) में उल्लेख है कि ब्राह्मण के शूद्राणी से सन्तानोत्पत्ति होने पर वह सात पीढ़ियों के परचात् उच्च जाति में परिगणित होने लगती है।

छन्दोग्य उपनिषद् ( ४-४-२ ) में सत्यकाम जाधाल की कथा आती है। कहते हैं कि एक बार सत्यकाम ने अपनी माँ से अपने गोत्र के विषय में प्रश्न किया तो उसने कहा—‘वेटा, मैं तेरा गोत्र नहीं जानती। मेरे पिता के घर बहुत-से अतिथि आते थे, उनकी परिचर्या करते हुए मैंने तुझे पाया। मेरा नाम जाधाला है, इसलिये तू अपने को सत्यकाम जाधाल कह देना।’ सत्यकाम ने यह बात ज्यों की त्यों गौतम ऋषि से कह सुनाई। ऋषि ने उत्तर दिया—‘वेटा, सच्चे ब्राह्मण को छोड़कर और

कोई इस तरह सच्ची वात नहीं फह सकता। जाओ तुम लकड़ी धीनकर लाओ, मैं तुम्हें दीज्ञा दूँगा।' अनुलोम विवाह—उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ग की लोकों के साथ विवाह—को जायज़ भाने जाने से भी उक्त वात का समर्थन होता है।

शतपथ ब्राह्मण, महाभारत आदि वैदिक प्रन्थों में इस प्रकार के अनेक विवाहों के उल्लेख मिलते हैं। चन्द्रगुप्त मौर्य के समकालीन मेगास्थनीज (३०० ई० पू०) ने ब्राह्मणों का निम्न वर्णों के साथ विवाह होने का उल्लेख किया है। इसके बाद भी लगभग ११ वीं सदी तक विजयीय विवाहों के उल्लेख पाये जाते हैं। इससे मालूम होता है कि उस समय तक वर्ण-व्यवस्था में कानूनी लचीलापन था और वह धर्म और समाज का इतना जर्दर्दस्त अङ्ग नहीं बनी थी जितना कि आगे जाकर।

धीरे-धीरे समय में परिवर्तन हुआ। भक्ति रस से गद्गद होकर पंचनद के आर्यजन जिन देवताओं का आह्वान किया करते थे, उनकी भक्ति से अब क्रियाकाण्डी गङ्गा उपत्यका के आर्यपुत्रों का मन नहीं भरता था। सुख-साधनों में वृद्धि होने से अब धर्म का सामाजिक महत्व बढ़ चला था, और समाज में कल्पित कथायें, जादू-मंत्र, मिथ्या विश्वास आदि का प्रचार होने से वैदिक क्रियाकाण्ड में वायु आडम्बर का प्रवेश हो रहा था। इसके फल स्वरूप राजा और श्रीमंत लोग अपने वैमव और ब्राह्मण लोग अपनी पुरोहिताई का प्रदर्शन करने के लिये अतुल धन-राशि का व्यव करके घड़े ठाठ के साथ महीनों तक अश्वमेघ, नरमेघ आदि यज्ञों का अनुष्ठान करने लगे। इस प्रकार जैसे-जैसे क्रियाकाण्ड का जाल फैलता गया, और यज्ञ-याग के अनुष्ठानों की सूदमता बढ़ती गई,

अध्वर्यु, उद्गाता और होता आदि पुरोहित नामधारियों का जन्म हुआ जिससे ब्राह्मण वर्ग का महत्व बढ़ा ।

इसके सिवाय, वेदमंत्रों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही थी कि वर्णमाला के अभाव में उन सब का याद रखना असंभव हो रहा था । फिर इन सब का उच्चारण भिन्न-भिन्न ढंग से करना पड़ता था, मंत्रों की आवृत्ति की पद्धति भी भिन्न थी । उधर 'आर्यों' के धर्म-कर्म और यज्ञ-याग आदि दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्य वैदिक मंत्रों से संचालित होते थे, और खेती-बारी तथा बनिज-व्यापार 'आर्यों' में संलग्न रहने के कारण 'आर्यों' को इतना समय न था कि वे इस बखेड़े में पड़ते । जब वे घन-सम्पत्ति के स्वामी हो गये तो धार्मिक क्रियाकारणों के लिये समय निकालना और कठिन हो गया । आगे चलकर कर्मकारण की इन गुणियों को सुलझाने के लिये 'ब्राह्मण' प्रन्थों की रचना की गई ।

जारक प्रन्थों से पता लगता है कि पुरोहित राजगुरु का काम करते थे, तथा राजा उन्हें पितृतुल्य सुहृद् और सलाहकार मानता था । वे लोग प्रजा के न्याय करने में माग लेते थे, और राजकोप की रक्षा करते थे । पुरोहित लोग नज़म-विद्या, लक्षण शास्त्र आदि के पंदित होते थे, तथा नज़म और लक्षण आदि देखकर और स्थन सुनकर भविष्य धारान करते थे । पुरोहित राज्य का प्रबंध भी करते थे, और इसी लिये उन्हें 'अर्थ और धर्म का अनुरासक' कहा गया है ।

इस प्रकार जब पुरोहितों का महत्व बढ़ा, और दान-दाहिणा से उनका सत्त्वार होने लगा, तो उनकी संख्या में

यृद्धि होने लगी। इसी समय शासक घर्ग ने मुश्यसर पाकर उन्होंने दान आदि देकर उनकी पूजा-प्रतिष्ठा को बढ़ाया। प्रतिष्ठा कायम हो जाने पर उन्होंने सोचा कि कहीं अन्य वर्ण के लोग भी गुण कर्म द्वारा उन्नति करते-करते उनके पद पर पहुँच कर उनकी दान-दक्षिणा को खातम न कर दें। इसलिये उन्होंने मंत्र-विद्या आदि को गोपनीय घोषित किया, और यह निश्चय किया कि वेदविद्या उनके घंश को छोड़कर बाहर न जाने पाये।

इस समय वेद के सुप्रसिद्ध पुरुषसूक्त की रचना कर उसे वेदों का भंग बना दिया गया जिसमें कहा गया कि प्रजापति के मुख से ब्राह्मण, बाहू से ज्ञात्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए।<sup>३३</sup> आपस्तव, शतपथ, मनुस्मृति आदि धर्म ग्रन्थों में इसका समर्थन किया गया। फल यह हुआ कि वशावलि के क्रम से पुराहितार्दि के नियम बनाकर ब्राह्मणों की एक पृथक श्रेणी बना दी गई, दस्युओं का सहार कर आर्य जाति को निरापद बनाने के कारण ज्ञात्रियों को अलग कर दिया गया, तथा खेती-बारी और व्यापार चढ़ने से धन-सम्पत्ति का संचय करने के कारण वैश्यों की अलग श्रेणी बन गई। महाभारत ( शात्रिपर्व १८८ ) तथा धारु पुराण आदि वैदिक ग्रन्थों से इस कथन का समर्थन होता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक काल में पहले केवल आर्य और दास नाम के दो वर्ण थे। बाद में कार्य विभाजन की सुविधानुसार ब्रह्म, ज्ञात्र और विश् इन तीन वर्णों की

<sup>३३</sup>ग्रामणोऽस्य मुखमासीद्वाहू राजन्यः कृतः ।  
उरु तदस्य यदैश्यः पद्म्यां शूद्रोऽजायत ॥

स्थापना की गई। इस समय पुरोहित और राजन्यों (क्षत्रिय) को छोड़कर पाकी सब लोग वैश्य (विश्-प्रजा) भेणी में गिने जाते थे। इससे मालूम होता है कि उस समय असृ-श्यता जैसी घस्तु न थी, तथा आर्य और दास स्वतंत्रतापूर्वक मिलते-जुलते थे। × लेकिन आगे जाकर वैदिक क्रियाकाण्ड को सुरक्षित रखने के लिये, अपनी विशेष स्थिति को धनये रखने के लिये, आचार-विचार और खान-पान के प्रतिबंध ब्राह्मणों द्वारा जारी किये गये, तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विजाति और शूद्र को एक जाति करार देकर उसे यज्ञोपवीत आदि धारण करने का निपेध कर दिया गया।

इस संकुचित मनोषृष्टि का परिणाम यह हुआ कि उत्तर-कालीन वैदिक साहित्य चत्र-तत्र ब्राह्मणों की प्रशस्ता और शूद्रों की निन्दा से भर दिया गया। उदाहरण के लिये, अथर्व-

× गौतम धर्मसूत्र में उल्लेख है कि ब्राह्मण द्विजातियों के साथ बैठ कर भोजन कर सकता है, यदि वे धार्मिक कृत्यों का पालन करते हों। भारत के अनुसार भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के साथ भी भोजन कर सकता था। ६ धी० १० धी० सदी में लिखी हुई व्यास सूत्रि में ब्राह्मण को नाई, कृषि में सामेदार, दास, खाला और शूद्र के साथ भोजन करने का स्पष्ट विधान है। अति सूत्रि में शूद्रों को आद करने का उल्लेख है। (सी० धी० वैद्य, हिन्दी ओफ मैडिवल हिन्दू इन्डिया, भाग २, पृ० २५१-२)। रामायण (अयोध्या काण्ड ३३) में इल और फाष्ठा लेकर ब्रह्मीन खोदने थाले ब्राह्मण का उल्लेख आता है। बातक ग्रन्थों के अनुसार क्षत्रिय कुम्हार, माली, रसोह्या आदि का पेशा करते थे, और शेष्ठी (वैश्य) दड़ी, कुम्हार आदि के पेशों को नीच कर्म नहीं समझते थे।

चेद, तैत्रिय संहिता और शतपथ ब्राह्मण में फहा नायां कि इस लोक में दो ही देवता हैं, एक स्वर्ग के देवता दूसरे ब्राह्मण देवता। शतपथ ब्राह्मण में प्रद्वन्द्वत्या को ही वास्तविक हत्या बताते हुए ब्राह्मण को हर हालत में अवध्य बताया है और कहा है कि अर्चा, दान आदि के वे अधिकारी हैं। आपस्तंब धर्मसूत्र का उल्लेख है कि जो राजा ब्राह्मणों को जमीन और धन देता है वह स्वर्ग का भागी होता है। एक जगह लिखा है कि ब्राह्मण का धन किसी को न लेना चाहिये, तथा यदि उसे निधि का लाभ हो तो उसे राजा को सौंपना आवश्यक नहीं।

शूद्र तथा घौढ़, आजीवक आदि मर्तों के प्रचलित विरोधी और हिन्दू साम्राज्यवाद के प्रतिष्ठाता भनु महाराज (ई० पू० प्रथम शताब्दि) ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि ब्राह्मण पराया अन्न खाता है, पराया वस्त्र पद्धनता है, और पराया धन लेकर दूसरों को देता है तो वे सब उसके ही अन्न-वस्त्र आदि हैं क्योंकि सब लोग ब्राह्मण की दया से ही भोजन पाते हैं। तथा यदि ब्राह्मण देवता कुदू हो जाय तो वे 'अपने शाप से राजा और उसकी सेना को भरम कर सकते हैं।

बशिष्ठ आदि ऋषियों ने अपद्व ब्राह्मणों के विषय में कहा था है कि जो ब्राह्मण वेदपाठ नहीं करते, यज्ञ-याग का अनुरठान नहीं करते, वे काठ के घने हाथी और खाल के घने हरिण के समान हैं, और उन्हें शूद्र समझना चाहिये। लेकिन

---

क्षे ढौ. पी० बी० काने ने गौतम, वौघायन और आपस्तंब का समय ६००-३०० ई० पू० माना है।

याद में ब्राह्मणों के लिये कर्त्तव्य अकर्त्तव्य का कोई बन्धन नहीं रहा, और ब्राह्मण मात्र को दान-दक्षिणा देने का विधान कर उन्हें महादेवता घोषित कर दिया गया।

लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रियों में जन ऊँच-भीच का प्रश्न उपस्थित हुआ सो बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। क्योंकि क्षत्रिय शासक और सेनापतियों ने ही ब्राह्मणों को सन्मानित कर उनको आगे बढ़ाया था। परन्तु यह बात भी सच थी कि ब्राह्मणों द्वारा धार्मिक नियम उपनियम बनाये विना साधारण जनता में क्षत्रियों का प्रभाव टिके रहना कठिन था। ऐसी हालत में दोनों जातियों में समझौता होना आवश्यक था। इसीलिये ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया कि पुरोहित की सहायता के रिना देवता लोग राजाओं की दान-दक्षिणा स्वीकार नहीं करते। मनु महाराज को कहना पड़ा कि क्षत्रियों के विना ब्राह्मणों की और ब्राह्मणों के विना क्षत्रियों की उन्नति नहीं हो सकती। इसी प्रकार बड़े बड़े श्रेष्ठियों को नगरसेठ आदि पद का प्रलोभन देकर ब्राह्मण और क्षत्रियों ने उन्हें अपने साथ मिला लिया।

अब रह गये निम्न वर्ग के लोग। उन्हें आगे न देने के लिये, उनके शोपण को जारी रखने के लिये नाना प्रकार के नियम उपनियम बनाये गये। गोतम धर्मसूत्र में लिखा है कि शूद्र को अपने से ऊँचे तीनों वर्णों के फटे पुराने कपड़े और जूते पहनने चाहिये, और जूठा भोजन करना चाहिये। उसके सामने वेदपाठ नहीं करना चाहिये, वेदध्वनि यदि उसके कानों में पड़ जाय तो उसके कानों में शीशा पिघला कर मर देना चाहिये। वेदोच्चारण करने पर उसकी जिहा काट लेना चाहिये, तथा बैठने, बात करने, और सहक पट

चलने आदि में यदि वह द्विजातियों की घरानरो करे तो उसे शारीरिक दंड देना चाहिये। मनु भद्राराज ने कहा है कि यदि शूद्र ब्राह्मण के साथ एक आसनपर बैठे तो राजा को चाहिये कि वह उसकी कमर तपती हुई लोहे की शलाका से दागाकर उसे देश-निकाला दे, अथवा उसके नितंय कटवा दे। तत्परतात्, यदि शूद्र द्विजाति स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो उसका लिंगच्छेदन कर दे, और उसे भूसे में जलवा दे। हेकिन यदि शूद्राणी के साथ उच्च वर्ण वाले व्यभिचार करे तो कोई दोष नहीं! शूद्र के लिये विधान है कि वह द्विजातियों के लिये रास्ता छोड़कर चले, तथा यदि कोई आदमी चांडाल से छू जाय तो उसे सबस्त्र स्नान करना चाहिये। धर्मसूत्रों में उल्लेख है कि शूद्रों से घोलना या उनकी तरफ देखना भी पाप है। तथा यदि भोजन करते समय ब्राह्मण उसे पर्शी कर ले तो ब्राह्मण को अपना भोजन छोड़ देना चाहिये। यदि कोई ब्राह्मण चांडाल के वरतन से पानी पी ले तो उसे कई दिन तक गोमूत्र पर रहना चाहिये। ब्याज लेने के सम्बन्ध में कहा गया है कि ब्राह्मणों से २% ज्ञात्रियों से ३%, वैश्यों से ४% और शूद्रों से ५% ब्याज लेना चाहिये। दृष्ट विधान के सम्बन्ध में कहा गया है कि यदि कोई शूद्र किसी शूद्र को मार दे तो १० गायें, वैश्य को मार दे तो १०० गायें, ज्ञात्रिय को मार दे तो १००० गायें ब्राह्मण को देना चाहिये। तथा यदि वह ब्राह्मण की हत्या करे तो उसके प्राण ही ले लेने चाहिये। रामचन्द्रजी ने तपस्या करते हुये शम्बूक का शिरच्छेद इसीलिये किया था कि वह शूद्र जाति का था।

इस प्रकार निम्नवर्ग का अधिक से अधिक शोपण करने के लिये शूद्रों को शिक्षा देने की मनुआई कर दी गई, राज्य-

ब्यवस्था में उन्हें स्थान नहीं दिया गया, और उनके धन-सचय पर सख्त प्रतिवध लगा दिया गया। ऐसी हालत में उनका एक ही लक्ष्य रह गया था कि वह उच्च धर्मों की सेवा-शुश्रूपा करे, उनका यचान्खुचा जूठा भोजन करके पेट भरे और गुलाम से भी बदतर पशु के समान जीवन विताये। आज भी हमारे देश में लगभग दस फरोड़ नर-नारी इसी प्रकार का घृणित और कुत्सित जीवन ब्यतीत कर रहे हैं और उनके उच्च वर्ग की गुलामी से मुक्त होने के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते !

---

## अध्याय दूसरा

बौद्ध और जैन-कालीन वर्ण-व्यवस्था  
५०० ई० पू०—५०० ई०

गगा-उपत्यका में कुरु, पचाल, काशी, कोशल और विदेह ने अपना साम्राज्य स्थापित कर आयों की साम्राज्य-लिप्सा शान्त नहीं हुई। यहाँ से वे लोग अंग, चंग और कलिंग की ओर घड़े और यहाँ की आदिम जातियों में आर्य धर्म, भाषा और सम्बता फैलाने लगे। तत्परतात् परिचम में उन्होंने सौराष्ट्र पर अधिकार किया और दक्षिण में गोदावरी और कृष्णा नदी के किनारे अपना राज्य कायम कर द्रविड़ जातियों पर सदा के लिए अपना सिक्का जमा लिया।

तात्पर्य यह है कि भारत के विजेता आर्य अब पुराने विदेशी आर्य नहीं रह गये थे। अपनी कूटनीति और तलवार के बल से उन्होंने पन-सम्पत्ति का मंचय कर भारत-भूमि पर अधिकार कर लिया था। यहाँ के मूल नियासियों की प्रकृति से अब वे भलीभाँति परिचित हो गये थे और उसका उन्होंने यथेष्ट लाभ उठाया था। पहले की अपेक्षा उनका अनुभव और ज्ञान प्रत्येक बात में बढ़ा चढ़ा था। ऐसी हालत में स्वाभाविक था कि उन्हें प्राकृतिक देवी-देवताओं की स्तुति और आहम्बर-पूर्ण कियाकारण अर्थविहीन और नीरस प्रतीत होने लगे।

लेबिन प्रसन उठता था कि क्या केवल ज्ञान गून्य पश्चात्याग में लगे रहना ही धर्म है ? क्या इस चक्र वित्त के पीछे कोई अचल शक्ति नहीं दिखा है ? उपनिषद् साहित्य में आयों की ये ही भावनाएँ काम करती हुई दृष्टिगोचर होती हैं। मुख्य उपनिषद् ( १२७ ) में कहा है कि जो लोग यह को उत्तम मान कर उत्तमा अभिनन्दन करते हैं वे मूढ़ जरा और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। धान्दोग्य में बताया है कि अत्यन्त स्थित प्राण की आहुति देना ही धात्तविक यज्ञ है। वस्तुत इस फाल में तत्त्वचिंतकों का एक ऐसा समूह आविर्भूत हो रहा था जो सीधे सादे देववाद और वैदिक किया फालड में विश्वासन रख वैद ज्ञान को अपरा विद्या कह कर ग्रन्थविद्या को उत्कृष्ट मानता था और साथ ही पुनर्जन्म के सिद्धात में आस्था रखता था ।

उपनिषद् काल में उक्त सिद्धान्तों को लेकर ज्ञात्रिय और ब्राह्मणों में जो छब्द चल रहा था उसमें ज्ञात्रिया का पक्ष प्रबल ज्ञान पड़ता था। बाचसनेयी सहिता तथा उपनिषदों में ब्राह्मण की अपेक्षा ज्ञात्रियों को प्रशस्य बताते हुए कहा है कि राजसूय यज्ञ में ब्राह्मण को ज्ञात्रिय से नीचे बैठना चाहिए। धान्दोग्य ( ५.३७ ) में कहा है कि ज्ञात्रिया से पहले यह विद्या ( ब्रह्म विद्या ) ब्राह्मणों के पास नहीं गयी, अतएव सर्व लोकों में ज्ञात्रियों का शासन हुआ। इस प्रकार उपनिषदों में ऐसे अनेक आरथान मिलते हैं जिनसे पता लगता है कि ब्राह्मण समिधा लेकर ज्ञात्रियों के पास पहुँचते थे और जिज्ञासा पूर्वक उनसे ब्रह्म का उपदेश प्रहण करते थे ।

शतपथ ब्राह्मण ( ११४५ ) में कहा है कि एक बार श्वेतकेतु आरुणेय और याज्ञवल्क्य आदि ऋषि विदेश के

राजा जनक के पास गये। राजा ने प्रश्न किया—“आप लोग अग्निहोत्र कैसे करते हैं ?” ऋषियों ने जनक के प्रश्न का उत्तर दिया लेकिन राजा को सन्तोष न हुआ। याज्ञवल्क्य ने औरों की अपेक्षा ठीक उत्तर दिया लेकिन वे भी सर्वथा ठीक-ठीक उत्तर न दे सके। इस पर राजा जनक रथ पर सवार होकर चल दिये। ऋषियों को यह अपमान अच्छा न लगा। उन्होंने याज्ञवल्क्य को रथ पर बैठा जनक के पास भेजा। याज्ञवल्क्य जनक का उत्तर पाकर संतुष्ट हुए। वास्तव में उस काल में विदेह, काशी और कुरु-पंचाल आर्य-विद्या के बड़े केन्द्र बन गये थे जहाँ विद्वान् लोग दूर-दूर से आकर ज्ञान-चर्चा करते थे।

ऋत्रिय और ब्राह्मणों का यह वर्ग-संघर्ष यहाँ समाप्त नहीं हुआ। आगे चलकर उसने उपरूप धारण किया जिसके फलस्वरूप दोनों जातियों में युद्ध हुए। शास्त्रों में यहाँ तक किखा है कि परशुराम ने जब इस पृथ्वी पर एक भी ऋत्रिय वाकी न छोड़ा तो रामचन्द्र ने अपने प्रतिद्वन्द्वी से बदला लेकर ब्राह्मणों का नाम निशान मिटाकर फिर से ऋत्रिय-राज्य कायम किया। वशिष्ठ और विश्वामित्र में भी बहुत समय तक संघर्ष रहा और अन्त में उन्हें वशिष्ठ को ब्रह्मपिं कहकर सम्मानित करना पड़ा।

आगे जाकर हम देखते हैं कि ऋत्रिय और ब्राह्मणों की दो जुदी परम्पराएँ हो गयीं। ब्राह्मण लोग वेदों को अपौरुषेय मानते थे, इन्द्र, वरुण, अग्नि आदि देवों की स्तुति करते थे, यज्ञ-न्याय में पशुओं की घलि देते थे, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वान-प्रस्थ, और संन्यास इन चार आधमों को स्वीकार करते थे। उथा चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था मानकर अपनी जाति को सर्वोत्कृष्ट समझने थे। ऋत्रिय परम्परा इन धारों का विरोध करती,

थी। ये लोग संन्यास, आत्मचिन्तन, स्थान, तप और अहिंसा के ऊपर ज्ञार देते हुए आत्मशुद्धि को प्रधान मानते थे और सासार का त्याग कर प्रब्रह्मा प्रहृण करते थे। इस परम्परा में च्छायाग, आदि कर्मकाण्ड का स्थान आत्मविद्या को मिला और वह ज्ञात्रियों की विद्या मानी जाती थी।

विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, जनक, पारवेनाथ, बुद्ध, महावीर, गोशाल आदि इसी विद्रोही परम्परा में जन्मे थे। ब्राह्मण लोग अहर्पिं देश—कुरु, मत्स्य, पचाल और शूरसेन—को पवित्र व्यताकर ज्ञात्रियों के राष्ट्र काशी, कोशल और विदेश आदि में गमन करने का नियेध करते थे तथा वैशाली के तिच्छवी तथा कुसीनारा और पाषा के मल्लों को ग्रात्य-सन्तान कहकर निम्न अेरो का धोषित करते थे।

ब्राह्मण और ज्ञात्रियों के इसी सघर्ष के फलस्वरूप क्राति के बादक बुद्धिवादी गौतम बुद्ध और महावीर बर्द्धमान का भगव भै जन्म हुआ। इस काल में ब्राह्मणों की धन-लोलुपता के कारण उनमें स्वार्थ, अहकार और छल-कपट की मात्रा बढ़ रही थी और उनकी अकर्मण्यता के कारण ज्ञान का हास हो रहा था। उधर निम्न वर्ग का उत्पीड़न चरम सीमा पर पहुँच रहा था, क्योंकि जिन निम्न वर्ग के लोगों ने अपने धर्म को स्वयंकर आयों के धर्म और सकृदिति को अपनाया था, उन्हें किसी भी प्रकार की धार्मिक अथवा सामाजिक सुविधाएं नहीं दी जा रही थीं तथा ऐसे लोगों के धन-संचय कर लिने पर भी उनके पद आदि में परिवर्तन होने की कोई सम्भावना दियायी नहीं देती थी। गौतम, वशिष्ठ आदि धर्मसूत्रों का इस समय निर्माण हो चुका था जिनमें निम्न वर्ग के लिए कठोर में कठोर नियमों का विधान किया गया था। चात्पर्य यह है कि

ब्राह्मणों के अत्याचार इस क़दर बढ़ गये थे कि शोपित वर्ग जीवन से एक प्रकार से निराश हो चैठा था।

ऐसी परिस्थिति में बुद्ध और महावीर ने बड़े साहस-पूर्वक वर्ण-व्यवस्था का खट्टन कर ब्राह्मणों के अधिकारों का प्रतिवाद किया। हिंसामय यज्ञों के स्थान पर शान्तियज्ञ, ब्रह्मयज्ञ आदि का तथा विविध क्रियाकाण्ड के स्थान पर दया, ज्ञान, प्रेम, शाति आदि का उपदेश देकर इन महात्मा पुरुषों ने मनुष्य भात्र के लिए धर्म का द्वार खोल दिया जिससे नाई, लुहार, कुम्हार, बुनकर, चाषाढ़ाल, वेश्या आदि हजारों स्त्री-पुरुष अमण-धर्म में दीक्षित होने लगे।

एक बार आश्वलायन माणवक ने गौतम बुद्ध से ब्राह्मण वर्ण की श्रेष्ठता के विषय में प्रश्न किया तो बुद्ध ने निम्न लिखित उत्तर दिया था—“हे आश्वलायन ! अन्य वर्णों की तरह ब्राह्मण भी रज और चीर्य के सयोग से उत्पन्न होते हैं, फिर ब्राह्मण वर्ण को अन्य वर्णों की अपेक्षा कैसे उत्तम कहा जा सकता है ? वास्तव में ब्राह्मण, ज्ञात्रिय, वैश्य और शूद्र चाहे जो हो, जो प्राणियों की हिंसा करता है, चोरी करता है, कड़ भाषी है और लोभी और द्वेषी है वह दुर्गति में जाता है और जो इन पापों से दूर रहता है, वह सुगति प्राप्त करता है। फिर ब्राह्मणों को दूसरों की अपेक्षा कैसे उत्तम माना जा सकता है ? पढ़ित और अपढ़ित दोनों माझ्यों में शाद्व आदि के अवसर पर पहले पढ़ित को ही भोजन आदि कराया जाता है, इससे भी यही सिद्ध होता है कि जाति से ब्राह्मण नहीं होता।” ( मजिफमनिकाय, अस्सलायण सुच ) ।

बासेठूं सुन्त में कहा है कि माता की योनि से उत्पन्न होने

के कारण कोई प्राक्षण नहीं होता। जिसके गुण-कर्म जैसे होते हैं वह वैसा कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जो गोरक्षा से जीविका करता है वह कृपक है, जो शिल्प से जीविका करता है वह शिल्पी है, जो व्यापार से जीविका करता है वह वैश्य है, जो चोरी से जीविका करता है वह चोर है, जो पुरोहितगांड से जीविका करता है वह याजक है, और जो राष्ट्र का उपभोग करता है वह राजा है। इसी तरह सभा ब्राह्मण वह है जो अपरिमही है निर्भय है तथा सग और आसक्ति से रहित है। सब पूछा जाय तो न जन्म से ब्राह्मण होता है न अजन्म से, कर्म से ही ब्राह्मण अब्राह्मण मानना चाहिये।

जैनों के उत्तराध्ययन सूत्र में जयघोष मुनि और विजयघोष ब्राह्मणके स बाद में कहा गया है कि जयघोष जब विजयघोष की यज्ञशाला में भिक्षा के लिये गये तो विजयघोष ने मुनि को लौट जाने को कहा, क्योंकि उनके घर वेदपाठों, यज्ञार्थी और ज्योतिषाग जाननेवाले ब्राह्मण को ही भिक्षा मिलती थी। उस समय जयघोष मुनि ने बताया है कि जो अपना और दूसरों का कल्याण करे, जिसने राग, द्वेष और भय पर विजय प्राप्त की हो, जो इन्द्रिय निप्रह करता हो, कभी मिथ्या भाषण न करता हो, तथा जो सब प्राणियों के हित में रत रहता हो, वही सभा ब्राह्मण है।

ब्रह्मसूचिका उपनिषद में जीव, देह, जाति कर्म या धर्म इनमें कौन ब्राह्मण है इस प्रश्नका निम्नलिखित उत्तर दिया गया है -

१—जीव ब्राह्मण नहीं हो सकता क्योंकि अतीत अनागत काल में नहना जातीय देहों में जीव एक रूप से विद्यमान है।

एक ही जीवके कर्मवश अनेक देह पैदा होते हैं। अतएव समस्त शरीरोंमें एक रूप जीव होनेसे जीव ज्ञानण नहीं हो सकता।

२—देह भी ज्ञानण नहीं, क्योंकि सभी वर्णों के शरीर पचमूल से निर्मित हैं और एक ही प्रकार के हैं। यथा यदि देह ज्ञानण होती तो अपनी पिता की मृत देह के दाह करने भर पुत्र को ग्रस्तहत्या का पाप लगता।

३—जाति भी ज्ञानण नहीं, क्योंकि मनुष्यों के सिवाय अन्य जातियोंमें भी महर्यियों का जन्म हुआ है। जैसे सूरी से ऋष्यशृंग, कुरा से कौशिक, जम्बूक से जाम्बूक, बाल्मीक से बाल्मीकि, कैर्बन्त-कन्या से व्यास, शशापृष्ठ से गौतम, उर्वशी से वशिष्ठ और कलश से अगस्त्य ऋषि जन्म हुए थे। इससे मालम होता है कि जाति के बिना भी चहुत से ऋषि ज्ञान-सपन्न हो गये हैं।

४—ज्ञान भी ज्ञानण नहीं, क्योंकि अनेक ज्ञात्रिय आदि भी परमार्थदर्शी और ज्ञानवान् हो गये हैं।

५—कर्म भी ज्ञानण नहीं, क्योंकि सब प्राणियों के प्रारूप में समित और आगामी कर्मों की समानता पायी जाती है। कर्म से प्रेरित हो कर ही सब लोग कर्म करते हैं।

६—धर्म भी ज्ञानण नहीं, क्योंकि ज्ञात्रिय, वैश्य और शूद्र जी सुवर्ण दान करते हैं।

ऐसी हालत में ज्ञानण वही कहा जा सकता है जो जाति-ज्ञान किया विहोन आत्मा का साक्षात्कार करवा हो।

इसी प्रकार महाभारत, पुराण आदि में भी जातिविरोधी अनेक उल्ज्जेस मिलते हैं। नन्दवंशीय चन्द्रगुप्त, विन्दुसार, अशोक और राजा संप्रति श्रमणधर्म के अनुयायी थे। इनमें चन्द्रगुप्त को मुरा दासी की सन्तान माना गया है। इससे पता चलता है कि बुद्ध और महाबीर ने गुण कर्म और स्वभाव की मुख्यता पर ज्ञोर देते हुए ब्राह्मणों की वर्ण-व्यवस्था पर कुठाराघात कर बहुत कुछ अंशों में निम्नवर्ग के उत्पीड़न को कम किया था। इन प्रगतिशील चिन्तकों के उपदेश से प्रभावित होकर धौद्ध और जैन व्यापारी वनिज व्यापार के क्षिए दूर दूर देशों में जाने लगे। इससे भी रग-भेद को घबका पहुँचा। इसीलिए उस काल में व्यापारी वर्ग में व्रात्य आदि बहुसख्यक अनार्य या मिश्रित जाति के लोग शामिल कर लिये गये थे। इससे वर्ण के वधन, जो धीरे-धीरे वढ़ हो गये थे, शिथिल पड़ गये और फिर से छत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य आदि भिन्न भिन्न वर्णों के लोग परस्पर नजदीक आने लगे तथा भारतीय जनता का विपुल भाग ऊँच नीच, छोटे बड़े और खी पुरुष का भेद-भाव छोड़कर बौद्ध और जैनधर्म में दीक्षित होने लगा।

यहाँ खास ध्यान रखने की बात यह है कि यद्यपि बुद्ध और महाबीर ने अपने धर्म का "द्वार चारों वर्णों" के लिए खोल दिया था, लेकिन वर्णों की सख्या उन्होंने भी चार ही रखी। अन्तर इतना हो गया कि अब ब्राह्मणों के स्थान पर छत्रियों को प्रथम रखकर वर्ण-व्यवस्था मानी जाने लगी। ब्राह्मणों को 'धिजाइ' (धिक जाति ?) कहकर संयोधित किया जाने लगा तथा बौद्ध और जैन भन्यों में घोषित किया गया कि बुद्ध और वीर्धकर छत्रिय या ब्राह्मण कुलों में जन्म

लेते हैं, वैश्य, शूद्र आदि नीच कुलों में नहीं। महावीरों के विषय में प्रसिद्ध है कि पहले वे ब्राह्मणी के गर्भ में अवतरित हुए लेकिन ज्ञात्रिय कुल के मुकाबिले में ब्राह्मण कुल के नीच समझे जाने के कारण वे किसी दिव्य शक्ति द्वारा ज्ञात्रियाणी के गर्भ में पहुँचा दिये गये ! धीरे-धीरे शवपाक, चाशडाल-आदि को हीन जाति और धोबी, शिकारी, नट आदि को हीन-शिल्पी कह कर सम्बोधन किया जाने लगा। इससे पता चलता है कि पुरोहित वर्ग की सहायता के बिना ज्ञात्रियों को घड़ी कठिन परिस्थिति का सामना करना बड़ रहा था, इसी-लिए धीरे-धीरे वे उनके बताये हुए रास्ते पर आ रहे थे ।

अस्तु, इधर ब्राह्मणों का ज्योर बड़ रहा था, उधर विभ्वसार, प्रसेनजित् आदि राजा महाराजा तथा शाक्य, मल्ल और लिङ्छवी आदि गण-राजा बुद्ध के अनुयायी बनकर निम्न वर्ग के शोषण का सुवर्ण अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। इसी तरह अनाधिपिण्डक और मृगारमाता विशासा जैसे सेठ-सेठानो बुद्ध और उनके भिजुओं के लिये घड़ी-घड़ी कीमत के सधाराम और विहार आदि बनवा कर बुद्ध के भक्त बन दोनों हाथों से संपत्ति लूटना चाहते थे। वस्तुतः सप्ताट् अशोक, सपति आदि बड़े बड़े राजाओं और सेठ-साहूकारों की बदौलत बौद्ध और जैन धर्म का प्रसार दूर दूर तक हुआ था। भारत से बाहर लका, चीन, जापान, और तिब्बत आदि देशों में बौद्ध धर्म को राजाओं ने ही कैलाया था। सौराष्ट्र, दक्षिण आदि में जैनधर्म को कैलाने वाला राजा सपत्ति था। इसके अलावा यह राजा महाराजाओं का ही प्रभाव था कि बुद्ध के धर्मचक्र को धार्मिक साम्राज्य का रूप दिया गया था, और इसीलिए बुद्ध धर्म-चक्रवर्ती और

जैन तीर्थकर जिन (जयति इति=विजयी) और विजेता कहे जाते थे। वारतव में जैसे मुगाल काल में धार्मिक और राजनीतिक द्वेषों में वादशाही कायम करने की धुन थी, उसी तरह आज से २००० घर्ष पूर्व धार्मिक और राजनीतिक द्वेषों में विजय प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा था। आगे चलकर द्वितीय राजाओं ने बौद्ध तथा जैनधर्म को इतनी खोर से अपने शिकंजों में ज़क़ह कि बुद्ध और महावीर को शृणी, दास तथा राजसेनिकों को प्रगत्या देने का निषेध करना एदा ताकि शोषकों की शोपण-ब्यवस्था में कोई व्यवधान न पड़े।

इस त्रिकार हम देखते हैं कि बुद्ध और महावीर वर्ण-ब्यवस्था को निष्फलता को भलीभांति समझकर भी उसे उत्थाइ फेंकने के लिए किसी नये मार्ग या सामाजिक ढाँचे का प्रदर्शन नहीं कर सके। वे केवल यह कहकर रह गये कि, ‘निर्वाण प्राप्ति में वर्ण या जाति सहायक नहीं। वर्ण या जाति भिन्न बनने से पहले तक कायम रहते हैं, उसके बाद जैसे गंगा, यमुना आदि नदियों के समुद्र में प्रविष्ट होने पर उनका नाम और निकास निशेष हो जाता है, उसी प्रकार ब्राह्मण-आदि वर्ण प्रमण धर्म में दीक्षित होने पर निशेष हो जाते हैं।’

लेकिन इतने मात्र से समस्या हल न हुई। लोग समझ गये कि भिन्नकों की संख्या बढ़ाने का यह प्रोपेरैट्डा मात्र है। परिणाम वही हुआ कि वर्ण-ब्यवस्था या जातीय ऊँच नीच आव के हटने से जो समाज की आर्थिक विषमता दूर हो सकती, वह नहीं हो सकी। देखा जाय तो समाज की दासता और वरिद्रता दूर करना बुद्ध और महावीर के कार्यक्रम का

अग न था, यह बात दूसरी है कि उनके सात्त्विक उपदेशों से जातीयता की भीषणता कुछ हल्की जरूर पढ़ी थी।

सम्राट् अशोक की मृत्यु के बाद भारतवर्ष विदेशी आक्रमणकारियों का अपाइ घन गया। भारतीय व्यापारी और बौद्ध भिजुओं के मुँह से जैसेन्जैसे विदेशियों ने यहाँ की घन सप्ति और माल-जग्जानों के दास्तान सुने उनके मुँह में पानी भर आया। इसीलिए हम देखते हैं कि २०० ई. पू. से लेकर ईसवी सन् की पाँचवीं सदी तक हिन्दुस्तान में लगातार विदेशी आक्रमण होते रहे। ईसवी सन् के पूर्व पहली-दूसरी शताब्दि में सोरियन और ग्रीक लोगों ने पजाब को जीत लिया। ईसवी सन् की पहली शताब्दि में सम्राट् कनिष्ठ ने काबुल, काशगर और यारकन्द से गुजरात और आगरा तक अपना राज्य स्थापित कर लिया। फिर कम्बोजियन और काबुल की अन्य जातियों ने यहाँ पदार्पण किया और पाँचवीं सदी में हूए लोग पश्चिमी भारत में आकर फैल गये।

इन आक्रमण-कारियों का निराकरण करने के लिए जरूरी था कि सगठित रूप से उनका मुकाबिला किया जाता। लेकिन परिस्थिति कुछ दूसरी थी। एक ओर बौद्धधर्म चत्रिय राजाओं के विद्रोधी ग्राहण शत्रु का साथ दे रहे थे, दूसरी ओर इव्वत् चत्रिय परस्पर की फूट के कारण कमज़ोर हो रहे थे। बात यह थी कि उस समय छोटे छोटे गणतंत्र भारत में इतस्तत विखरे हुए थे। उनमें दो-चार को छोड़कर धाकी आजकल के अमेरिका के समुक राज्य तथा फ्रास आदि के सुकाबिले में बहुत छोटे थे।

महाभारत में इन राज्यों के विषय में कहा गया है कि चस समय घर घर में राजा थे, सब अपना मनचाहा करते

ये। ये लोग साम्राज्य के अधिकारी नहीं थे और सम्राट् शब्द का उपयोग ही कठिन हो गया था क्षि। गण-राज्यों की यहुसंख्या होने के कारण प्रबन्धकर्ताओं को मन्त्र गुप्त रखना कठिन हो गया था तथा पारस्परिक ईप्पों, द्वेष और कलह के कारण राजाओं में सार्वजनिक द्वित की ओर से उदामीनवा आ गयी थी।

दीर्घनिकाय में वैशालि के लिच्छवियों के विषय में कहा है कि जब मगध के राजा अजातशत्रु ने उन पर चढ़ाई कर दी तो आन्तरिक कलह और पारस्परिक अविश्वास के कारण कोई भी शत्रु का मुकाबिला बरने न आया और अजातशत्रु सुले द्वारों वैशाली में घुस गया। अपनी इस चरित्रहीनता को छिपाने के लिए, आगे चलकर शारीरिक अथवा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के स्थान पर आध्यात्मिक स्वतंत्रता के गीत गाये जाने लगे तथा ऐहिक जीवन को ज्ञाणिक मानकर दासता और अदासता दोनों को कल्पित मान लिया गया। कहना न होगा कि विदेशी आक्रमणकारियों ने इस परिस्थिति का यथेष्ट लाभ उठाया और वे विजयी बनकर हिन्दुस्तान पर शासन करने लगे।

जो कुछ भी हो, इस समय बौद्धधर्म ही एक ऐसा धर्म था जो विदेशी जातियों को पचा सकता था। अतएव ये जातियाँ बिना किसी कठिनाई के ज्ञानियों में मिला ली गयी और वे बौद्धधर्म के आचार-विचारों को पालने लगी। लेकिन

क्षि एह रहे हि राजान् स्वस्थ स्वस्थ प्रियकराः ।

न च साम्राज्यमानास्ते सम्राट् शब्दो हि कृच्छ्रभाक् ॥

[ समाप्त ३५-२ ]

चत्रिय राजाओं की पूट फा फ्रायदा उठाकर ब्राह्मण लोगों ने पर्याप्त शक्ति फा संचय कर लिया था और वे बौद्ध और उनके अनुयायियों को नीची निगाह से देखने लगे थे, यहाँ तक बौद्ध शब्द शूद्र का ही पर्यायवाचा माना जाने लगा। ऐसी हालत में अवसर पाते ही फ़ानून पना दिये गये जिससे क्षतिप्रय शासक तथा पदवीधारी लोगों को छोड़कर आगन्तुक जातियों के घटुसख्यक सदस्यों की गणना शूद्रों में की जाने लगी। मनुरमृति ( १०-४३, ४४ ) में कहा है कि पौराण्क, उड़ू द्रविड़, फघोज, यवन, शक, पारद, चीन, किरात, दरद, खस आदि जातियाँ पहले चत्रिय थीं, लेकिन कालक्रम से धार्मिक कृत्यों के अभाव में तथा ब्राह्मणों की पूजा-प्रतिष्ठा न करने के कारण वे वर्ष्यसङ्कुर जाति में गिनी जाने लगीं। इसी प्रकार दक्षिण भारत की गोड़, कोल आदि अनार्य जाति के क्षतिप्रय सदस्यों को छोड़कर घटुसख्यक सदस्य गोड़, भील आदि ही रह गये जो आजतक अपने मालिकों की मजदूरी, बेगार आदि करके अपना पेट पालते हैं।

वैदिक काल में यज्ञकुण्ड में अग्नि स्थापित करते समय चढ़ई वेदों की शृंखाओं का पाठ कर सकता था, लेकिन वेदोत्तर काल में उसकी गणना असत् शूद्रों में होने लगी और ब्राह्मणों ने उसके हाथ का पानी पीना छोड़ दिया। पतञ्जलि के समय घोबी लोग ब्राह्मणों को थाली में भोजन कर सकते थे और मौज घोकर वह थाली फिर से काम में आ सकती थी, लेकिन वे भी असत् शूद्रों में गिने जाने लगे। इसी प्रकार पराशर रम्ति के अनुसार ब्राह्मण दास, नाई, ग्वाले आदि के घर उधाले हुये चावल खा सकता था, लेकिन आगे चलकर यह असंभव हो गया। ( डा० भूपेन्द्रनाथ दत्त 'स्टडीज इन सोशल पॉलिटी,

पृष्ठ ३४२-३)। वंगालके सुवर्ण-घणिकों के विषय में प्रसिद्ध है कि राजा वल्लाल सेन भगध पर चढ़ाई करने के लिये उनसे रुपया चाहता था। उनके मना करने पर राजा ने उन्हें निकाल बाहर किया। जो घणिक वगाल में रह गये, उन्हें पतित घोषित कर दिया गया और ग्रामणों ने उन्हें पढ़ाना और उनके घार्मिक त्यौहारों पर आना-जाना बन्द कर दिया।

बौद्ध धर्म के ज्ञाण होने पर गुप्तकाल में पौराणिक हिन्दू धर्म की स्थापना हुई। इस काल में धैदिक देवताओं का स्थान अद्वा, विष्णु और महेश को मिल गया इन्द्र स्वर्ग के देवताओं का अधिनायक बन गया और उसको सभा राजा का दख्कार बन गयी। पहले की तरह इन्द्र अब दस्युओं का संहार नहीं करता, बल्कि देत्य, राज्ञि आदि दानव उसे हरा देते हैं और वह आखिर में विष्णु भगवान् की शरण में पहुँचता है। गुप्तकाल में महाभारत, रामायण, पुराण आदि के नये सस्करण हुए तथा विष्णु, नारद और पराशर स्मृति प्रथों की रचना की गयी। विष्णु-स्मृति में बौद्ध और कापालिक आदि साधुओं का दर्शन अशुभ दर्शन बताया गया तथा मलेच्छ और अन्त्यजों के साथ भापण करने का और म्लेच्छ देशों में गमन करने का नियेघ किया गया। धीरे-धीरे आर्य-वर्ती और दक्षिणापथ की जगह हिन्दुस्तान भारतवर्ष के नाम से पुकारा जाने लगा।

वैसे सम्राट् हर्षवर्धन ( ६००-६५० ई० ) के समय उच्च वर्ण के लोग निम्न वर्ण के लोगों के साथ विवाह कर सकते थे। स्वयं हर्षवर्धन की कन्या और वहन की शादी ज्ञत्रियों से हुई थी। इसी प्रकार गुप्तकाल में जातियों में प्रादेशिक अन्तर नहीं था। सब जाग्रण एक थे और नव में परस्पर

विवाह-शादी और सान-पान होता था। पचद्रायिद, पंचगोड़, गुजराती, दक्षिणी आदि भेद उनमें नहीं थे। वे अपनी शारीर और चारन से पहचाने जाते थे। सातवीं सदी के अन्त तक ग्राम्य अपने गोत्र और सूत्र का उल्लेस करते हुए पाये जाते हैं, यद्यपि आजकल के ग्राम्यों को इन दोनों का पता नहीं, हाँ वे इतना ज़रूर जानते हैं कि वे कनौजिया हैं या सनाद्य। अन्य वर्णों के विषय में भी यही धात थी। ज़मियों में यात्री और राजपूत, तथा वैश्यों में महेसरी, अग्रवाल आदि भेद नहीं थे और उत्तर तथा दक्षिण के लोगों में रोटी बेटी का व्यवहार होता था। (सी० थी० धैया, हिस्ट्री आफ मेडिवल, हिन्दू इंडिया भाग १ पृष्ठ ६७)। लेकिन इस समय से धीरे-धीरे वर्ण व्यवस्था भारतीय जीवन का मुख्य अग बनती गयी जिससे जाति-उपजातियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती गयी और शूद्रों की दशा गिरती गयी।

हर्षवर्धन के राज्यकाल में भारत की यात्रा करनेवाले चीनी यात्री फाहियान ने लिखा है कि शूद्रों में चारण्डाल सबसे अधम समझे जाते थे। वे प्राय मच्छ्रीमार, शिकारी आदिका पाम करते थे और नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी से ढोल बजाकर अपने आने की सूचना देते थे जिससे लोग मार्ग से हट जायें और उनका स्पर्श बचाकर चलें। इसी प्रकार यशोधर्मन् और विष्णुधर्म के मदसौर के शिलालेख (५३३-३४ ईसवी सन्) में चारों वर्णों के अलग अलग लाभ घताये गये हैं। हर्षवर्धन के पिता प्रभाकरवर्धन ने भी वर्ण और आश्रम-व्यवस्था को व्यवस्थित किया था। गुप्तकालीन कवि कालिदास ने कहा है कि राजा को वर्णश्रम धर्म का रक्षक होना चाहिए जिससे प्रत्येक वर्ण अपने सहज कर्म कर सके। इससे मालूम

- होता है कि गुप्तकाल में जैसे-जैसे ब्राह्मणों को जमीन आदि
- फिर से दान में मिलने लगी, उनका प्रभुत्व घटने लगा और
- जात-पाँत के बन्धन दृढ़ होने लगे।

बौद्ध धर्म के उपासक वैश्य भी ब्राह्मणों के कोप से न बच सके। पहले तो ब्राह्मणों ने वैश्यों को अपनी और आकर्षित करने के लिये उन्हें समुद्र-यात्रा की आशा का विधान कर तथा -समुद्रगुप्त आदि वैश्य सम्राटों के हाथ अख्यमेघ यज्ञ आदि कराकर उनके प्रति उदारता का प्रदर्शन किया। लेकिन जब उनका बौद्ध धर्मानुराग कम होता हुआ दिखाई न दिया तो -उनसे द्विजातियों के अधिकार छीनकर ज्ञात्रियों की तरह उन्हें भी शुद्र की कोटि में ला पटका। वस्तुतः सुनार, लुहार आदि -पेशेवर मूलवरः वैश्य थे, बाद में इनकी गणना शूद्रों में की जाने -शरी।

सातवीं सदी के चीनी यात्री होनसांग ने अपने विचरण में लिखा है कि उस समय बौद्ध धर्म के साथ साथ ब्राह्मण धर्म -का प्रभाव बढ़ रहा था। उत्तर पश्चिमी प्रांत में बौद्ध धर्म का हास हो रहा था, तथा काश्मीर से मधुरा तक और मध्यदेश, पूर्व भारत तथा दक्षिण में ब्राह्मण पुरोहितों का प्रभाव चढ़ता जाता था। शूद्रों के पश्चात् पंचम जाति के विषय में हुनसांग ने लिखा है कि ये कसाई मद्दुए, बल्लाद या मगी का काम करते थे। उनके मकानों पर अलग निशान बना रहता था और ये लोग नगर के बाहर रहते थे। जब कोई उच्च वर्ण का आदमी रास्ते में इन्हें मिल जाता तो वे आँख बचा कर बाई ओर -को चले जाते और जल्दी से अपने घर में पुस जाते थे।

ऐसी परिस्थिति में जैनों ने तो घुटने टेक दिये। उन्होंने

ब्राह्मणों के साथ समझौता कर उनका प्रभुत्व स्वीकार कर लिया था। आवश्यक चूर्णि [ उभी शताब्दि ] में कहा है कि राजा भरत ने ब्राह्मण वर्ण को अन्य यणों से विशिष्ट सिद्ध करने के लिए उन्हें काकिणों रन्न से चिह्नित किया था और वे उन्हें प्रतिदिन भोजन दान देते थे। निशीयचूर्णि में यताया गया है कि ब्राह्मण लोग स्वर्ग के देवता हैं, प्रजापति ने उन्हें पृथ्वा पर देवता के रूप में सजित किया है, अतएव उन्हें दान करने से पुण्य होता है। दसवीं ख्यारहवीं सदी के दिगम्बर विद्वान् जिनसेन ने तो ब्राह्मणों की अग्निपूजा, सूर्यपूजा यज्ञोपवीत-विधि तथा चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को पूरी तरह से अपना कर जैन धर्म की विशिष्टता को ही समाप्त कर दिया और जिस जातिवाद का समूल नाश करने का महावीर ने बीड़ा उठाया था, अन्त में उसी को स्वीकार कर लिया। लेकिन इन चतुराई से सभवत यह लाभ हुआ कि जैनधर्म भारत में टिका रहा, वो धर्म की नाई अस्तगत नहीं हुआ, यद्यपि बगाल घिर की सराक [श्रवाक] आदि जातियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा—यहाँ तक कि उनकी गणना ही अनार्य जातियों में की जाने लगी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे पञ्चनद से गङ्गा उपत्यका में प्रवेश करने के बाद ऋग्वेद के आर्य धर्म का होता गया, उसी प्रकार ईसवी सन् के बाद बौद्ध धर्म का भी होता गया तथा ईसवी सन् की छठा शताब्दि में वह प्रायः हिन्दू धर्म में घुल भिल गया। इस समय फिर ब्राह्मण वर्ग ने अपना प्रभुत्व कायम किया और वर्णनिर्णय के लिए जन्म की प्रधानता को हमेशा के लिये स्वीकार कर लिया गया। वसुव ब्राह्मणों ने राज्य में अनेकों उथल-पुथल मचने पर भी

एक प्रकार के कायमी शेणी विभाग की रचना की थी अंग संसदी अर्थात् उस षग की सम्मति और संस्कृति का सुरक्षित रखा था। ऐसी द्वालत में लोगों ने उनकी व्यवस्था का अपरित्याज्य मानकर उसका अनुगमन किया हो तो इसमें आश्चर्य की घाव नहीं।

---

## अध्याय तीसरा

### इसलाम और जाति-व्यवस्था

[ ७०० रुपये — ८०० रुपये ]

सन्नाट् दृष्टिवर्धन की भूत्यु के पश्चात् भारत का प्राचीन ऐतिहासिक युग समाप्त हो जाता है। इस समय राजपूत लोगों ने अपने मूल रथान पश्चिमी भारत से उत्तर और पूर्व की ओर फेलकर हिमालय प्रदेश, गङ्गा-जमना की उपत्यका तथा गुजरात से उड़ीसा तक अपना राज्य कायम कर लिया था। यहाँ तक कि मुसलमानों के आने से ठीक पहले पजाब से दक्षिण तक और पजाब से अखबसागर तक कुरीघ-कुरीच सारा देश राजपूतों के शासन में आ गया। कोई प्रधान केन्द्रीय शक्ति इन सब छोटी बड़ी रियासतों को वश में रखने वाली न थी, और आए दिन इन में संग्राम होते रहते थे, जिससे राजनीतिक या राष्ट्रीय एकता केवल स्वप्न मात्र रह गई थी।

राजपूत शासन-काल में उत्तर भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। इस समय इसी सन् की चौथी शताब्दि में राजा समुद्रगुप्त द्वारा पराजित लाट, पंथाल, अर्जुनार्पण, यादव, मालव, कोशल, बत्स, शक

अनर्तविदेह, कुरु, मत्स्य तथा चेदि आदि अनेक जातियाँ नष्ट प्राय हो चुकी थीं, और उनके स्थान पर गुर्जर, राष्ट्रकूट, गहरवार, कलचूरि, घटेल, चौहान, परिहार, तोमर, पनवार और सोलकी लोग आर्विभूत हो गये थे। इसी प्रकार समुद्र से लेफर समुद्र पर्यन्त दिग्बिजय करने वाले चक्रवर्ती राजाओं के स्थान पर अब छोटे छोटे राज्यों में बँटे हुए जागीरों के भालिक राजपूत दिखाई देने लगे थे।

स स्कृति और व्यापार आदि के केंद्रों में भी भारी परिवर्तन हो गया था। मगध का साम्राज्य अब नहीं रहा था, पाटलिपुत्र और गया शोभाविहीन हो चुके थे, तथा बोद्ध धर्म के ऐन्द्र वैशाली, राजगृह, कुसीनगर, कपिलवस्तु, आवस्ती आदि नगर उजाड़ हो गये थे। मध्यदेश के स्थान पर पश्चिम और सुदूर पूर्व प्रदेश राजनीति का केन्द्र बन गये थे, जिससे कञ्जीज, ग्वालियर, दिल्ला, अण्हिलवाड़ा और अजमेर तथा गौड़ प्रदेश का महत्व घट गया था।

धार्मि क बातावरण भी तेजी से बदल रहा था। हर्ष-कालीन भारत बोद्ध या शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन न्यारहवीं सदी भू मुसलिम लात्रा अलवेरूनि के समय अवस्था की बदल चुकी थी। बोद्ध धर्मानुयायी शास्त्र अथवा शाखिक लोग बगाल में पहुँच गये थे, जिनमें सुदूर पश्चिम, शुनरात और राजपूताना में जा पहुँचा था, तथा भारत का गुरु धर्म दिनदूरधर्म माना जाने लगा था। वैसे तो गुप्त काल में पहले से ही माद्यणों का प्रमुख नृपतु रहा था लेकिन अप सीधियन, हूण, शक आदि विदेशा जातियों को शास्त्रियत्व का दाता देने के कारण वे माद्यण सो न और प्रभावशाली

हो गये थे। अक्लबेरुनि ने किया है कि अधिक संख्यक वैश्य शूद्र होते जा रहे थे। न ये वेद पाठ कर सकते थे, और न वेद सुनने का उन्हें अधिकार था। इस निःम का उलंघन फरने पर उन्हें राजा के सामने खड़ा किया जाता था, और उन्हें फठोर से कठोर दण्ड दिया जाता था।

वास्तव में राजपूतों का शासन-काल पारस्परिक फलह और प्रतिद्वंद्विता का काल था। उस समय सम्प्रदाय और जाति-भेद के कारण भिन्न भिन्न सम्प्रदाय और जाति के लोग एक दूसरे को परकीय समझते थे। तथा राष्ट्रीय एकता न होने से देश बड़ी छिन्न-भिन्न अवस्था में था। उस समय युद्ध में हार जाना जीवन की सब से बड़ी हार समझी जाती थी, इसीलिये अपनी आन रखने के लिये राजपूत लोग खूब डट कर युद्ध करते थे, और अपना सर्वोच्च न्योद्धावर फरने के लिये फटियद्व रहते थे। युद्ध में मरणगति पाना श्रेयकर समझा जात था, और युद्ध में लड़ते-लड़ते अपने पति को खो देने पर राजपूत रमणियों अपनी सखियों को संबोधन करके घड़े गौरव के साथ कहती थी—

‘हे वहन, अच्छा हुआ जो मेरा पति युद्ध में काम आ गया, क्योंकि यदि वह रणज्ञेत्र से भागकर आता तो मुझे अपनी सखियों में मुँह दिखाना कठिन हो जाता।’<sup>x</sup>  
लेकिन इससे क्या हो सकता था?

<sup>x</sup> भल्ला हुआ शु मारिशा बहिणि महारा कन्तु।  
लड्जेड्ज द्व वप चिश्चहु जह भगा घर एन्तु॥

बात यह थी कि देश के ऊपर कोई बाह्य आक्रमण होने पर साधारण जनता यही समझती थी कि देश की रक्षा करना यह ज्ञानियों का ही काम है, और उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं। यही कारण है कि जब इस देश पर यवनों ने चढ़ाई की तो पन्तजलि अपने शिष्यों के साथ व्याकरण के सूत्रों का पठन-पाठन करते थे। विरोधी राजा के आक्रमण होने पर बहुसंख्यक चौद्ध और जैन भिज्ञ अपने अपने मठों और चपाश्रयों में शान्ति पाठ पढ़ते थे ! सच पूछा जाय तो राजाओं की निरंकुशता देखते-देखते साधारण प्रजा उनकी ओर से चदासीन सी हो गई थी, अतएव राजा यदि सदाचारी हुआ तो ठीक, नहीं तो लोग राज्य परित्याग कर अन्यत्र जा यसते थे। इधर यह हाल था, और उधर इसलामी सेना का प्रत्येक सिपाही अपने आपको रसूल का सिपाही मानता था और कुफ्र को मिटाना अपने दीन का अङ्ग समझता था। ऐसी हालत में यह स्वाभाविक था कि जहाँ राजपूतों की सेना ने इथियार ढाले कि युद्ध समाप्त हो जाता था, और उस प्रदेश पर शत्रु अधिकार कर लेता था।

मुसलिम आक्रमणकारी हिन्दुओं की इस कमज़ोरी से भली-भाँति परिचित थे। १३वीं सदी के आरम्भ होने के पहले ही उन्होंने उत्तर भारत को अपने अधिकार में कर लिया। और पश्चीम घर्प के अन्दर-अन्दर उनकी कीज़ों ने पंजाब से आसाम तक और कारमीर से यिन्ध्यप्रदेश तक धाया छोला दिया। इसमें सन्देह नहीं कि राजपूतों ने जी सोड़ कर युद्ध किया, लेकिन संगठित होकर युद्ध फरने की दूर-दरीता उन्होंने नहीं दियाई। फल यह हुआ कि भारत का राष्ट्रीय शरीर निर्याल और असगठित होने के कारण उत्तर

के प्रचण्ड आक्रमण-कारियों के सामने यहां रह सका, जिससे शाहबुद्दीन गोरी के सामने विल्लीपति पृथ्वीराज को घुटने टेक देने पड़े, फुतुबुद्दीन के सेनापति बस्तियार रिजलजी का नाम सुनते ही बंगाल का अंतिम राजा लालमण सेन अपने महल के पिछवाड़े से चुपके से निकल भागा, और एक दिन के अन्दर बिजयनगर के राजा कृष्ण राय की सत्ता और धन-सम्पत्ति छीन कर धरधाद कर दी गई।

यह युग भारत के लिये अंधकार का युग था। इस समय बौद्ध धर्म लुप्तप्राय हो गया था, और वैष्णव शैव और शाक भूत ने उसकी जगह ले ली थी। जैनों को जवरन शैव बनाया जारहा था, कुछ ने ब्रह्मणों से समझौता कर लिया था। उधर एक खुदा और एक रसूल के विश्वास से प्रेरित होकर गुस्तलमान विजेता संसार-भर में इसलामी हुक्मत कायम करने के स्वप्न देख रहे थे, जिससे राष्ट्र की शक्ति जर्जरित हो रही थी। ऐसी परिस्थिति में भारतीय समाज के कर्णधार एक मान्त्र ब्राह्मण ही रह गये थे, जो मनमाने ढंग से समाज को चलाना चाहते थे।

उस समय की परिस्थिति का दिग्दर्शन कराते हुए अब बेरुनि लिखता है—‘जिनसे उनका (आयों का) भत्तेद है उनको वे म्लेच्छ के नाम से पुकारते हैं, और उनके साथ किसी प्रकार का संबंध, विवाह आदि नहीं करते; यहाँ तक कि उनके साथ खाना, पीना और बैठना भी अनुचित समझते हैं, क्योंकि इससे वे भ्रष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु किसी अन्य के जल्ह इत्यादि से स्पर्श कर जाय उसे वे अपवित्र समझते हैं, और उस अपवित्र वस्तु को साफ़ करके भी

प्रयोगमें लाना नहीं चाहते। हमारे आचार और हमारी रीतियाँ उनसे इतनी मिज्ज हैं कि वे हमारे नाम, वख और रीतियों से अपने यात्रकों को भयभीत करते हैं, और हमें असभ्य कहते हैं, क्योंकि हमारी कियायें उनके सर्वथा विरुद्ध हैं।... : ... आयों की यह जातीय विशेषता यह गई है और वे यह समझते हैं कि संसार में हमारी जाति जैसी कोई जाति नहीं, हमारे देश जैसा कोई देश नहीं है, हमारे राजाओं के समान कहीं राजा नहीं हैं, हमारी विद्यायें जैसी कहीं विद्यायें नहीं हैं, और हमारे धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। वे लोग बड़े अभिमानी, स्वार्थी और प्रत्येक बात पर गर्व करने वाले हैं। यदि वे विदेश-यात्रा करें तो उनका यह विचार दूर हो जाय। उनकी अपेक्षा उनके पूर्वज कहीं उच्च हृदय के ने।”

सच पूछो तो यह आद्धरणों की कृपा का फल था कि यहाँ की गोड़ आदि आदिम जातियों को शूद्रत्व की दीक्षा दी जा रही थी और कायस्थ, सुनार, लुहार, घोबी, जुलाई और बढ़ई आदि निम्न वर्ग के लोगों को अन्त्यज, म्लेच्छ या चांडाल घोषित कर अस्पृश्य बनाया जा रहा था। अलवेदनि ने अपने भारत विवरण में अन्त्यजों की गणना शूद्रों के पश्चात् की है, जो चार वर्णों में से किसी में सम्मिलित नहीं किये जाते थे और न उनके साथ रह सकते थे। मोची, जादूगर, धींघर, बोम आदि इस जाति में गिने जाते थे।

समाज को अपने शिकंजों में जकड़ लेने के पश्चात् आद्धरणों ने अपने आपको भूदेव, भूपति आदि कहलवाना शुरू कर दिया और निम्न वर्ग का शोपण कर अपना पेट भरने लगे। इस समय उन्होंने अनेक चलटे-सीधे कानून बनाये।

जैसे, ब्राह्मण की हत्या करने से खाँसी का रोग हो जाता है, इसे दूर करने के लिए चार तोले सोने का कमल घनाकर ब्राह्मणों को दान देना चाहिये; किसी निरपराधी ज्ञात्रिय का वध करने से मनुष्य को उबर हो जाता है, और इसका शमन करने के लिए १३ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए (आयने अकबरी, फ्रासिस ग्लैडिविन का अनुवाद पृष्ठ ७१७), इत्यादि। अपनी घन-लालसा शान्त करने के लिए ब्राह्मणों ने धीरे-धीरे मंदिरों का महत्व घदा दिया, जिसके फलस्वरूप जगह-जगह मंदिरों का निर्माण होने लगा, उनमें अतुल घन-राशि का संचय होने लगा, और इस सम्पत्ति के मालिक घने ब्राह्मण।

आयने अकबरी में लिया है कि सोमनाथ के मंदिर में भगवान् पर इतना प्रसाद चढ़ाया जाता था कि उससे २० हजार आदमियों को भोजन कराया जा सकता था। दिन्दुस्तान के राजा-महाराजाओं की ओर से इस मंदिर को १० हजार गाँव दान में मिले हुए थे, १ हजार ब्राह्मण यहाँ पूजा करते थे, २०० मन सोने की यहाँ एक मोटी जबीर लगी थी जिसमें घटियाँ बैंधी हुई थीं, ५०० नर्तकियाँ और २०० गायक-बादक यहाँ काम करते थे, जिनका खर्च मंदिर के दान-द्रव्य से चलता था। कितने ही राजा अपनी कन्यायें इस मन्दिर को समर्पित कर देते थे। इम मन्दिर से जितना सोना-ज्वाहिरात महमूद गज़नवी ने लूटा था, उसका सौवाँ हिस्सा भी किसी राजा के फोप में न था। नगर कोट और भयुरा आदि के मंदिरों से भी लाखों करोड़ों की सम्पत्ति लूटी गई थी। आश्चर्य है कि महमूदगज़नवी अपनी सेना को सुरक्षित बचाकर वापिस लौट गया,

और हिन्दुस्तान के ब्राह्मण और ज्ञनिय हाथ पर हाथ रखते थे। शायद वे समझते थे कि मंदिर में से भगवान् उठेंगे और वे स्वयं सब म्लेच्छों का महार कर डालेंगे।

अर्थात्, वह मानना होगा कि मुसलिम सकृति भारतीय जनता के लिये एक नया सरेश लेकर अवतरित हुई थी। इसलाम आरम से ही एक ईश्वर का मानने वाला था। उसके सिद्धान्त सीधे सादे और सरल थे। 'भारतीय समाज जातिगत विशेषता रखते हुए व्यक्तिगत धर्म साधना को मानता था, जब कि इसलाम जातिगत विशेषता को लोपकर समूद्र गत धर्म-साधना का प्रचार करता था।' इसलाम में हिन्दुओं के समान, मनुष्य मनुष्य में अन्तर नहीं था, उसके अनुसार छोटे से छोटा आदमी भी मसजिद में जाकर नमाज पढ़ सकता था, कुरान का पाठ कर सकता था, सबके साथ एक अगत में चैठकर भोजन कर सकता था, और किसी भी जाति की स्त्री के साथ विवाह करने की उसे छूट थी। इधर हिन्दू धर्म में ये बात नहीं थीं, वह नाना धर्म और सम्प्रदायों में बँटा हुआ था, अनेक देवी देवताओं में विश्वास करता था, और नीच जातियों के साथ कठोर से कठोर बरताव करता था।

ऐसी परिस्थिति में ब्राह्मणों की चलाई हुई वर्णन्यवस्था को बड़ी विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ा। अब तक वर्णन्यवस्था का कोई प्रतिद्वंद्वी न था, और ब्राह्मण लोग अपनी मनमानी करते थे। इसके फलस्वरूप आचार भ्रष्ट रूपकि समाज से पूर्यक कर दिये जाते थे, और उनकी एक नई जाति बन जाती थी। इस तरह सैकड़ों जातियाँ और उप-जातियाँ बनते रहने पर भी वर्णन्यवस्था

चलती जा रही थी। लेकिन अब सामने एक प्रतिद्वंद्वी समाज आकर खड़ा था जो प्रत्येक जाति को आत्मसात् करने को तैयार था, वशर्तेकि वह जाति उसके धर्म-मूर्ति को श्वीकार कर ले। इससे समाज द्वारा दड़ पाकर बहिष्कृत होने वाले व्यक्ति को इसलाम जैसे सुसंघटित और उदार धर्म का आश्रय पाकर बड़ी सान्त्वना मिली, जिससे हिन्दू जनता धर्म-परिवर्तन कर समूह रूप से इम लाभ में दीक्षित होने लगी। .

.नाथ पंथी योगियों को ही लीजिये। ये लोग एक प्रकार के योग की साधना करते थे और वायु को रोक कर इसी लोक में सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। ये न भौतिक धर्म को मानते थे और न वर्णाश्रम के कायल थे। योगियों के पूर्व-खर्ती सहज यानी सिद्ध सरोकृपाद ने जातीयता का जोरदार राखड़न करते हुए लिया है—‘ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से जब पैदा हुए थे तब हुए थे। इस समय तो वे भी वैसे ही पैदा होते हैं जैसे दूसरे लोग तो किर ब्राह्मणत्व कहा रहा।’ यदि कहो कि सरकार से ब्राह्मणत्व होता है तो चाहड़ाल को भी सरकार देकर क्यों नहीं ब्राह्मण हो जाने देते? यदि आग में घी ढाल देने से मुक्ति होती हो, तो क्यों नहीं सबको ढालने देते? होम करने से मुक्ति होती हो या नहीं, धुआँ लगाने से आँखों को कष्ट ज़हर होता है?

नाथ पंथी योगियों में सिद्ध, साधक और अवधूतों के सिवाय, बहुत से आधम-भ्रष्ट ग्रहस्थ भी होते थे, जो हिन्दू समाज में अति निकृष्ट समझे जाते थे। उत्तर भारत की गोसाई, वैरागी, अरीत, साध, जोगी आदि जातियाँ, वथा

दक्षिण भारत को आरटी, दासरी आदि जातियाँ इसी प्रकार के भ्रष्ट सन्यासियों को सन्तुति हैं, जिनका समावेश न किसी आधम-व्यवस्था के अन्तर्गत होता है न वर्ण-व्यवस्था के।

हजारी प्रसाद द्विवेदी, कवीर पृ. १०

महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सन्त शानेश्वर इसी तरह की सन्तान थे, इसीलिए ब्राह्मणों ने उन्हें यज्ञोपवीत देने की मनाई कर दी थी। जोगियों में भिन्न भिन्न जाति के आश्रम भ्रष्ट लोगों की सन्तुति शामिल थी। ये लोग न स्थूरयात्रृत्य मानते थे, और न भगवान् के अवतारों में विश्वास रखते थे। इन लोगों के मृतक आदि संकार हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमानों से अधिक मिलते-जुलते थे।

मुसलमानों के आगमन के समय भारत के पूर्व और उचर प्रदेशों में सबसे प्रबल सम्प्रदाय इन्ही नाथपथी योगियों का था। सन् १६२१ की मनुष्यगणना के अनुसार, अकेले बगाल में इनकी संख्या २,६५,६१० थी। इतने बड़े जनसमूह को केवल अपनी जातीय उच्चता सुरक्षित रखने के लिए ब्राह्मणों ने मुसलमान हो जाने दिया। नाथपथियों के अतिरिक्त वज्रयानी, सहजिया, कालचक्रयानी आदि बहुसंख्यक वौद्धों ने या तो इसलाम धर्म प्रहरण कर लिया या या वे ब्राह्मण धर्म को स्वीकार करने के लिए वाघ्य किये गये थे। जिन लोगों ने ब्राह्मणों के आचार-विचारों को अधिकार रूप में स्वीकार किया उन्हें नवशाल, और जिन्होंने अपना पृथक व्यक्तित्व रखना चाहा उन्हें अनाचारणीय जाति में सम्मिलित कर दिया गया।

इन योगियों के अलावा अनेक वौद्ध, तथा राजपूत, जाट,

गुर्जर आदि जातियों ने इसलाम 'धर्म स्वीकार कर लिया था। इसी तरह ग्राहणों द्वारा निन्दित अफगानिस्तान, बल्कि तान, सिध, तथा पंजाब और चंगाल नामक प्रदेशों के बहुसंख्यक निवासी मुसलमान बन गये थे। रिसली ने अपनी 'पीपल ऑफ इन्डियॉ' [पृ. २३६] में लिखा है कि दक्षिण हिन्दुस्तान में कितनी ही हिन्दू जातियों ने इसलिए इसलाम धर्म प्रदाण कर लिया कि ग्राहण इन जाति के लोगों को हिन्दू-मंदिरों में नहीं जाने देते थे, और उन्हें बाहर खड़े होकर पूजा करने को कहते थे। इसी तरह बहुत से माली, कहार, गोवाला, नापित, बेलदार आदि मुसलमान होते जा रहे थे।

सत्त्वधर्मी नामक तांत्रिक घौंद तो मुसलमानों को धर्म-ठाकुर का अवतार ही समझने लगे थे। रमाई पटित ने 'शून्य पुराण' में कहा है—'सत्त्वधर्मियों के ऊपर किये जानेवाले ग्राहणों के अत्याचार सुनकर सब दैवी-देवता इकट्ठे होकर जयपुर आये, और वहाँ के मन्दिर और मठों को नष्ट कर अपने अनुयायियों की रक्षा करने लगे। उस समय ब्रह्मा मोहस्मद के रूप में उपस्थित थे, विष्णु पैशाच्यर के रूप में, शिव आदम के रूप में, गणेश राज्यी के रूप में, कार्तिक काजी के रूप में, नारद शेख के रूप में, तथा इन्द्र मौलाना के रूप में। स्वर्ग के ऋषियों ने कक्षीयों का बाना बनाया था। और सूर्य, चन्द्र आदि देवता प्यादों के रूप में आये थे, और वे दोल बजाते हुए कृच कर रहे थे। चंडी हयावीवी के रूप में मौजूद थी और पश्चावर्ती योद्धी नूर के रूप में। सब देवतागण पायजामा पहने हुए थे।' मालूम होता है कि मुसलिमों के आगमन से बौद्धों को आशा हो चली थी कि शायद फिर से उनके घमोद्वार का अवसर आ गया है।

जो कुछ भी हो हिन्दूधर्म और इसलाम की यह बड़े जोर की टक्कर थी। हिन्दू धर्मियों ने किसी को जोर-जबर्दस्ती से अपना धर्म आगीकार करने के लिये वाध्य नहीं किया था, लेकिन उनकी आँखों के सामने अब एक ऐसा धर्म मोजूद था जो अपने आचार विचार और मन को न मानने वाली जाति का कुफ तोड़कर उसे अपने में मिला लेना अपना कर्त्तव्य समझता था।

इससे एक फायदा जल्द हुआ कि इस विशाल जनसमूह का कोई नाम तक न था, वह अब हिन्दुस्तान कहा जाने लगा, और पहली बार उसके निवासी एक सूत्र में बँधकर एक दूसरे को मजदीक से देखने की कोशिश करने लगे। उस समय यहाँ ब्रह्मवादी, कर्मकाण्डी, शैष, वैष्णव, शाक्त स्मार्त आदि अनेक मत-मतान्तर प्रचलित थे, इन सब ने मिलकर छानबीन शुरू कर दी, और बहुत अहापोह के बाद सर्व सम्मत आचार प्रधान धर्मसत की स्थापना की।

लेकिन इससे राष्ट्र की कोई समस्या हल होती हुई दिखाई न दी, उल्टे जात पात के बधनों की जटिलता और सीमा हो गई।

इस समय दक्षिण भारत ने देश का नेतृत्व किया और शक्त, रामानुज, निम्यार्क, पसव, वल्लभाचार्य और माघवाचार्य को जन्म देकर वैदान्तभावित भक्ति का प्रचार कर मनुष्य मात्र की समानता का उपदेश दिया। दक्षिण भारत के इन धर्म प्रतिष्ठानों का कहना था कि मनुष्य को ईश्वर का सांशाक्तार करने के लिये किसी दलाल (माझाण) के पास

जाने की आवश्यकता नहीं, ईश्वर भक्ति से वह स्वयं ईश्वर को पा सकता है, और उसके लिये किसी जाति-विशेष में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं।

इसी सिद्धांत को लेकर शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन करते हुए शूद्रों के लिये संन्यास आदि की सुविधायें प्रदान की थीं, लेकिन उनके अनुसार वह मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता था, और द्विज जाति में जन्म लेकर ही वेदाध्ययन का अधिकारी हो सकता था। रामानुज आचार्य ने एकेश्वरवाद, भक्ति का उन्माद, प्रपत्ति आदि पर जोर देते हुए शूद्र जाति के लिये अपने वर्ण का द्वार खोला था, लेकिन वर्ण में किसी सास दिन ही वे लोग भंडिरों में प्रवेश कर सकते थे। बारहवीं सदी में वीर शैव या लिंगायत सम्प्रदाय के जन्मदाता वसव ने भी जातिवाद का विरोध करते हुए लिंगधारी भाद्रण चथा शूद्र को समान घोषया। वसव का कहना या कि प्रत्येक मनुष्य को मेहनत करके अपना पेट पालना चाहिये—मित्रावृत्ति का उन्होंने विरोध किया था। आठवीं सदी से पन्द्रहवीं सदी तक दक्षिण भारत का यह बहुपन कायम रहा।

तत्परतात् भक्ति मार्ग का प्रवाह दक्षिण से बहता बहता उत्तर भारत में पहुँचा, जहाँ रामानुज के शिष्य रामानन्द (जन्म १२६६ ई०)ने राम भक्ति का प्रतिपादन करते हुए चारों दणों की समानता पर ज्ञोर दिया। रामानुज के शिष्य ब्राह्मणों को ही पढ़ाते थे, और ये भ्राद्रण जातिगत दोष से घबने के लिये एकात् में भोजन पकाकर खाते थे। रामानन्द जय भारत के तीर्थ-स्थानों की यात्रा करके वनारस लौटे तो उन्हें प्राचरित्यव लेने को कहा गया, क्योंकि यात्रा के समय वे उक्त नियम का

पालन नहीं कर सके थे। लेकिन रामानन्द जी ने प्रापरिचत लेने से इन्कार किया, और वे रामानुज के सम्प्रदाय से अलग हो गये। वे अपने शिष्यों को अब्द्धूत नाम से पुकारते थे, और सब एक साथ बैठकर भोजन करते थे। इनके बारह शिष्यों में जाट, चमार, मुसलमान, तथा लौ शामिल थे। रामानन्द अपने शिष्यों को लोकभाषा में उपदेश देते थे।

रामानन्द जी के उपदेशों से भक्ति का आनंदोलन दो धाराओं में प्रकट हुआ, एक सगुण रूप में, दूसरा निंगुण रूप में। पहली साधना ने हिन्दू जाति की बाह्याचार की शुष्कता को आन्तरिक प्रेम से रोचकर रसमय बनाया, दूसरी ने बाह्याचार की शुष्कता को ही दूर करने का प्रयत्न किया। पहली साधना के प्रवर्तक थे तुलसीदास और दूसरी के कबीर। तुलसीदास जी ने प्राचीन शास्त्रों का सहारा लेकर श्रद्धा को पथ प्रदर्शक मान कर सगुण भगवान् को अपनाया, जबकि कबीर ने अनुभव और ज्ञान को सामने रखकर निंगुण भगवान् को इस देव स्वीकार किया।

वैसे तो तुलसी और कबीर दोनों ही भक्ति के उपासक थे, और दोनों ही शुष्क ज्ञान तथा बाह्याचार का विरोध करते थे, लेकिन जात पाँत या वर्णश्रम धर्म और बाह्य ढंगर पूर्ण हिन्दू धर्म में नई स्फूर्ति सचार करने के लिये जो मातिकारी भार्ग फवीर ने अपनाया, वह अन्य कोई न अपना सका। कबीरदास का जन्म सन् १३६८ई० में हुआ था उन्होंने घड़ी सीस्ती और मार्मिक भाषा में वेद पाठ, जप तप, यात्रा प्रत, तीर्थ ज्ञान, धूआ छूत, कर्मकान्ड आदि पर प्रहार किया। वे सारे हिन्दू-धर्म को ब्राह्माचार प्रधान ढकोसला मात्र मानते

ये, और पूजा, सेवा, नियम, व्रत आदि को गुड़ियों का खेल बताते थे। वे पंडितों से पूछते थे—वताओं द्वृत कहाँ से आ गई? पवन, वीर्य और रज के संबन्ध से गर्भाशय में गर्भ रहता है, फिर वह अष्टकमल इल के नीचे से उतर कर पृथ्वी पर आता है, ऐसी हालत में यह द्वृत कैसे आ गई? यही वह धरती है जिसमें चौरासी लाख योनि के प्राणियों का शरीर सह कर मिट्टी हो गया, इस एक ही पाठ पर परम पिता ने सब को चिठाया है, तो फिर द्वृत कैसे रही? (पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी, कवीर, पृ० १०)

‘हिन्दू और मुसलमान दोनों को ही कबीरदास ने खटी-खरी सुनाई है। वे कहते हैं—हिन्दू लोग उसे राम कहते हैं, मुसलमान रहीम। दोनों आपस में लड़-लड़ कर मरते हैं, धर्म को कोई समझता नहीं। मुझे बहुत से नेमी धर्मी मिले हैं जो प्रातः काल उठ कर स्नान करते हैं, आत्मा को छोड़कर पत्थर की पूजा करते हैं, लेकिन उनका ज्ञान थोथा है। ऐसे लोग दंभ से आसन मारकर बैठते हैं, लेकिन मन में उनके

क्ष पंडित, देखदु मनमहे बानी।

कहु वौं द्वृति कहाँ ते उपजी तवहि द्वृति तुम मानी।

बादे बैदे रुधिर के संगे घट ही मैंह घट सपनै॥

अत्त केवल होय पुहुमी आया द्वृति कहाँ ते उपजै।

लख चौरासी नाना बाबन सों सभ सरि भी माटी॥

एके पाठ सकल बैठाये द्वृति जेत धौं का की।

द्वृतिहि जेवन द्वृतिहि श्रौचवन द्वृतिहि बगत उपाया॥

कहहि कबीर ते द्वृति विवरवित जर्म के संग न माया॥

गुमान भरा रहता है। इसी प्रकार हमने बहुतन्से पीर और औलिया देखे हैं जो कुरान का पाठ करते हैं, शिष्य बनाते हैं, क्रम बनवाते हैं, लेकिन वे भी खुदा को नहीं जानते। हिन्दू जिसे दया कहते हैं, मुसलमान उसे मेहर कह कर पुकारते हैं, लेकिन दोनों ही घर से निकल भागी हैं। एक जिवह करते हैं, दूसरे मटका देकर मारते हैं, हमारी समझ से तो दोनों के घर आग लगी हुई है।<sup>३४</sup>

<sup>३४</sup> साधो देखो जग बौराना ।

साँची कही तो मारन धावै भूँटे जग पतियाना ।  
हिन्दू कहत हैं राम हमारा मुसलमान रहमाना ॥  
आपस में दोउ लडे मरद्दु हैं मरम कोइ नहिं जाना ।  
बहुत मिले मोहिं जेसी धर्मी प्रात करे अष्टनाना ॥  
आचम छोड़ि पथानैं पूजैं तिनका योथा जाना ।  
आखन मारि डिभ घरि दैटे मन में बहुत गुमाना ॥  
पीपर पायर पूजन लागे तीरथ बर्न भुलाना ।  
माला पहिरे दोपी पहिरे छाप तिलक अनुमाना ॥  
साही सबै गावत भले आतम खबरन जाना ।  
घर घर मत्र बो देन फिरत हैं माया के अभिमाना ॥  
गुराया उद्दित सिस्य सब थूँडे अतकाल पछियाना ।  
बहुतक देखे । पीर औलिया पढ़ किताब कुराना ॥  
फरैं मुरीद कबर बतलावै उन हूँ खुदा न जाना ।  
हिन्दू की दया मेहर त्रुरक्षन की दोनों घर से भागी ॥  
यह करे जिवह वौ मटका मारे आग दोऊ घर लागी ।  
या विधि हैं उत्तर चलत हैं हमको आप बहावै स्याना ॥  
कहैं करेर मुनो भाईं साधो, हममें कोन दिवाना ।

इस प्रकार जैसे कबीर ने हिन्दुओं के वाहाचार की निर्भीक शब्दों में आलोचना की थी, उसी प्रकार उन्होंने मुसलमानों की सुझत, धांग, कुरवानी और हँड की सख्त आलोचना की थी। जैसे वे पीर, पैरावर, काजी, मुल्ला और रोजानमाज को गलत मानते थे, उसी प्रकार देवर्च, द्विज, एकादशी और दिवाली में वे विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था कि यदि हिन्दुओं के भगवान् मदिर में चास करते हैं और मुसलमानों के सुदा मसजिद में, तो जहां मदिर और मसजिद दोनों नहीं, वहाँ किसको ठकुराई काम करती है? कबीर का उपदेश था कि हिन्दू और मुसलमान दोनों धर्मों<sup>x</sup> के मूल सिद्धान्तों में कोई भेद नहीं, दोनों ही एक ईश्वर की सन्तान हैं, और दोनों का शरीर पच भूतों से घना है; दोनों ही एक जमीन पर रहते हैं। ये सब अलग-अलग नाम हैं, वास्तव में सब एक ही मिट्टी के घरतन हैं।

कबीर न अपने आपको हिन्दू कहते थे, न मुसलमान।<sup>1</sup> उन्होंने हिन्दू और मुसलमान दोनों को अपना शिष्य बनाया था, और यही कारण है कि दोनों उन्हें मानते थे। आमी उक कबीर घौरा (काशी) में कबीर के हिन्दू अनुयायी और मगहर में कबीर के मुसलमान अनुयायी हर साल जमा होकर कबीर की याद में अपनी मढ़ान्जलि अर्पित करते हैं।

सिक्खों के गुरु नानक (जन्म १४६६ ई०) को घर्म के बड़े प्रचारकों में गिना जाता है। उन्होंने जब देरसा कि हिन्दू

<sup>x</sup> हिन्दू छह तो मैं नहीं, मुसलमान भी नाहिं।

चौंच तच का पूरला गैरी खेले नाहिं॥

लोग मुसलमानों को म्लेच्छ कहकर पुकारते हैं और उन्हें अरपूर्श समझते हैं, तथा मुसलमान हिन्दुओं को काफिर कहते हैं, और उन्हें अपने धर्म में दीक्षित कर 'हलाल' करते हैं, तो उन्होंने मनुष्य मात्र को परम पिता ईश्वर की संतान घोषित किया और जाव-पाँत का विरोध करते हुए बताया कि न हिन्दुओं के दिखावटी धर्म से उद्धार हो सकता है, न मुसलमानों के रिवाजी मज़ाहिय से; वास्तव में जो अच्छे काम करता है और अपने अन्त करण को शुद्ध रखता है वही बड़ा है, फिर चाहे वह किसी जाति और धर्म का क्यों न हो। गुरु नानक के उपदेशों से प्रभावित होकर अनेक किसान, खतरी, जाट, धोबी, नाई और कहार आदि जाति के लोगों ने उनके 'धर्म' में दीक्षा ली। उन्होंने मक्के और राम-श्वर दोनों की यात्रा की थी। सिखों के प्रथ साहस में सिख गुरुओं के अलावा और भी बहुत से सन्तों और भक्तों की बानी का सप्रह है, इनमें कम से कम चार संत मुसलमान थे।

भक्ति-मार्ग को लद्दर को उत्तर भारत से बगाल पहुँचते देर न लगी। वहाँ जब १५ वीं सदी के अन्त में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ तो उस समय पौराणिक हिन्दू धर्म अथवा शैव या तात्रिक धर्म सर्वत्र कैला हुआ था जिससे ब्राह्मणों का प्रभुत्व घुट कर हो गया था। और जाति वधन की दृढ़ता के कारण मनुष्य मनुष्य में अन्तर बढ़ता जा रहा था। चैतन्य ने बताया कि सब जातियाँ एक समान हैं, तथा मुक्ति पाने के लिये सबों भक्ति और अद्वा फी आश-श्यकता डे। चैतन्य के शिष्यों में हिन्दू और मुसलमान सभ शामिल थे।

महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम एकनाथ आदि सन्तों का जन्म हुआ। ये सन्त अधिकतर मराठा, कुन्दी, दर्जी, माली, महार, वेश्या आदि नीच समक्षे जाने वाली जातियों में पैदा हुए थे। ज्ञानेश्वर महाराज ने सन् १२६७ में १०,००० श्लोकों में भगवद्गीता की मराठी भाषा में टीका लिखी है। उनका कहना था कि ऊँच और नीच ईश्वर के नजदीक सब यराबर हैं। नामदेव जाति के दर्जी थे। इनका नाम महाराष्ट्र, उत्तर हिन्दुस्तान और राजपूताने के सन्तों द्वारा बड़े आदर के साथ लिया गया है। नामदेव जात-पाँत, मूर्ति-पूजा, स्नान-ध्यान आदि में विश्वास नहीं करते थे।

तुकाराम और एकनाथ महाराष्ट्र के प्रधान सन्तों में गिने जाते हैं। इन्होंने रामायण, महाभारत, और गीता को मराठी भाषा में लिखा, इसलिये ब्राह्मणों ने इनके प्रन्थों को तालाब में फेंक दिया था। तुकाराम छत्रपति शिवाजी के सम-कालीन थे। महाराष्ट्र में इनके अभंग बहुत प्रसिद्ध हैं। कवीर आदि के समान ये जात-पाँत, मूर्ति-पूजा, यज्ञ-हवन आदि के कटूर विरोधी और हरि-भक्ति के प्रचारक थे। ब्राह्मणों ने ईर्ष्या-वश इन्हें मरवा डाला था।

शेष सुहम्मद रमजान और एकादशी को उपवास करते थे तथा मक्का और पंढरपुर की यात्रा करते थे। 'चोस' मेला महाराष्ट्र के दूसरे सन्त थे, जिन्हें पदरपुर के मन्दिर में प्रविष्ट होने के कारण ब्राह्मणों ने बैलों से कुचलवा कर मरवा डाला था।

ये सन्त भक्ति-भार्ग का उपदेश करते थे, हरिनाम की

महिमा गते थे, ब्राह्मणों के क्रियाकाण्ड, यज्ञ याग, तीर्थ-यात्रा, व्रत, उपवास, मूर्तिपूजा, जात-पाँत आदि का खंडन करते थे, एकेश्वरवाद में विश्वास फरते थे, और पंढरपुर को इन्होंने अपनी धार्मिक और सामाजिक प्रवृत्तियों का केन्द्र बनाया था, जहाँ हजारों स्त्री-पुरुष घिठोबा के दर्शन कर अपना अहोभाग्य मानते थे।

सन्त-पुरुषों के उपदेशों से मिलता-जुलता बादशाह अकबर ने दीने-इलाही नाम का मजहब चलाया था, और उसने अपने राज्य में सब धर्म और सम्प्रदायों के प्रति सुलाई-इकुल (सार्वजनीन मैत्री) का ऐलान किया था। अकबर बादशाह माथे पर तिलक लगाता, जनेऊ धारण करता, तथा पारसियों का सदरा और कर्ती पहनता था। उसने अपने राज्य में खास दिनों में हिंसा बन्द करा दी थी, और इसाई धर्म का प्रचार करने के लिये गोआ से पादरियों को बुलाया था। अकबर के दरवार में भिन्न-भिन्न धर्म और सम्प्रदायों के चिह्नों के शाखार्थ होते थे और अपनी लंबी युद्ध यात्राओं में वह अपने लक्ष्य के साथ उन्हें लेकर चलता था।

कहना न होगा कि बादशाह का कुपापात्र बनने के लिये कुछ लोगों ने राजधर्म समझकर दीने-इलाही धर्म को प्रदण जरूर किया, लेकिन वह बहुत समय तक न चल सका और अकबर के साथ ही रहम हो गया।

आश्चर्य नहीं अकबर का बदला हुआ प्रमाण देखकर ब्राह्मणों ने उसका गत जन्म में प्रादृश्य होना सिद्ध फर यताया, और साथ ही अपनी यात्र के समर्थन में कहा कि यह फरते समय पास में कुछ अनियत पढ़ी रह जाने के कारण अकबर इस जन्म में म्लेच्छ कुल में उत्पन्न हुआ।

दर असल १३ बीं सदी के अन्त से लेकर १६ बीं सदी के शुरू तक अद्वाई सौ साल का समय लगावार संप्रामों का समय था। देश इस समय घड़े संकटकाल से गुजर रहा था। कहीं कोई संघटन न था। हिन्दू राजा अपनी-अपनी सीमाओं में खुद मुख्तार होने के गर्व से फूले न मरते थे, और वे स्वदेश की अपेक्षा अपने वंश और अपने वाप दादों की जायदाद को ही सब कुछ समझते थे। इससे देश में सुरासन की कोई व्यवस्था नहीं रह गई थी, और राजाओं और राजवंशों के जल्दी-जल्दी बदलने के कारण अनेक जगहों में जमीन आदि का अधिकार यहुस अनिश्चित और गङ्गावड़-सा हो गया था। उधर मुसलिम यादशाह हिन्दू विद्वेषी होने के कारण प्रजा में शान्ति-व्यवस्था कायम ठने में असफल रहे थे, तथा हिन्दू जनता के प्रिय मंदिर, मूर्ति, प्राचीन स्मारक आदि ध्वस्त करने और लूट-पाट मचाने के कारण वे लोग जनता के अप्रीति भाजन ही अधिक बने थे।

**साधु-सन्तों के अधिकांशतः** धार्मिक मार्बों से प्रेरित उपदेशों द्वारा निम्न वर्ग में कुछ सामाजिक हलचल जहर मची पी लेकिन इससे उनकी आर्थिक और राजनीतिक दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, उस्टे उच्च वर्ग के शोपण से उनकी दशा गिरती ही जाती थी। इसके लिये किसी ठोस कार्यक्रम रखने की जरूरत थी, जो कोई न रख सका। माझें से की आचार विचार गत विप्रमता का जात पहले से अधिक फैलता जाता था, और अब तो उन्होंने साधु-सन्तों को जन्म से नीच आदि कहकर उनके विरुद्ध जनता को भड़काना शुरू कर दिया था। दुर्भाग्य से आगे चल कर अन्य महात्मा

पुरुषों की उरह सन्तों के जीवन के साथ भी पहुत सी अलौकिक घटनायें जोड़ दी गईं, और उनके नाम पर अनेक पन्थ चल पड़े।

इस समय शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने शक्ति का संचय किया। लेकिन मराठे लोग शुरू में विजातियों के अत्याचारों से पीड़ित होने के कारण गरीब और मेहमती थे, इसकिये उनकी समाज में एकता थी, और जात-पाँत के बधनों से वे मुक्त थे, परन्तु राज्य प्राप्ति के बाद वह अवस्था न रही। उन्होंने जहाँ तहाँ लूट पाट मचाना आरम्भ कर दिया जिससे उनकी सरलता और एकता नष्ट हो गई, तथा घमण्ड और स्वार्थपरता बढ़ गई। ज्यों-ज्यों ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ा जात पाँत के बन्धन हट होते गये।

शिवाजी के जीवनचरित से पता लगता है कि उन पर आरम्भ से ही ब्राह्मणों का प्रभाव था। उनके शुरू समर्थ रामदास ने एकदार उन्हें लिखा था कि जो, ब्राह्मण, देवता और धर्म की रक्षा के निमित्त नारायण ने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है। शिवाजी की रणनीति के अनुसार ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करने की और उनसे चौथ के लिये छमानत लेने की मनाई थी। शिवा जी के आठ प्रधानों में सेनापति को छोड़ कर बाकी सब प्रधान ब्राह्मण जाति के थे। इसके अलावा अपने राज्य के प्रत्येक प्राम के वेदपाठी ब्राह्मणों को चुन-चुन कर उनके परिवार की सख्त्या के हिसाब से जिरना अन्न-वस्त्र आवश्यक होता था, उसी के अनुकूल आमदनी वाले भद्राल गाँव-गाँव में दिये जाते थे।

उन दिनों मौसले वश को शूद्र माना जाता था। इस

कलक से युक्त होने के लिये राज कर्मचारियों ने काशीवासी विश्वेश्वर भट्ट (गागल भट्ट) को दान-दक्षिणा देकर उनसे लिखवा लिया गया कि शिवा जी के आदि पुरुष सूर्यवशीय चत्रिय चित्तौड़ के महाराणा के पुत्र हैं। विश्वेश्वर भट्ट ने शिवा जी के अभियेक का प्रधान पुरोहित होना स्वीकार कर लिया, तथा दक्षिण में बड़ी बड़ी रकमे पाने के लोभ से महाराण्ड के अन्य ग्राहणों ने भी विना किसी विरोध के शिवा जी को चत्रिय मान लिया। शिवा जी के अभियेक-उत्सव पर लगभग ५० हजार ग्राहण उपस्थित हुए थे जो चार महीने तक शिवा जी के सर्व पर मिठाई, और परमान उड़ाते रहे। जिस समय शिवा जी ने तीर्थ यात्रा के परचात् प्रायदिवत किया और उन्हें यज्ञोपवीत पहनाया गया तो उस समय उन्होंने मुरख अध्ययुर्व विश्वेश्वर भट्ट को ३५ हजार रुपये, और अन्य ग्राहणों को ४५ हजार रुपये दान दिये। तुलादान के समय लगभग दो मन सोना, चाँदी तथा अन्य वस्तुयें और पाँच लाख रुपये नकद ग्राहणों को दिये गये। इसके अलावा देशों को लूटते समय शिवा जी और उनके सैनिकों ने जो गो, ग्राहण, खी और वालकों की हत्या की थी, उसके प्रायदिवत के घरौंर द हजार रुपये दान दिये। सध मिला फर शिवाजी के अभियेक की धूमधाम में ५० लाख रुपये (कुण्ड जी के अनन्त समासद के अनुसार सात करोड़ दस लाख रुपये) सच हुए थे, जिससे राजकोर ही खाली हो गया था।

विजयनगर साम्राज्य का हाल तो और भी आरचर्य-बनक है। आदि से अन्त तक इसमें ग्राहणों का हाथ रहा है, जिनकी यैलियाँ यहाँ की गरीब प्रजा और युद्ध में पकड़े हुए बन्दियों की पसीने की कमाई से मरी जाती थीं। एक बार यहाँ-

के किसी ठालाव फा धाँध टूट जाने से ६० मनुष्य घोड़े, और भैंसों की घलि दे कर देवी को शान्त किया गया ! ब्राह्मणों के आदेशानुसार यह सब हुआ था !

इस प्रकार हम देखते हैं कि मुगल आक्रमण के विरुद्ध जिस समाज को विजयी बनाने की चेष्टा की थी, और जिस समाज में 'हिन्दू इवाराज' कायम करने के स्वप्न देखे जा रहे थे, वह समाज सुद आचार-विचार गत भेदों के कारण स्वेच्छा हो रहा था । ऐसे समय शिवा जी ने न वो किसी ऐसी राष्ट्रीय भावना की प्रश्न्य दिया और न उसका प्रचार ही किया जिससे हिन्दू समाज के मूल गत दोषों को दर करके समाज को शान्ति के मार्ग पर लाया जा सकता । आगे चल कर तो ब्राह्मण लोग आपस-आपस में ही लड़ाई-झगड़ा करने और उनमें ऊँच-नीच और कुलीनता को लेकर दलवन्दी होने लगी । यहाँ तक कि एक ही महाराष्ट्र के कौंकणस्थ और देशस्थ ब्राह्मण एक दूसरे को शूद्र और नीच कह कर पुकारने लगे ! मराठा ब्राह्मण अपने आपको सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों में गिनने लगे, तथा गुजरात के ब्राह्मणों को पानी भरने वाले तेलंग, ब्राह्मणों को रसोई बनाने वाले, तथा सारस्वत और उत्तर हिन्दुस्तान के ब्राह्मणों को मछली आदि भक्तण करने के कारण परिवर्त बदलने लगे । परिणाम यह हुआ कि एक ही जाति के भिन्न-भिन्न प्रान्तों के ब्राह्मणों में विवाह-शादी और खान पान बन्द हो गया, और वणे व्यवस्था के नाम पर सैकड़ों जाति कायम हो गई ।

शिवाजी के परचात् पेशवाओं का राज्य आया । इस समय विश्वासघात, जालसाजी, लूटपाट, कपट-पूर्ण हत्या-

-काएंड तथा घातक पह्यन्त्रो की गूँज ने प्रजा को छुब्ध कर दिया, मराठा जाति के किसी मन्त्री या सेनापति पर जनता का विश्वास न रह गया, और चैर्चमान अफसर बड़ी बड़ी रकमें लेकर अपनी लेबे मरने लगे ।

पेशवा दरवार द्वारा नियुक्त शाही जात पाँत सम्बन्धी नियमों के भग करनेवालों को दण्ड आदि को व्यवस्था देते थे, जो बनारस से लेकर रामेश्वरम् तक सर्वत्र मान्य होती थी, और त्रिटिश सरकार भी इस निर्णय को मान्य करती थी । एक यार की बात है कि पूना का कोड पेशवा किसी शाहीण के घर दावत के लिये जाने वाला था । इस धीच में शाहीण का भरोजा युद्ध में मर गया । नियमानुसार दस दिन तक उसका घर अपवित्र हो गया । ऐसी हालत में शाहीण शाखी सस्कृत का कोई लोक कही से ढूँढ़ कर लाये, जिसमें छहा था कि जो जो अपने देश के लिये अपने प्राण न्योछावर करते हैं वे मृत नहीं कहे जाते । अन्ततः पेशवा दावत के लिये गये । ( श्रीधर चेतकर, एन एस्से ऑन हिन्दू-इज्म पृष्ठ ६६ )

पेशवाओं के राज्य में अस्तृश्यों के लिये कानून बन गये थे कि वे सार्वजनिक रास्तों पर नहीं चल सकते, उन्हें अपनी कलाई या गर्दन में काला गाग बाँधना चाहिये जिससे गलती से छू जाने पर हिन्दू लोग अपवित्र न हो जाय । उनको अपनी कमर में झाइ बाँध कर चलना चाहिये जिससे उनके पैरों की धूल से उस रीस्ते से चलने वाले उच्च बर्षा के हिन्दू अपवित्र न हो जाय । उन्हें अपने गले में मिट्टी की एक कुन्निया लटकाये रहना चाहिये जिससे उनके थूँक से

जमीन अपवित्र न हो जाय ! (डॉ अम्बेडकर, ऐनिहिलेशन आफ कास्ट, पृ० ३ इत्यादि) मराठा और पेरशावाओं के राज्य में महार और मङ्ग नामक अस्पूर्य जाति के लोगों को शाम के तीन घण्टे से लेकर सुधूर १ घण्टे तक पूर्ना शहर में आने की मनाई कर दी गई जिससे उनके शरीर की लंबी परछाई किसी ब्राह्मण के शरीर को अपवित्र न कर दे ! (डॉ घुर्ये, कास्ट एम्ब रेस इन इन्डिया पृ० ११) ।

महाराष्ट्र के बाहर भी ब्राह्मणों ने अपना आधिपत्य कायम किया । मलयार में नियम हो गया कि जमीन का अधिकारी ब्राह्मण ही हो सकता है, और दूसरे लोगों को उसकी रिक्षाया होकर रहना चाहिये । ट्रावनकोर के महाराजा ने अपना समस्त राज्य ही त्रिवेन्द्रम् के देवता श्री पद्मनाभ के चरणों में समर्पित कर दिया और वे स्वयं भगवान् का वास बन कर राज्य करने लगे । इससे ब्राह्मणों को लाखों रुपये दानन्दिशण में मिलने लगे । महाराजा को द्विज बनाने के उपकरण में ब्राह्मणों को सोने की गाय दक्षिणा में दी गई थी । कर्नल टॉड के राजस्थान से पता लगता है कि राजपूराने में शायद ही ऐसी कोई रियासत होगी जहाँ १/५ जमीन मदिर और पुरोहितों के नाम न हो ।

दरअसल इस समय ब्राह्मणों ने शास्त्र के उल्लेखों द्वारा यह सिद्ध कर दिया था कि कलियुग में ज्ञानिय जाति ही नष्ट हो गई है, अतएव अब केवल दो ही जातियाँ बची हैं, एक ब्राह्मण, दूसरे शूद्र ! क्षमहाराष्ट्र के नागभट्ट और वंगाल के रघुनन्दन ने इस व्यवस्था को मान्य ठहराया था ।

\*क्लौ न ज्ञातिः सन्ति क्लौ नो वैश्यजातयः ।

ब्राह्मणश्चैव शूद्रश्च क्लौ वर्णद्वयं स्मृतम् ॥

डॉ जी० वैद्य, हिन्दू मॉर्फ मेडिवल हिन्दू इन्डिया, बिल्ड २, पृ० ३१३)

## अध्याय चौथा

### ईस्ट इन्डिया कम्पनी का शासन-काल और १८५७ का विद्रोह

जिस प्रकार अरव के मुसलमानों ने भारत के यात्रियों के मुँह से इस देश के धन वैमव और माल खजाने के किस्से सुनकर यहाँ व्यापार के लिये पदार्पण किया था, उसी तरह योरप की गोरी जातियाँ भी यहाँ पहले-पहल व्यापार के लिये आईं। दोनों में अन्तर इतना ही था कि मुसलमान विजेताओं ने हिन्दुस्तान की आर्थिक व्यवस्था को हाथ नहीं लगाया था, वे इस देश को अपना देश समझते लगे थे और उनका कमाया हुआ रुपया जीवनोपयोगी चीज़ें खरीदने में हिन्दुस्तान में ही बैठ जाता था; जबकि अंग्रेजों की पूँजीवादी मनोवृत्ति ने यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर डाला था, उनका कल्प्य अपनी पूँजी पर अधिक से अधिक मुनाफ़ा कमा कर उसे सात समुन्दर पार अपने देश में भेजने का था, जहाँ से एक बार गई सम्पत्ति के फिर से लौट कर आने की सभावना न थी।

सन् १८०० में ब्रिटिश ईस्ट इन्डिया कम्पनी की नींव रखती गई, और ६ फरवरी सन् १८१३ में शादशाह जहाँगीर

ने एक शाही करमान के ज़रिये गोरे लोगों को सूरत में एक कोठी बना लेने की इजाजत दी। धीरे धीरे इन लोगों ने किलेबन्दी शुरू कर दी, और कोठियों की रक्षा के लिये सिपाही भरती करने लगे। गोरे लोगों से व्यापार के ज़रिये धन कमाने के इच्छुक इस देश के विलासप्रिय मुसलिम शासक इतना न समझ सके कि कालान्तर में ये व्यापारी उन्हें शुलाभी की जज्जीरों में जकड़कर सारे देश पर अधिकार कर ले गे।

१८ वीं सदी के शुरू के भारत में कोई अवल केन्द्रीय शक्ति नहीं रह गई थी। राष्ट्रीयता का असाध होने से समस्त देश दो विरोधी दल में बँट गया था, एक ओर राजपूत, मराठे, सिख आदि शक्तियाँ थीं, दूसरी ओर मुसलिम शक्तिया। और गणेश की अनुदार और अदूरदर्शी नीति वे थोड़े ही दिनों में एक दूसरे फो प्रतिसर्थी छोटी छोटी रियासतें पैदा कर दी थीं, जिनमें परस्पर हो चाग्नि भड़क रठी थी। दिल्ली सज्जाटों की विलास प्रियता और अयोग्यता मुगल साम्राज्य को खोखला कर रही थी, जिससे छोटे बड़े नरेश तथा अवध के नवाब और दक्षिण के निजाम अपने सूचों के स्वच्छन्द शासक थन धैठे थे। ऐसी हालत में पारस्परिक ईर्ष्या और हृष्प से अन्वे हुए देशी नरेशों में अपना और अपने राष्ट्र का हित सोचने की क्षमता न रह गई थी और विदेशी ताकत के लिये मैदान साक हो गया था।

हिन्दुस्तान में अग्रेजी राज की नीव रखने वालों में कलाइव, बाटन हेस्टिंग्स, वेल्सली और डलहौजी के नाम स्वास-

तौर से उल्लेखनीय हैं। इन लोगों ने अपनी जात्याजी और मकारी से यहाँ की मोली-भाली जनता का जी भर कर शोपण किया।

अठारहवीं सदी में हिन्दुस्तान से जो सम्पत्ति इंगलैंड पहुँची, उसका बहुत थोड़ा हिस्सा व्यापार से कमाया गया था। यह सम्पत्ति लूट खसोट से और जवर्दस्ती पैसा छीन कर यहाँ भेजी गई थी। इसके अलावा, कम्पनी ने आवपाशी बगैरह की तरफ ध्यान देना बन्द कर दिया, और जमीदारी प्रथा को जन्म दिया, जिससे जमीन खरीदी और बेची जाने लगी। हिन्दुस्तान के उत्पादन और बढ़ते हुए व्यापार को रोकने के लिये यहाँ का तैयार माल पहले इंगलैंड, और फिर योरप भेजना बन्द कर दिया गया। फल यह हुआ कि इस देश में दरिद्रता, दुष्काम और महामारी का साम्राज्य चारों ओर छा गया और सब जगह द्वाहाकार मच गया। सन् १७७० के भयकर दुष्काल में बगाल की एक तिहाई जनता, लगभग एक करोड़ आदमी, ने भूख से अपने प्राण दे दिये थे।

कम्पनी के हाकिमों ने चेशुमार धन कमाया। सुद क्लाइव जो हिन्दुस्तान खाली हाथ आया था, अदाई सारे पौँड लेकर यहाँ से गया और हिन्दुस्तान में अपनी रियासत अलग बना गया जिससे उसे २८ हजार पौँड सालाना की आमदनी होती थी। क्लाइव की फाउंड सिल के एक सदस्य एल-एक्सोफ्टन ने १७६३ में प्रसन्न होकर कहा था कि प्लासी के बाद जो लूटमार हुई उसी से 'विना सोने का एक भी सिक्का रखने किये हुए, हम उन साल तक हिन्दुस्तान से व्यापार ठरते रहें।' बारन हैरिंगस

पर रिश्वतस्तोरी, स्लूट-पाट आदि पोर अत्याचारों के कारण मुकदमा चलाया गया, जो सात वर्ष तक चलता रहा, लेकिन भारत में अपने राज्य को मजबूत बनाने की धुन में अंग्रेजों ने अन्याय-अन्याय का विचार नहीं किया, और उसे मुकदमें से वही करके हरजाने के तीर पर २८ साल तक ४० इंजार रूपये मालाना देने का वादा किया ? कम्पनी के अन्न व्यक्तियों के विषय में भी यही नीति घरती गई।

इन्ही वार्तों को देखकर सर जार्ज कॉर्नवाल लीविस ने सन् १८५८ में पार्लियामेंट में कहा था—‘मैं अत्यन्त विश्वास-पूर्वक कह सकता हूँ कि ऐसी वेईमान, दगावाज और लुटेरी सरकार दुनिया के पर्दे में कोई नहीं रही, जैसी १७५५ से १८५८ तक यह ईस्टइंडिया कम्पनी की सरकार रही है।’ वह ने कम्पनी के राज्य की तीव्र निन्दा करते हुए कहा था—‘अगर आज हम हिन्दुस्तान से निकाल दिये जायें, तो वहाँ कोई भी ऐसी चीज न रह जायगी जिससे मालूम हो कि हमारी हुक्मत के मनहूस जमाने में वहाँ चीतों या गुरिलों के अलावा आदमियों ने भी राज्य किया था।’

इस सम्बन्ध में लार्ड विलियम बेंटिंग और लार्ड भैकाले का नाम उल्लेखनीय है जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की नींव रखकर अंग्रेजी शासन को सदा के लिये मजबूत कर दिया। दर असल अंग्रेजी शासकों में भारतीय शिक्षा का प्रसन बहुत विचादास्पद रहा है। कुछ लोगों का कहना था कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा नहीं दी जानी चाहिये, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी शिक्षा देने से, युरोप का इतिहास पढ़ कर उनके अन्दर अंग्रेज शासकों के प्रति विद्रोह का भाव

पैदा होगा। लेकिन शिक्षा न देने से भा समस्या हल होती हुई दिखाई न देती थी। शासन का कार्य चलाने के लिये भारतीय जनता के हृदयगत भावों को जानने के लिये तथा ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिये शिक्षा की बड़ी आवश्यकता थी।

ध्यान रखना चाहिये कि अंग्रेज शासकों की हमेशा से नीति रही है कि हिन्दुस्तान में अनेक जाति-उपजाति और नाना धर्म-सम्प्रदाय कायम रहें जिससे हिन्दुस्तानी लोग सगठित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध बलबा न मचा सकें। भारतीय साहित्य और भाषा का विरोध करके उसके स्थान में अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी साहित्य और अंग्रेजी विज्ञान की शिक्षा देने का भी उनका यही उद्देश्य था जिससे भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत न हो पाये और हिन्दुस्तान में एक ऐसी जमात पैदा हो जाय जो आम जनता से दूर रहे और अंग्रेजों का हुक्म बजाये। लॉर्ड मैकाले के शब्दों में।

'रक्त और रंग को दृष्टि से भले ही वह हिन्दुस्तानी रहें, लेकिन हवि, भाषा और भावों की दृष्टि से अंग्रेज हो जाय।'

लॉर्ड वेस्टिंग को अपने भित्र लॉर्ड मैकाले की यह बात बहुत पसंद आई, और उसने जो खोल कर अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के लिये घन सर्वे करना शुरू कर दिया।

परिणाम बहुत आशा-जनक दुआ, और कुछ समय पाद सर चार्ल्स ट्रेवेलियन का स्वीकार करना पड़ा कि 'जो

भारतीय युवक हमारे साहित्य द्वारा हमसे भली भाँति पर्ति-  
धित हो जाते हैं, वे हमें विदेशी समझना प्राय घन्द कर  
देते हैं। वे हमारे महापुरुषों का जिक्र उसी चत्साह के साथ  
करते हैं जिस चत्साह के साथ हम करते हैं। हमारी ही सी  
शिक्षा, हमारी ही सी रुधि और हमारे ही से रहन-सहन के  
कारण इन लोगों में हिन्दूरत्वानियत कम हो जाती है और  
अप्रेजियत अधिक आ जाती है। × × × फिर वे हमें अपने  
देश से बाहर निकालने के प्रचण्ड उपायों को सोचना घन्द  
कर देते हैं।'

आगे चल कर इन्हीं गहाराय ने प्रसङ्गता व्यक्त करते हुए  
लिखा है कि यद्यपि उत्तर भारत में उच्च श्रेणी के लोगों में  
यह आशा यनी हुई थी कि वे फिर से अपने प्राचीन प्रमुख  
को प्राप्त कर देशाराज स्थापित कर ल, लेकिन वगाल के  
शिक्षित लोगों ने हमें अपना शत्रु समझना घन्द कर दिया  
था, वे हमें उपकारशील व्यक्ति समझते थे, और अब वे हम  
लोगों के साथ जूरी बन कर अदालतों में बैठने, मजिस्ट्रेट  
बनने, सरकारी नौकरिया प्राप्त करने आदि को अपना चरम  
उद्देश्य समझते थे। ( प० सुन्दर लाल, भारत में अप्रेजी राज-  
पृ० ११४४ ५२ ) ।

भारत में नाना जाति उपजाति और धर्म-सम्प्रदायों को  
बदरतूर कायम रखते हुए अपने शोषण को बढ़ाने के लिये  
अप्रेजों ने अनेक योजनाय गढ़ीं। उनमें एक योजना यह थी  
कि हिन्दूरत्वानियों के धार्मिक विश्वास या रस्म रिवाजों में  
किसी तरह का हस्तक्षेप न किया जाय। अपनी इस योजना में  
कृतकार्य होने पर वे बड़े गर्व के साथ प्रचार करने लगे कि

हम लोगों के शासन काल में शेर और वकरी निर्माण होकर एक घाट पानी पीते हैं, जब कि मुसलिम शासकों ने हिन्दुओं पर तथा हिन्दूशासकों ने मुसलिम और अन्य धर्मावलबी अपने ही भाईयों पर किरने लुल्म ढाये हैं। धर्म प्रधान भारतीय जनता पर अंग्रेजों के इस जादू का काफी प्रभाव पड़ा।

भारत के अन्य शासकों की सरह अंग्रेजों ने भी अनुभव किया कि हिन्दू समाज में ब्राह्मणों का दर्जा बहुत ऊँचा है, इसलिये उन्होंने द्रव्य आदि देकर उन्हें अपने बश में किया। फल यह हुआ कि सन् १८०३ में जब अंग्रेजों ने उड़ीसा पर कब्जा किया तो ब्राह्मणों ने देव-वाणी द्वारा कहलवाया कि जगन्नाथ के मन्दिर पर भी कम्पनी का अधिकार होना चाहिये। वस कम्पनी ने मन्दिर का सारा प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया और उन्हें खर्ची निकालकर १ लाख ३५ हजार रुपये की आमदनी होने लगी ! फिर कम्पनी ने बुद्ध गया में यात्रियों पर टैक्स लगा दिया जिससे उन्हें २ लाख से लगा कर ३ लाख रुपये तक की आय होने लगी ! धोरे-धीरे कम्पनी ने दक्षिण भारत के मन्दिरों पर अधिकार कर लिया। ऐसेले तिरुपति के मन्दिर से सब खर्ची निकाल कर २ लाख रुपये साज की आमदनी होती थी ! कम्पनी के मालिकों ने कांजी-वरम् के शिव मन्दिर का जीणौदार करा दिया, तथा स्वयं कम्पनी के अफसर मन्दिरों को दान देने लगे और मन्दिरों के उत्सवों में शरीक होने लगे। यहाँ तक कि कुछ अक्सर तो अपनी धीरियों के नाम से मंदिरों का निर्माण कराने लगे !

ऊपर कहा जा चुका है कम्पनी का एक भाव उद्देश्य उपयो करमाना था, इसलिये जब उन्होंने देखा कि मंदिर से बहुत आया होती है तो उन्होंने मंदिरों के प्रबन्ध आदि का सब अधिकार ब्राह्मणों के हाथों से अपने हाथ में ले लिया और टैक्स आदि बसूल करने के लिये उन्हें सरकारी अफसर नियुक्त कर दिये।

इसके अलावा, दुष्काल आदि के समय ब्राह्मणों को चुलाकर मंदिरों में प्रार्थनायें कराई जाने लगी, और इसके बदले कम्पनी की ओर से ब्राह्मणों को वेतन मिलने लगा। इस प्रकार इधर अमेरेज लोग हिन्दुस्तान की सम्पत्ति बटोरने में लगे थे और उधर हिन्दू जनता को यह समझाने की कोशिश की जा रही थी कि भारत के पुरुष प्रताप से अमेरेज महाप्रमुखों का अवतार हुआ है और वे हिन्दू धर्म का संरक्षण करने के किए इस देश में आये हैं।

हिन्दुस्तान में अपना साम्राज्य स्थापित रखने के लिये अमेरेजों की दूसरी योजना थी इस देश में ईसाई धर्म का प्रचार करना। यद्यपि मलका विक्टोरिया के ऐलान में यह साफ कहा गया था कि हिन्दुस्तानियों के मज़हबी गामलों में अमेरेज सरकार किसी तरह का इत्तेहापन करेगी, लेकिन सन् १८५७ के विद्रोह के अगले चर्चे ही इगलिसियान के मन्त्री के पास जब ईसाई पादरियों का बेपुटेशन पहुँचा तो उसके उत्तर में कहा गया कि 'समस्त भारत में पूरब से पच्छम तक और उत्तर से दक्षिण तक ईसाई मत फैलने में जहाँ तक हो सके उपर देना न छेकल हमारा फर्ज है, विक्त इसी में हमारा प्रायदा है।' दूर असल अमेरेज लोग यह अच्छी तरह समझते थे कि यदि देश में ईसाईयों को धरियाँ इधर-उधर फैल

जायेंगी तो वे अप्रेज शासन का मजबूतों के लिये स्तम्भ रखा काम देंगी। यहाँ फारण है कि अप्रेज सरकार ईसाई धर्म के प्रचार को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देता था, और उसने पादूरी और विशापों को बड़ी बड़ी तनखाहों पर इस काम के लिये नियुक्त किया था।

बात यह थी कि भारतीयों के राष्ट्रीय अभिमान को भंग करने के लिये अप्रेज जोग इस देश में अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे। वे जानते थे कि हिन्दुस्तानियों का सब से बड़ा राष्ट्रीय अभिमान धर्म और मजहब है, अतएव इस देश के रहने वालों को यदि धर्मच्युत किया जा सके तो उनका उद्देश्य सफल हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सन् १८४२ में एक कानून पास किया गया कि जो भारत-वासी ईसाई हो जायें उनका अपनी पैठृक सम्पत्ति पर पूर्व-वत् अधिकार रहेगा। इसी प्रकार असंख्य प्राचीन मन्दिर और मसजिदों को भाफी में मिली हुई खमीनों और जागारों को छीनकर, तथा भारत की गोद लेने की शांति प्रथा क खत्म कर इस देश के निवासियों की धार्मिक मावनाओं पर कुठारापात्र किया गया।

सन् १८४६ में जब पंजाब पर कर्त्तव्यों के शासकों का अधिकार हुआ तो पंजाब की शिक्षा का कार्यमार ईसाई पादरियों को सौंप देने की योजना तैयार की गई। भारत के गवर्नर जनरल ने इस योजना को बहुत पसंद किया। इस योजना में पंजाब के हर क़़स्त और काँलेज में इंजील और ईसाई धर्म को शिक्षा अनिवार्य करने, हिन्दू-मुसलमानों के त्योहारों को छुट्टियाँ बन्द कर देने, तथा

न्याय लयों में हिन्दू मुसलिम धर्म शास्त्रों और धार्मिक रिवाजों को पोई ध्यान न देने आदि के ऊपर खोर दिया गया।

हिन्दुस्तानी फौजों में भी 'गैर ईसाईयों की आत्मा की शैतान से रक्षा करने के लिए' खूब जोरों से ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा। यहुत से धर्म-प्रचारक करनल यनकर बिना चन्द्रवाह फौज में मर्ती हो गये, तथा मुसलमानों के मोहम्मद और हिंदुओं के देवा देवताओं की अवगणना कर 'परमात्मा के इकलौते बेटे' ईसा की उपासना करने का उपदेश देने लगे। इसी समय सरकारी अफसरों की ओर से ऐलान किया गया कि जो सिपाही अपने धर्म का परित्याग कर ईसाई भजहब धारण करेगा उसे हवलदार, सूबेदार भेजत आदि बना दिया जायगा। फल यह हुआ कि सन् १८७२ में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या कुल ३५,०६,०६८ थी जब कि सन् १८०१ में यह सर्वा २१,२३,२४१ तक पहुँच गई। सन् १८०१ की जन गणना के अनुसार द्रावनकोर में ईसाईयों की संख्या कुल ६ लाख थी लेकिन १८३१ में यह १७ लाख हो गई। चीन में भी ईसाईयों की जन संख्या में २७ प्रतिशत वृद्धि हुई।

सन् १८१३ के ब्रिटिश पालियामेंट के चार्टर एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल को इस बात का अधिकार दिया गया था कि वह हर साल १ लाख रुपया साहित्य की उन्नति के लिये खर्च कर सकता है, सन् १८३३ में यह रकम २० लाख कर दी गई। यह रकम भारत के साथ अपने राजनीतिक संघर्ष हट करने के लिये खर्च को गई जिसके फलस्वरूप कलकत्ते में मुसलमानों का मदरसा, बनारस में हिन्दू संकुल

कॉलेज आदि स्थापित किये गये, ईसाई धर्म ग्रन्थों का भोरतीय भाषाओं में तथा संस्कृत ग्रन्थों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कराया गया, तथा इंग्लिस्टान से आने वाले पादरियों द्वारा भारत में मिशन स्कूल खुलवाये गये।

इसी समय लार्ड विलियम बेंटिकैने ऐवे दूबाय नामक एक प्रान्सीसी ईसाई पादरी को अहंकार रूपये देकर भारत-चासियों के धार्मिक और सामाजिक रस्म-रिवाजों पर 'हिन्दू मैनस, कस्टम्स एण्ड सैरेमनीज' नामक पुस्तक लिखवाई। साथ ही कुछ अंग्रेज विद्वानों की मारफत इस बात का प्रचार कराया गया कि हिन्दुओं की वर्णव्यवस्था उनकी सत्कृति की प्रतीक है, और भारतीय समाज के विवरे हुए दुकड़ों को एक साथ सयुक्त रखने में यह सहायक हुई है तथा जाति-व्यवस्था का आदर्श एक बड़ा मजबूत आदर्श है, जिसकी बदौलत इसलाम और ईसाई धर्म में दीक्षित किये जाने के थावजूद हिन्दू जाति दुनिया में टिकी रह सकी। मर जार्ज चर्चवड ने लिखा भी है—‘जब तक हिन्दू अपनी वर्णव्यवस्था को कायम रखते हैं, तब तक हिन्दुस्तान हिन्दुस्तान बना रहेगा, लेकिन जिस दिन वन्होंने इसे छोड़ा उस दिन से हिन्दुस्तान न रह जायगा। यह शानदार प्रायद्वीप गिरकर ऐलो-सैक्सन साम्राज्य के घोर ‘ईस्ट ऐण्ड’ की हालत पर रहूँच जायगा।’

पारन हेस्टिंग्स के शासन-काल में जाहांगों की सहायता से संस्कृत के स्मृति ग्रन्थों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कराया गया। इसी समय सर विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया। देरा जाय सो इससे अमेज शासक

हिन्दू धार्मिक के प्रति अपना अनुराग प्रदर्शित करने के बहाने मारतवासियों की भूर्णताओं का दुनिया भर में प्रचार कर रहे थे। इसीलिये अनुवाद के लिये ऐसे मन्य चुने गये थे, जो मारतीय समाज के लिये अधिक से अधिक व्याहित-कर सिद्ध हुए थे, और जिन्हें शाने शाने भारत की जनता अब भूल चुकी थी।

ऐसे मन्थों को ग्रकाश में लाने का एक दूसरा प्रयोजन और भी था। यह यह कि इन दिनों अंपेजी शासक हिन्दुओं के जात-पाँत सम्बन्धी महादे निषटाने के लिये कचहरी किया करते थे। धगाल के गवर्नर वेरेल्स्ट के शासन काल में इस तरह की कचहरियाँ भरती थीं। सन् १७७५ में वारन हैमिंग्स ने क्रिस्तो फान्तो दास (कन्तू वावू) को इस कचहरी का अध्यक्ष बनाया था (सेन्सस आफ इन्डिया, १८११, जिल्द १, पृ० ३६४)। सन् १७८४ में कलकत्ते के फार्ट विलियम की कचहरी के जज रवय सर विलियम जोन्स चुने गये थे। जज लोग अपना फैसला देते बहुत व्यक्त हिन्दुओं के स्मृति मन्थों का छवाला देते थे।

हिन्दू जनता इन फैसलों से बहुत घशराता थी, क्योंकि जो लोग जाति से वहिष्ठुर कर दिये जाते थे उनकी एक प्रकार से सामाजिक मृत्यु हो जाता थी, और उस हालत में उनके औरत-बच्चों को भी उनसे अलग होना पड़ता था, उनके साथ कोई भोजन पान नहीं कर सकता था, कोई उन्हें पानी नहीं पिला सकता था, उनकी लड़कियों से विवाह करने के लिये कोई राज्ञी नहीं होता था, यहाँ तक कि यदि वे मर जाते तो उनकी अन्त्येष्टि किया में भा कोई सम्मिलित नहीं होता था।

ऐसी हालत में आरचर्य नहीं कि ग्राहण लोग अंग्रेजों को ज़त्रियों का अवतार समझने लगे थे जो नष्ट प्राय मनु महाराज की व्यवस्था को फिर से जीवित फरने के लिये भारत में अवतीर्ण हुए थे !

जो कुछ भी हो, भारत की साधारण जनता अंग्रेजों को हिकारत की निगाह से देखती थी, और इसलिए ईसाई धर्म के प्रति उनका कोई सद्भाव नहीं था। दक्षिण भारत में तो ईसाई का मतलब एक घोखेवाज व्यक्ति समझा जाता था, और लोग अपनी ईमानदारी जाहिर करने के लिये अक्सर कहते थे 'कि क्या आप मुझे ईसाई समझते हैं जो मैं आपको घोखा दूँगा ?'

वेहमानी और घोखेयाजी के इस कलंक से बचने के लिये रोवर्ट ही नोविलि नामक इटालियन पादरी द्वारा स्थापित मदुरा भिशन नामक ईसाई संघ के सदस्य अपने धर्म का प्रचार करते समय अपने आप को फिरड़ी जाहिर नहीं करते थे, क्योंकि वे समझते थे कि ऐसा करने से उनकी यात कोई नहीं सुनेगा।

ये लोग ग्राहणों की तरह जनेझ आदि धारण करते थे और अपने आपको ग्राहण घोषित करते थे। उनका कहना था कि ईसाई धर्म के सिद्धान्त हिन्दू धर्म में मौजूद थे, लेकिन अब काल-दोष से वे शास्त्र नष्ट हो गये हैं। इस प्रकार हिन्दुओं की जाति-व्यवस्था का बुनियाद पर चन्होंने अपने धर्मसंघ का संगठन किया था। इन लोगों के पादरियों में भी ऊँच-नीच का भेद देखा था, और दोनों किस्म के पादरी एक दूसरे

से छेलग रहते थे। उन्ह भेणों के पादरी घोड़े या पालकी पर चढ़ते चाल खाते, ब्राह्मणों के समान रहते और किसी को अभिवादन नहीं करते थे, जब कि नीच भेणों के पादरी फटे-पुराने कपड़े पहनते, पैदल यात्रा करते, मिश्वमंगों से घिरे रहते तथा चल्च जाति के पादरी को देखकर मुँह ढँक कर उसे साप्टांग प्रणाम करते थे जिससे उनके मुँह का श्वास उच्चच-वर्ग के पादरी को रूपर्श न कर सके।

लेकिन ईसाई पादरियों का यह ढांग अधिक समय न चल सका, और १८८१ में कलकत्ते के विश्व विलसन ने एक विज्ञापि निकाल कर इस प्रथा को बन्द कर दिया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि दिल्ली सम्राट् का लगातार अपमान करते रहने से, अवध के नवाब और उसकी प्रजा के साथ अत्याचार करने से, दलहौजी को अपहरण नीति से, अन्तिम पेशवा बाजी राव के दत्तक पुत्र नाना साहब के साथ अन्याय करने तथा भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने आदि के कारण जब अपें जों को दगाबाजी, जालसाजी, चा । खिलाफी और वैईमानी की कजाई खुल गई, तो भारतीय प्रजा क्रोध, असंतोष और आत्मगळानि से जुँध हो उठी, और सन् १८५७ की सशास्त्र क्रान्ति द्वारा उसने हल्ला बोल दिया—जो रफ़ाटक पदार्थ बहुत दिनों से रक्षा हो रहा था, उस पर चर्यी भी कारनूसों ने चिनगारी का काम किया।

कहते हैं कि एक बार दम-दम का कोई ब्राह्मण सिपाही पानी का लोटा लिये जा रहा था। अकस्मात् एक मेहवर ने पीने के लिये पानी माँगा। ब्राह्मण ने पानी पिलाने से उसे इन्कार

कर दिया। इसपर मेहतर ने कहा—‘पंडित जी, जात-पाँत का अमलट अब छोड़ दो। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि शिघ्र ही तुम्हें अपने दौँतों से गाय और सूअरों की चरबी काटनी पड़ेगी’

आद्यण यह सुनते ही क्रोध में भर गया, और दूसरे सिपाहियों को यह समाचार देने छावनी की ओर दौड़ा। बात की यात में यह खबर विजली की तरह सारे हिन्दुस्तान में फैल गई कि अंग्रेज उन्हें धर्मभ्रष्ट करके ईराई बनाना चाहते हैं।

बात यह थी कि सन् १८५३ में कम्पनी ने अपनी भारतीय सेना के लिये एक नई किलम के कारतूस प्रचलित किये थे, और इन्हें बनाने के लिये भारत में कई जगह कारखाने खोले गये थे। इससे पहले के कारतूस सिपाही लोग अपने हाथों से तोड़ते थे, लेकिन इन कारतूसों को दाँत से काटना पड़ता था। सन् १८५७ में गवर्नर जनरल से लेकर छोटे से छोटे अंग्रेज अफसरों तक ने सिपाहियों को इस बात का विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि कारतूसों में चरबी नहीं इस्तेमाल की गई, तथा किसी आदमी ने फौज को बरगलाने के लिये यह भूठी अफवाह उड़ा दी है, लेकिन किसी को भी इस बात पर यक्ति न हुआ। वस्तुतः सुद कई अंग्रेजों के फथनानुसार कारतूसों में चरबी का उपयोग किया गया था।

अस्तु, १० मई को मेरठ में कांति का विगुल बजा और नगर-निवासी सभा आसपास के गाँवों के लोग आकर एक-त्रित दौने लगे। पहले लोगों ने जेलराने में जाकर कैदियों

को छुड़ाया, और फिर शहर के तमाम अप्रेजेंस को उठाने के लिये दीड़े। घगलों, दफतरों और होटलों में आग उड़ी गई। चारों ओर 'दीन ! दीन !' 'हर हर महादेव' 'मारो फिरगी को' की आवाजें सुनाई उड़ने लगीं।

मेरठ से क्रांति-कारियों ने दिल्ली में प्रवेश किया उ वहाँ अप्रेज अफसरों को खत्म कर दिल्ली को कम्पनी हाथ से छुड़ा कर उसे सम्राट् बहादुरशाह के हाथ संदिया। तत्परचात् ये लोग अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, वरें मुरादाबाद, गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद आदि स्थानों पहुँचे और इन्हें स्वाधीन घनाया।

लेकिन अप्रेज शोब्र हो समल गये। सिखों, गोरखों वर अन्य भारतवासियों की सहायता से उन्होंने पूरी ताक्त ला कर विद्रोह का दमन किया, और हिन्दुस्तानियों को हिन्दुस्तानियों के खिलाफ मिड़ा दिया। सड़कों, चौराहों और बाजारों में लाशें टर्गी हुई दिखाई देने लगीं, छोटे छोटे बालकों, औ बूढ़ी औरतों को सरेआम फाँसियाँ दी जाने लगीं, लोगों माल अष्टधार को लूट कर उसे फौजी सिपाहियों में तकसीा किया जाने लगा, बहु-बेटियों का आमत लूटी जाने लगी और प्रजा को धर्म भ्रष्ट करने के लिये उनसे गिरजा घरों में भाइ दिलाई जाने लगी, मदिरों और मसजिदों को नापार किया जाने लगा, दिल्ली को जामै-मसजिद को सिख सिपाहियों की वेरिक बना छर बहाँ पालाने और पेशावराने बना दिये गए और सूअर काटकर उसका गोशत पकाया जाने लगा।

ध्यान रखने की बात है कि इस सम्राट् को बड़ी विशेषता

यह था कि इसमें हिन्दू और मुसलमानों ने कंधे से कंधा भिजाकर, उन्हीं चरवी के फारतूसों का दांतों से काटते हुए, शत्रु से युद्ध किया था। इससे जो चोज फवीर नानक आदि साधु-सन्तों के धर्म-प्रधान उपदेशों द्वारा सैकड़ों वर्षों में न हो सका, वह एक दिन में सभव हो गई थी।

स्वाधीनता-संप्राप्ति की कई कमज़ोरियाँ भी थीं। हिन्दू मुसलमानों का सम्मिलित युद्ध होने परं भी इस संप्राप्ति के पीछे विशेषतः धार्मिक या मज़हबी भावना काम कर रही थी। हिन्दू और मुसलमान अंग्रेजों को इसलिए मार भगाना चाहते थे कि वे उन्हें ईसाई बनाते थे, अंग्रेज़ी भाषा का प्रचार करते थे, और चरवी के फारतूसों को उनके दांतों से कटवाकर उन्हें घमे-ध्रष्ट करना चाहते थे।

यही कारण था कि किसी सर्व-सामान्य नारे के अभाव में 'धर्म' और 'दीन' की आवाज़ ही यहाँ अधिक सुनाई देती थी। यदि इस संप्राप्ति की प्रेरक कोई प्रथल राष्ट्रीय भावना होती तो देशी राजा महाराजा चाहे जितनी अकर्मण्यता प्रदर्शित करते, और मुझी भर सिख और गोरख सिपाही चाहे जितनी गद्दारी करते, संप्राप्ति कभी असफल नहीं होता। स्वयं अंग्रेज लेखकों ने भारतीयों की वीरता और साहस की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया है कि यदि समस्त भारतवासी हमारे विरुद्ध हो जाते तो भारत में अंग्रेजों का नाम निशान न बचता।

१८५७ के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कम्पनी की हुक्मत समाप्त कर दी गई। और अंग्रेजी राज और अंग्रेजी नीति

में यहाँ परियर्तन हुआ। अप्रेजों ने अब हिन्दुस्तानी जनता के स्विलाक यहाँ के प्रतिक्रियावादियों को अपने साथ मिलाना शुरू किया। प्रगतिशील विचार के लोगों से वे पहले काफी भेल जोल यनाये रखते थे, लेकिन अब वे उन्हें शक्ति की निगाह से देखने लगे, और उनका विरोध करने लगे। विद्रोह के बाद समाज सुधार के कामों में भा अप्रेजों का कोई दिल चर्षी न रही। इस समय १८५८ में मलका विस्टोरिया ने ऐलान किया कि 'हिन्दुस्तानियों और अप्रेजों का दर्जा घर बरो का है, ब्रिटिश सरकार धार्मिक विश्वासों और उपासना के छग में कोई दखल न देगी, तथा हिन्दुस्तान के प्राचीन रीति रिवाजों का घरावर ध्यान रखरा जायगा।'

विष्णव के बाद भारतीय सेना के सगठन के लिये एक कमीशन बैठाया गया। कुछ लोगों का ख्याल था कि हिन्दुस्तानी सिपाहियों की पलटनों को तोड़कर अप्रेज सिपाहियों के साथ योद्धे से अरव, बरमी और अफ्रीका के हवशी रख दिये जायें। कुछ ने कहा कि विद्रोह उच्च जाति वाले सिपाहियों ने किया था इसलिये उन्हें सेना में से निकाल देना चाहिये। कुछ का कहना था कि बगाल की सेना के ब्राह्मण और राजपूतों न विद्रोह किया है। आखिर कैसला हुआ कि हिन्दुस्तानी पलटनों में ब्रिटिश भारतीय प्रजा के मुकाबले में गोरखों, पठानों, डोंगरों, राजपूतों, सिखों तथा मराठों को तरजीह दी जाय।

देखा जाय तो यहाँ भी अप्रेज अफसरों को वही भेद नीति काम में ली जा रही थी। कमीशन के सामने खोलते हुए लॉर्ड एलेनबरा ने कहा था कि जितने अधिक धर्म-सम्प्रदाय और जाति वाले सिपाही हमारी सेना में

होंगे, उतने हो अधिक सुरक्षित रह सकेंगे। सरलेमेल प्रिफिन का यहो - कहना कि यदि भारत की जाति-व्यवस्था जिन्दा रखती जा सके तो फिर विद्रोह का हमें कोई ढर नहीं, क्योंकि जाति व्यवस्था और राष्ट्रीयता का हमेशा से विरोध रहा है। (ठा० घुर्ये, कास्ट ऐण्ड रेस इन इन्डिया, पृष्ठ १६३; रिपोर्ट आफ दी पील कमीशन ऑनदी आगेनाइजेशन आफ दी इन्डिया आर्मी) फौज के बड़े अफसर सर मैंसफील्ड ने कहा था—“मेरी यह पक्की राय है कि मुमल-मानों को उस दुकड़ी में नहीं रखना चाहिये जिसमें हिन्दू या सिख हों; और हिन्दुओं तथा सिखों को भी आपस में मिलने जुलने नहीं देना चाहिये। ...इससे फौज का अनुशासन घटने के बजाय घड़ेगा और पूरी फौज कमांडिंग अफसर के हुक्म पर चलेगी। फौजी कमाण्डर की नीति होनी चाहिये ‘फूट ढालकर राज फरो’।” कमीशन की राय थी कि हिन्दुस्तानी पलटनों में भिन्न-भिन्न जाति तथा धर्म वाले लोगों की मरती करना चाहिये, इसी में बृटेन का लाभ है।

अंग्रेजों की इस नीति का परिणाम यह हुआ कि सोपणाने की नौकरियाँ देशी सिपाहियों के लिये घन्ट कर दी गई, तथा गोरे सिपाहियों के मुकाबले में घटिया हथियार और कम जिम्मेदारी के ओहदे दिये जाने लगे।

हिन्दुस्तान की मर्दु मशुमारी के समय भी छोटी-छोटी जाति और उपजातियों की साना-पूर्ति कर, ग्राम्य आदि वर्ण-कम के अनुसार रजिस्टरों में खाने घनबाकर जाति भेद को ब्रोत्साहित किया गया। बहुत से लोगों को वो अपनी जाति का ही ठाक पता न था, ऐसी हालत में मर्दु मशुमारी के अफ-

सरों ने जो जाति लिख दी, वही मान्य होगई। मलाशार के जायरों को सरकारी रजिस्टरों में शुद्ध लिख दिया गया था।

सन् १९२१ की घगाज सेन्सस में लिखा है कि 'कुछ जाति बालों ने सोचा कि यह अच्छा भौका है कि वे सरकारी रजिस्टरों में अपनी जाति दर्ज कराकर समाज में कोई स्थान प्राप्त करलें, इसके लिये उन्हें उत्साहित भी किया गया था।' सन् १९११ में मद्रास सूबे की मर्दु मशुमारी के एक अफमर ने भी यही लिखा है कि मर्दु मशुमारी के परिणाम स्वरूप 'लोगों में जाति-सभाओं की स्थापना होगई है और ये सभाएं अपनी जाति के लिये खास स्थान प्राप्त करना चाहती हैं।

सन् १९२१ की पजाब की मर्दु मशुमारी के एक अप्रेज़-सुपरिदेन्डेन्ट ने इस सबध में जो लिखा है वह ध्यान देने चाहय है—'लोगों के पेशों को लेकर जो जातियों की खाना-पूर्ति की जारही है, जनता उसका अत्यन्त विरोध करती है। ये जातियां प्राय स्वतं निर्माण की हुई हैं। हमारे जमीन-जायदाद के दस्तावेज़ और दफ्तरों के प्रमाणपत्र आदि से जात-पाँत के पुराने कठोर वधन और हड हो गये हैं। उच्च श्रेणी के लोगों में पहले से ही जात-पाँत के कठोर नियमों का पालन किया जाता था, जब कि नीचों जाति के लोगों में यह बात नहीं थी। लेकिन अब हम लोगों ने किसी मनुष्य की ठीक जाति मालूम न होने पर उसकी जगह उसके परम्परा गत पेशे का नाम लिखकर जात-पाँत को सदा के लिये अभिट बना दिया है।' (डॉ० धुर्यों, कास्ट एण्ड रेस इन इन्डिया, पृ० १६० इत्यादि)

इसी तरह नौकरी, स्कूल-कालेज, पुलिस चौकी, अदालत,

चुनाव आदि में जाति-भेद को प्रोत्साहित किया गया। जाति लिखाये विना दस्तावेज़ और पुलिस की रिपोर्ट अधूरे समझे जाने लगे। रेल द्वारा पासल भेजते समय फार्म में जाति का साना भरना आवश्यक हो गया। जेलो में कैदियों की जाति लिखी जाने लगी। मतलब यह है कि जन्म से लेकर मरण तक बार बार हिन्दुस्तानियों की जातीय-भावना को गुद गुदाया गया, जिससे जाति का महत्व घड़ गया और लोग उसे बहुत बड़ी चीज़ समझने लगे।

जाति को अनावश्यक महत्व देने का धिरोध करते हुए डाक्टर एनेकजेन्डर टफ ने अप्रेज़ सरकार को सिफारिश की थी कि सरकारी नोकरियों में उम्मीदवार की जाति आदि के विषय में प्रश्न करना फिजूल है, उसका नाम भर जान लेना पर्याप्त है, तथा उसकी योग्यता देख कर ही उसे नौकरी दे देना चाहिये। मिस्टर शेरिंग आदि ने भी इस बात का समर्थन किया था। (देखो जै० मरडोस, कास्ट, पृ० ४०-१; डफ, 'इन्डियन रिवेलियन' पृ० ३०३, ३५०-२)।

इस प्रकार एक ओर ब्रिटिश साम्राज्यवाद, अपनी नीति से पराधीन जनता के भेद-भाव बनाये रखने और उन्हें बढ़ाने में पूरी शक्ति का उपयोग करता रहा, और दूसरी ओर यह कह कर कि 'दिन्दुस्तान की समस्या बहुत बड़ी और मुश्किल है, यहाँ असल्यों जातियों और मतों की भरमार है,' इस बात का ढोल पीटता रहा कि भेद-भाव के कारण भारत की जनता हुक्मत को बागडोर समाजने के अयोग्य है।

## अध्याय पाँचवाँ

भारत की प्राचीन समाज-व्यवस्था की अंग्रेजी सभ्यता  
से टक्कर ( राजा राम मोहन राय-महात्मा गांधी )  
( १७७२-१८४८ )

हिन्दुस्तान में बहुत सी घरेलू लड़ाइयाँ हुईं, वाहरी हमले  
हुए, क्रातियाँ मचीं, जय पराजय हुईं, दुष्काल पढ़े, लेकिन फिर  
भी भारतीय समाज का भीतरी ढाँचा नहीं बदल पाया।  
इसका कारण यही है कि हिन्दुस्तान के बज विन्दु-मुसलमानों  
में ही नहीं बँटा था, बल्कि वह अनेक जाति और उपजातियों  
में विभक्त था, जिससे किसी राष्ट्रीय संगठन के अभाव में  
देश की सारी शक्ति छिन्न भिन्न हो रही थी। इसीलिये राज-  
पूतों को पराजित करके यहाँ मुसलमानों ने अपना राज्य  
कायम किया, और हिन्दू-मुसलमानों को पश्चिम लड़ाकर  
अप्रेज़ों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया।

दरअसल जाति पाँति की भावना ने भारतीय जीवन को  
आरामतलब और आत्म सतोषी बना दिया था जिससे भारत  
वासियों का झुकाव अध्यात्मवाद की ओर होने से उनके  
जीवन सप्राम की शक्ति मन्द पड़ गई थी। जाति व्यवस्था के  
ऊपर आधारित भारत की प्राचीन सामाजिक व्यवस्था अब

मानता को ही संगठित व्यवस्था थी, जो समाज की आध्यात्मिक उन्नति को मुख्य मानकर चलती थी; और जिससे समाज भौतिक उन्नति में विद्धि गया था। इसीलिये हम देखते हैं कि इस देश का अतीत इतिहास उसकी लगातार पराजयों का इतिहास है,—यह इतिहास भारत पर लगातार आक्रमण करने वाली आर्य, यवन, शक, गुजर, जाट, आभीर, हृष्ण, अरथ, तुर्क आदि जातियों का इतिहास है, जिन्होंने अपरिवर्तनशील समाज की निश्चेष्टता के आधार पर अपने साम्राज्य रथापित किये। साम्राज्यों की नींव मजबूत न होने के कारण ये साम्राज्य अधिक समय तक न टिक सके, और नवागन्तुक जातियाँ एक कोने में पड़ी रहकर निर्जीव और निष्क्रिय जीवन व्यतीत करने लगीं।

भारत की इस प्राचीन समाज-व्यवस्था ने समाज को हमेशा आगे बढ़ने से रोका। इह समाज का सीधा सादा रूप है कि सब लोग मिलकर सेती करते हैं और आपस में पैदाचार बोट लेते हैं। हर कुनबे में कर्ताई-बुनाई का काम सहायक धंधों के रूप में होता है। इस तरह गाँव के लोग एक ही काम में जुटे रहते हैं। इनमें मुखिया, ब्राह्मण, ज्योतिषी, बद्री, लोहार, कुम्हार, नाई, धोबी आदि लोग अपनी आजीविका के निए समाज के ऊपर निर्भर होते हैं।

फार्न माक्स्स ने भारतीय समाज के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है.——

‘यह समाज अपने में पूर्ण है और इसका उत्पादन बहुत सीधे ढग से होता है। ये समाज एकही ढांचे के अनुसार अनते-विगड़ते रहते हैं। एक गाँव घरवाद होगया तो उसी

जगह हृष्ट वैस हा दूसरा गाँव उठ रहा होता है। एशिया के समाज में नो कोइ परिवर्तन नहीं दिराई देरा, उसका कार यहां है। एशिया के राज्य और हुक्मर करने वाले राजवश बहुत जल्दा जल्दी घनते विगड़ते रहते हैं। राजनीति के आसमान में जो तूफानी बाढ़ उठते हैं, उनका कोइ भी असर इस समाज के आर्थिक तत्त्वों या उसके ढाँचे पर नहीं पड़ता'। ( कैपिटल, खड १, अध्याय १४, अंश ४, आन का भारत, दूसरा भाग, पृष्ठ ८६ ) ।

आगे चलनर यही महाशय लिखते हैं—'हमें यह न भूलना चाहिये कि इन छाटे छोटे समाजों म गुलामी और व्यणप्रथा का बोलबाला था। मनुष्य तो परिस्थितियों का रखामी है। लेकिन उसे उठाने के बदले ये समाज उसे परिस्थितियों का गुलाम बना दते थे। विकासमान समाज को उन्होंने नियति की तरह अपरिवर्तनशील बना दिया था। मनुष्य प्रकृति का ऐसा पुनारी बना कि अपनी मनुष्यता सो चैढ़ा। प्रकृति का स्थामी मनुष्य पशुओं के सामने धुटने टेक कर उनका पूना करन लगा।' ( आर्टिकिल्स आन इन्डिया पृ० ११ आज का भारत, दूसरा भाग पृ० ६१ ) ।

इस प्रकार हमें पता चलता है कि भारत के ये ग्राम समाज पूरब की निरक्षा राज्य सत्ता के दृढ़ आधार थे। उन्होंने मानवीय मानिषको एकछोट घेरे म बन्द कर रखा था, पुरान रीति रिवाज का गुलाम बनाकर उसे अधिकार बासा का भक्त बना दिया था, और उसे मिथ्या विश्वास को चुपचाप स्वीकार करने वाला हथियार बना सभी महान् ऐतिहासिक ( इतिहास की प्रगति से उत्पन्न ) शक्तियों से व्यचित रखा था।

ऐसी दशा में गाँवों के अपने स्पावलंबों स्वरूप को दूर करने के लिये उनके पुराने उद्योग पंथों का वरचाद होना जरूरी था। इनके वरचाद होने से ही सदियों से चली आरी हुई भारतीय समाज की अपरिवर्तन-शीलता दूर हो सकती थी ताकि भारतीय मानव प्राम-भक्ति से उठकर देशभक्ति तक पहुँचने में समर्थ हो सके। हमारे समाज का धर्म और जाति के संकुचित दायरे में रहना, तथा हमारे शिल्पियों और किसानों का हजारों वर्ष पुराने बसूले, हँसुओं आदि से चिपके रहना हमारे समाज को इसी अपरिवर्तनशीलता का दोतक है। जिसके कारण हम शासकों की निरक्षणता का मुकाबला नहीं कर सके।

पं० जवाहरलाल नेहरू ने मरीनों और उद्योगवाद के खिलाफ गांधीवादी विचारों की आलोचना करते हुए 'मेरा कहानी' ( पृ० ६०५ ) में लिखा है—

'हाल ही में 'हरिजन' में गाँव के घन्थों के बारे में गांधी जी ने लिखा है—

मरीनों से उस बर्छ काम लेना अच्छा है जब जिस काम को हम पूरा करना चाहते हैं उसे पूरा करने के लिये काम करने वाले बहुत कम हैं। लेकिन जैसा कि हिन्दुस्तान में है, अगर काम के लिए जितने आदमियों की जरूरत है "ससे ज्यादा आदमी मौजूद हों तो, मरीनों से काम लेना बुरा है।" हम लोगों के सामने यह सवाल नहीं है कि हम अपने गाँव के रहने वाले करोड़ों लोगों को काम से छुट्टी या फुरसत किस तरह दिलावें। हमारे सामने जो भसला है, वह सो यह है कि

उनके उन चेकारी को घड़ियां का किम तरह इस्तेमाल करें जिनकी सादाद साल में काम के छह महीनों के दरावर हैं।

लेकिन यह ऐतराज तो थोड़ी-नहुत मात्रा में उन सब मुल्कों के लिए लागू होता है जो चेकारी की मुसीमत में पढ़े हुए हैं लेकिन सचमुच खरानी यह नहीं है कि लोगों के करने के लिए काम नहीं है, वह तो यह है कि मौजूदा पूजीपति प्रणाली में अब अधिक लोगों को काम में लगाना लाभकारक नहीं होता। काम की तो इतनी बहुवायत है कि वह पुकार-पुकार कर कह रहा है कि आओ, आओ और मुझे पूरा करो। ..लेकिन यह सब तभी हो सकता है जबकि प्रेरक शक्ति समाज की तरक्की करना हो, न कि मुनाफे की वृत्ति, और जब कि समाज इन थारों का सगठन आम लोगों की भलाई के लिये करे। रूस का सोवियत यूनियन में ओर चाहे जितनी रामिया हो, लेकिन वहाँ एक भी आदमी बेकार नहीं है। हमारे भाई इसलिये बेकार नहीं हैं कि उनके लिये कोई काम नहीं है, बल्कि इस लिये बेकार हैं कि उनके लिये काम के और सास्कृतिक तरक्की के बाते किसी किस्म की सहजियत नहीं हैं।'

भारतीय समाज के इस ढांचे में परिवर्तन का कारण हुआ भारत में अप्रेजी राज। पहले कहा जा चुका है कि अप्रेज विजेता यहाँ रहने के लिये नहीं बल्कि व्यापार करने के लिये यहा आये थे। ऐसी हालत में भारताच अप्रेजी दोनों सभ्य ताओं में सधर्प होना स्वाभाविक था। भारतीय प्रजा ससार को मिथ्या मानकर अध्यात्मवाद में विश्वान करती थी जब कि अप्रेजी सभ्यता भौतिकवाद पर जोर देकर इहलोक की प्रधानता स्थीकार करती थी। परिणाम यह हुआ कि हिन्दू लोग

हूण, शक आदि आक्रमण-कारियों की तरह अंग्रेज जाति को अपनी जाति में न मिला सके, विंक वे अङ्गरेजी भाषा और साहित्य के द्वारा आने वाली युरोप तथा अमरीका की घातों से प्रभावित होने में अपमान का अनुभव कर दूर-दूर रहने की कोशिश करने लगे ।

सौ वर्ष के अन्दर ( १७५७—१८५६ ई० ) ब्रिटेन ने ईस्ट इन्डिया के द्वारा, भारत के अधिकतर भाग पर अपना शासन स्थापित कर लिया और वाकी राज्यों को अपने आधीन घना लिया । इस समय भारत में एक ऐसे युग का आरम्भ हुआ जो वातव में नवीन था । विज्ञान की सहायता से सारा देश एक शासन-प्रणाली के सूत्र में बाँध दिया गया और अब भारत में धार्मिक, और राजनीतिक क्रातियां एक साथ होना शुरू हो गईं, जिससे इस देश की पुरानी सामाजिक व्यवस्था की जड़ें हिल गईं और यहाँ की स्थृति ढाँचाढोल होने लगी ।

सन् १७८० से १८५० तक के बीच में इंग्लैंड के व्यापार में वेतहाशा उत्तरि हुई । पहले लगभग ३८ लाख, ६१ हजार ५२० रुपये का माल ब्रिटेन से हिन्दुस्तान में आता था, अब लगभग ८ करोड़, २ लाख ४० हजार का माल आने लगा । विदेशों में इंग्लैंड वालों के पास जो बाजार थे, उनका ही हिस्सा अकेला हिन्दुस्तान था । इसी प्रकार सन् १८२४ में इंग्लैंड मुश्किल से ६० लाख गज मलमल हिन्दुस्तान भेजता था । सन् १८३७ में उसका व्यापार चढ़ते-चढ़ते ८ करोड़ ४० लाख गज तक पहुँच गया । फल यह हुआ कि यहाँ के चरखे और फरधे आदि घरेलू उद्योग धर्घों को धक्का लगा और यहाँ की मासीण व्यवस्था में उथल-पुथल मच गई ।

बस्तुतः खेती बारी और उद्योग-धर्घों का आपसी मेल ही बहु बुनियाद थी जिस पर ग्राम-व्यवस्था टिकी थी। करघा और चरां मारतीय समाज के रत्नम् थे, क्योंकि मारतीय परिवार-समुदाय का आधार था घरेलू उद्योग, यानी हाथ की कलाई, बुनाई और खेतों में हाथ की जुताई जिनके कारण वह स्वावलंबी बना हुआ था। योरप के ज्ञान विज्ञान और फल-फारखानों के अधिकार ने इसको तहस-नहस कर ढाढ़ा जिससे शहरों के लोग अपना-अपना व्यवसाय जोड़कर गाँवों में मारा गये, गाँवों की आर्थिक व्यवस्था छिप मिल हो गई, और खेती के लिये बुरी तरह छीना फपटी होने लगी।

ज्ञान-विज्ञान के साथ-साथ योरप के साहित्य से भी हिन्दुस्तान का सम्बन्ध हुआ और परिचम से नई विचार-धाराये आईं जिससे यहों की सरहनि में परिवर्तन की क्रिया आरम्भ हो गई। लार्ड विलियम बेल्ट की नीति के अनुसार यहाँ अप्रेजी शिक्षा का प्रचार आरंभ हुआ जिससे मानसिक क्रांति का रफ़तार और बढ़ गई। इसी तरह अप्रेजा के शासन सर्वथो विचारों के फल-स्वरूप यहाँ की पुरानी शासन-प्रणाली को भी धक्का लगा, और सन् १८५७ के विद्रोह का दमन करने के बाद सामाजिक आंदोलनों तथा राजनीतिक संस्थाओं के लिये भारी खुल गया।

इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दुस्तान में अप्रेजों के पदार्पण करने से जो इस देश की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ उसमें अप्रेजों की स्वार्थपरता और उनका नीच उद्देश्य छिपा हुआ था। क्योंकि रेल, सड़क और नहर आदि निका-

लने में उनका एक मात्र उद्देश्य था हिन्दुस्तान के माल को कम से कम दामों में खरीद कर विलायत ले जाना और उसके बदले अपने माल को यहाँ लाकर अधिक से अधिक दामों में बेचना। लेकिन रेल आदि के आविष्कार से इस देश में नये उद्योग-धन्धों की नींव पड़ी जिससे यहाँ के प्राचीन श्रम विभाजन की व्यवस्था नष्ट गयी, जिस पर हिन्दुस्तान की जातियाँ टिकी हुई थीं। ऐसी हालत में अम्रेजों ने भारत के प्राचीन मान्य समाज को नष्ट करके भले ही अज्ञानतंत्र अपराध किया हो, लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि इससे सामाजिक क्रान्ति का जन्म हुआ। यस्तुतः हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता ब्रिटिश सामाज्यवाद से लड़ते हुए पैदा हुई है और लड़ते हुए ही बढ़ी है। इसलिये यह कहा जा सकता है कि उससे राष्ट्रीयता का आरंभ हुआ है।

इस सामाजिक क्रोति के फलस्वरूप आर्थिक द्वे भ्राता में अनेक परिवर्तन हुए। नये-नये पत्रों के आविष्कार से घरेलू उद्योग-धन्धों का स्थान बहुत कुछ कारणानां ने ले लिया? जिससे लोगों को काम मिला, और बहुत से किमान अपनी खेती-यारी छोड़कर कारणानों में आकर नौकरी करने लगे। रेलों के आवागमन से अकालों के समय अन्न को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सुविधा हो गई और किसानों को अपने अनाज का पहले की अपेक्षा अधिक मूल्य मिलने लगा।

इसी प्रकार सामाजिक और धार्मिक द्वे भ्राता में समाज-संगठन और पुराने रीति रिवाजों में सुधार की आवश्यकता दिखाई पड़ने लगी। विचारक लोग अनुभव करने लगे कि

राष्ट्रीय सन्नति के लिए यह जरूरी है कि जात पाँत के वधन शिथिल कर दिये जाय, मियों को शिक्षित कर उनकी मान मर्यादा में वृद्धि की जाय, अचूतोद्धार किया जाय, और चाल-विवाह आदि प्रथाओं का अत किया जाय उधर प्रेस की खांधीनता से शिक्षा पा प्रचार थढ़ा और देशी भाषाओं में इतिहास, जीवनचरित उपन्यास, विज्ञान आदि पर ग्रन्थ लिखे जाने लगे।

गत सात आठ शताविंशियों से सस्कृत के बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वान् स्वतंत्र रूप से साहित्य की रचना न कर प्राचीन ग्रन्थों पर ही टीका टिप्पणियों लिपते आ रहे थे, लेकिन अब ब्राह्मण अनाज्ञण का बन्धन कम हो गया और स्वतंत्र ग्रन्थों की रचना होने लगी। सन् १८५७ में कलकत्ता युनिवर्सिटी की स्थापना हुई, बम्बई, मद्रास, पजाब आदि प्रान्तों में भी युनिवर्सिटिया खुलीं। कलकत्ते के सस्कृत और हिन्दू कॉलेजों में तथा घनारस के सस्कृत कॉलेज में उच्च वर्ण के विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकते थे लेकिन अप्र क्रिश्यचन मिशनरियों के स्कूल कॉलेज खुलने से यह कटूरता न रही। उधर साथ ही टेक्निकल और मेडिकल कालेजों के खुलने से विज्ञान की उन्नति होने लगी। सन् १८६४ में बम्बई में हिन्दुओं के होटल खुले, और उच्च वर्ण के ब्राह्मण इनमें बैठकर चाय विस्कुट खाने लगे।

इस सामाजिक ग्रान्ति से भारतीय जनता भ पुनरुत्थान की प्रवृत्ति जाएत हुई जिससे सुधार आन्दोलन ने जोर पकड़ा। भारत के विभिन्न भागों में जो धर्म सुधारक अथवा समाज सुधारक हुए उनका यही प्रयत्न रहा कि हिन्दुओं में जा अध-

विश्वास और कुख्लियों प्रचलित हो गई हैं, जिनके कारण हिन्दू जनता अपनी विचारशक्ति खोकर सच्चे धर्म से दूर चली गई है, उनसे समाज को मुक्त किया जाय। इन सुधारकों की पुकार थी कि 'फिर से वेदों या शास्त्रों के मार्ग पर लौट चलना।

बात यह थी कि सदियों तक मुसलमान शासकों के नीचे रहने के कारण तथा बहुसंख्यक जन-समुदाय के इस लाभ तथा ईसाई मत में दीक्षित हो जाने के कारण हिन्दुओं की शक्ति कमज़ोर हो गई थी। इसी प्रकार अंमेजों द्वारा युद्ध में पराजित होने पर और नये धर्मानुयायियों के प्रवेश से इसलाम एक क्रियाप्रधान धर्म बनकर निष्क्रिय और निर्जीव सा बन गया था। उधर ईसाई मिशनरियों के धर्म-प्रचार के अलावा, इस समय ओरपीय विद्वानों ने हिन्दुओं के संस्कृत मन्त्रों का अध्ययन शुरू कर दिया था जिससे पूर्व और पश्चिम का संपर्क घटता जा रहा था। इसी अंग्रेज भी अब हिन्दूतान को केवल 'छापार की एक मंडी' से कुछ अधिक समझने लगे थे। और कम्पनी के कुछ दूरदर्शी अंग्रेज चाहते थे कि हिन्दुस्तान और इंगलैंड का संबंध बढ़े।

ऐसी दृश्या में बहु समाज के संस्थापक भारतीय राष्ट्रीयता के पितामह राजा राम मोहन राय ( १७७२-१८३३ ) का जन्म हुआ। इसलाम धर्म से प्रभावित होने के कारण ये मूर्तिपूजा और बहुदेव वाद को न मानते थे। सती प्रथा का इन्होंने घोर विरोध किया, और सन् १८१६ में यह प्रथा गैर फानूनी घोषित कर दी गई। जात-पात और बहु-विवाह पथा के ये विरोधी थे और विधवा-विवाह के समर्थक

सन् १८३० में ब्राह्मणों के पनाये कानूनों पा उल्घन कर समुद्र यात्रा परके ये इगर्लींड गये थे। सन् १८५८ में राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। हिन्दू धर्म का समर्थन करते के लिये ये ईसाई मिशनरियों के साथ बाद-विदाद किया करते थे। परिचमी शिष्यों के ये पत्रपत्रिका थे, और इनके आन्दोलन से अमेरी पढ़े-लिखे बगालियों में जागृति का सचार हुआ था। पूर्व और परिचम की आध्यात्मिक शक्ति की ये समिलित करना चाहते थे।

सन् १८५७ में केशवचन्द्र सेन अब समाज में आये। उन्होंने अन्तर्राजीय विवाह का समर्थन किया, बहोपवीत का ये विरोध करते थे। सन् १८८४ में केशवचन्द्र सेन ने चम्पई में प्रार्थना समाज कायम की। अन्य नगरों में भी इसकी शासायें सुलीं।

लेकिन ब्रह्म समाज का ज्ञेत्र काफा सकुचित था। यह स स्था रासकर अमेरी पढ़े-लिखे लोगों के लिये थी, इसलिये साधारण जनता इसमें समिलित नहीं हो सकती था। इमके अलावा, ये लोग छोटी छोटी बातों में परिचम की नकल किया करते थे।

धीरे धीरे अमेरी पढ़े लिखे हिन्दूतानी और ब्रिटेन के सरकारी अफसरों में राजनीति मध्यमी बातों का लेकर मन-मुटाब होने लगा। योरप की नई सभ्यता और भारत की प्राचीन सभ्यता में तो पहले से ही संघर्ष चला आता था। फल यह हुआ कि भारतीय जनता में विदेशियों के प्रति एक प्रकार का नया विद्रोह खड़ा हो गया, जिससे विदेशी माल को बुरा समझा जाने लगा, और पहले जो अपनी धार्मिक या सामाजिक

सरथाय द्वानिकारक घोषित कर दी गई थी, उनका फिर से समर्थन किया जाने लगा। इस समय आवश्यकता थी ऐसे व्यक्ति की जो योरप की सरकृति के मुकाबले में भारत की प्राचान स्थृति और सभ्यता को श्रेष्ठ सिद्ध कर जनता को मांग दिखा सके।

यह काम किया स्वामी दयानन्द सरस्वती (१८२४-१८८३) ने। स्वामी जी सन् १८२४ में काठियावाड़ में पैदा हुए थे लेकिन अपना कार्य क्षेत्र चुना उन्होंने उत्तर भारत। उन्होंने हिन्दुस्तान की बहुत दूर दूर तक यात्रा की और सन् १८५५ में आर्य-समाज की 'थापना' की। राजा राममोहन राय की तरह वे अप्रेजी पढ़े लिखे नहीं थे, और हिन्दी में ही वे अपने धर्म का प्रचार करते थे। स्वामी जी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा जात-पॉत और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। शूद्र को वेदाध्ययन का अधिकार उन्होंने दिया था, लेकिन वर्णाश्रम धर्म को वे मानते थे, इसलिये शूद्र यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकारी नहीं था। स्वामी जी का विश्वास था कि वेद सब विद्याओं का भट्ठार है और उसमें आधुनिक विज्ञान के तत्त्व-यहाँ तक कि हाईडोजन और ऑक्सिजन भी-सन्निहित हैं। स्वामी दयानन्द शुद्धि और मगठन पर जोर देते थे और उन्होंने बहुत से हिन्दुओं को मुसलमान होने से बचाया था। हिन्दू, मुसलमान और ईसाई लोगों के साथ उन्होंने शास्त्रार्थ किये थे। एक बार बनारस में ३०० ब्रह्मण पढ़ितों के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ। कट्टर हिन्दुओं ने उन्हें मारने का भी प्रयत्न किया किन्तु वे सफल नहीं हुए।

तत्परतात् यगाल में राम कृष्ण परमहस (१८४०-१८८६) का जन्म हुआ। ये साधारण पड़े लिखे थे और ब्राह्मण कुल में

पेंदा हुए थे। रामकृष्ण भजि-मार्ग के उपदेशक थे समस्त धर्मों को सत्य फा भिन्न भिन्न रूप मानते थे। व कहना था कि हिन्दू धर्म का पालन करके ईश्वर का साक्षा किया जा सकता है, अतएव हिन्दुओं को अन्य किसी ध दीक्षित होने की आवश्यकता नहीं।

रामकृष्ण परमहस के शिष्य रवामी विवेकानन्द (६३ १८०२) हुए। सन् १८६३ में वे सर्वधर्म परिपद्म में शिव गये और वहाँ वेदान्त की अच्छता का प्रतिपादन किए विवेकानन्द का कहना था कि अपने दुर्लभ दारिद्र्य के अप्रज्ञों को दोषी न ठहरा कर हिन्दुत्वानियों को स्वर्ण अ आप को दोषी मानना चाहिये। कहते हैं कि वे भारत के रामहाराजाओं की सहायता से ब्रिटिश हुक्मत को उलट चाहते थे लेकिन जब उन्होंने देश का पर्वटन किया तो उन बड़ी निराशा हुई और उन्होंने कहा कि ऐसे अकर्मण्य लो से कुछ नहीं हो सकता।

सन् १८७५ में एक और संस्था को स्थापना हुई। इसका नाम था थियोसोफीकल सोसायटी, इसके संस्थापक थे कर्ने एलकौट और ल्लेवेट्रकी। इनका मुख्य उद्देश्य था कि हिं जाति अपने प्राचीन अध्यात्मवाद तथा आध्यात्मिक दृष्टि कोण पर उद्धता पूर्वक आरढ़ रहे। सन् १८६३ में श्रीमत एनी वेसेन्ट का भारत में आगमन हुआ और उन्होंने वां उत्तराह के साथ इस संस्था का जेतृत्व किया। सन् १८८८ व श्रीमती वेसेन्ट ने बनारस में सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल कायद किया, जो कुछ समय परचात् हिन्दू कॉलेज और आगे चल कर हिन्दू विश्वविद्यालय बन गया।

इस समय हिन्दुओं के वेदकालीन भारत के आदर्श के समान मुसलमानों ने भी रसूल पाक या अपने अरब के खलीफाओं की आवाज उठाना शुरू किया। लगानड़ और दिल्ली के प्रसिद्ध मौलियों ने ऐलान कर दिया था कि अंग्रेजों की हुक्मत आने के बाद से हिन्दुस्तान दारुल इसलाम अर्धात् इसलाम का देश नहीं रह गया है, बल्कि दारुल-हरब यह गया है। सार्व भौम—इसलामवाद का कहना था कि योरपियन आधिपत्य से छुटकारा पाकर मुसलमानों के धार्मिक शासन का गौरव-पूर्ण युग फिर से कायम किया जाय।

उन्नीसवीं सदी के शुरू में हाजी शरियत अल्ला ने अरब के बहाबी आन्दोलन से प्रभावित होकर, अपने महघरियों को यह उपदेश दिया कि इसलाम की प्राचीन पवित्रता की ओर लौट चलो, और उससे भिन्न जो रीति-रिवाज हैं उन सबको छोड़ दो। उनके पुत्र दूधू मियाँ ने मनुष्य-मनुष्य की समानता की घोषणा की, और दीन-दुसियों का पक्ष लिया। उसने इसलाम की प्रारम्भिक पवित्रता का समर्थन किया, और गैर-इसलामी रीति-रिवाजों का विरोध।

रायबरेली के सर सैयद अहमद ( १८१७-१८६८ ) ने मुसलमानों को रसूल के रास्ते पर ले जाने के लिये मुसलमानों में प्रचलित विवाद, शब्द स्कार, आदि से संबंध रखनेवाले बहुत से रीति-रिवाजों को, जिनमें घन का अपव्यय होता था, रोकने की कोशिश की। इसलाम की प्राचीन महत्वा पर जोर देने वाले अन्य मुसलमान सुधारकों की तरह सर सैयद अहमद अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी नहीं थे। सन् १८७५ में

अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिनियल कॉलेज की स्थापना की, जिसके द्वारा ये नई और पुरानी शिक्षा के बीच सामग्रस्य स्थापित करना चाहते थे। यही कॉलेज आज रुल की मुसलिम युनिवर्सिटी है।

यस्तुत सन् १८५८ से १८८५ तक का काल हिन्दुस्तान के लिये बड़ा सकट का था। सन् ५७ के विद्रोह का बदला लेने की भावना निटिश अफसरों के मन में कम नहीं हुई थी, इसलिये शासक और शासिकों के बीच फी रसाई बढ़ती जाती थी। अप्रेज अफसर इगलेंड से सद्गावनाओं के साथ हिन्दुस्तान आते थे लेकिन यहाँ आते ही वे अष्ट हो जाते थे। इधर इस समय बहुत सी मेम साहिवाए भा हिन्दुस्तान आईं, और इनके आने से काले गोरे के रंग भेद ने ज्वार पकड़ा। ये हिन्दुस्त न और उसके निवासियों को बड़ी नीची निगाह से देखतो थीं, और इनका मन सदा इगलेंड का ओर लगा रहता था। इनके आने से अप्रेजी क्लान आदि कायम होने लगे जिनम हिन्दुस्तानी लोग प्रवेश न पा सकते थे।

इसके अलावा, सन् १८५८ में शासन की बागडोर कम्पनी के हाथ से निकल कर निटिश पार्लायमेन्ट के हाथ में पहुँचने ही नि शब्दीकरण का कानून पास कर दिया गया था जिनसे हिन्दुस्तानियों के सब इथियार अप्रेजों के हाथ में पहुँच गये। इसी काल में इडियन सिविल सर्विस की परीक्षा इगलेंड में ली जाने लगी, जिसमें बहुत पक्षपात-पूर्ण वर्ताव किया जाता था। इससे अप्रेजी पढ़े लिखे लोगों में भी अप्रेजी शासन के प्रति तिरस्कार की भावना पैदा हो गई थी। हिन्दुस्तान में रेल तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में अप्रेज अफ-

सर हिन्दुस्तानियों के साथ बहुत अशिष्ट और अपमान-जनक वर्ताव करते थे। अंग्रेज कर्मचारियों को सजा देने में भी पक्षपात से काम लिया जाता था। इन सब बातों से भारतीय जनता का हृदय रोभ और आत्मालानि से भर गया और वह विदेशियों की पराधीनता से मुक्ति पाने के लिये एक बार आतुर हो उठी।

भारत में इंडियन नैशनल कांग्रेस का जन्म इन्हीं परिस्थितियों में हुआ था, यद्यपि इसके पहले यहाँ कुछ और संस्थायें भी काम कर रही थीं। सन् १८४७ में जमीदारी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। कहने को इसका द्वारा प्रत्येक जाति और व्यक्ति के लिये खुला था, लेकिन विशेष कर यह संस्था जमीदारों की थी। १८८३ में बङ्गाल विटिश इंडिया सोसायटी की नींव रखकरी गई। इसका उद्देश्य भी सरकार का वफादार रहते हुए देश को उन्नत घनाने का था। जमीदारी एसोसिएशन की तरह इसके सदस्य भी अधिकतर अंग्रेज ही होते थे।

सन् १८५१ में विटिश इन्डियन एसोसिएशन कायम की गई। इसके सदस्य हिन्दुस्तानी होते थे। इस संस्था के कायम होने के बाद गैर-सरकारी अप्रेज़ों और उच्च अधिकारी के हिन्दुस्तानियों में रंगभेद शुल्क हो गया था, जो सन् ५७ के बाद घटता गया। इस संस्था का उद्देश्य या स्थानीय शासन तथा सरकारी व्यवस्था में सुधार करना। सन् १८५२ में इस संस्था ने अपने दुसरे दफ्तरीफों का उल्लेख करते हुए विटिश पालियामेन्ट के सामने अपनी माँगें पेश की—जो ये ही माँगें पाद में छलकर इंडियन नैशनल कांग्रेस की माँगें हुईं।

वस्तुत इस समय भारत की जनता जागृत हो शाने शाने। एक सून में घैंघरी जा रही थी, और यहाँ के विचारशील लोगों ने देश के आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया था। ब्रिटिश इंडियन ऐसोसिएशन के मंत्री श्री देवेन्द्रनाथ टैगोर के प्रयत्न से मोद्रास आदि स्थानों में भी ऐसोसिएशन की शाखायें खुल गई थीं। अबध के बहुत से तालुकदार और जमीदार इस समय में घुस गये थे, जिसके कल स्वरूप साथा का उद्देश्य राजनीतिक न रहकर अप्रेजी शासन कायम रहने के पक्ष में हो गया था, और सधा अब बहुत सतर्कता से काम करती थी जिससे ब्रिटिश सरकार को कोई यात्र अप्रिय न हो।

लेकिन जनता में असतोप फैल रहा था जिससे विद्रोह की मावना जोर पकड़ रही थी। यद्यपि जमीदार लोग अप्रेजी शासन को कायम रखते हुए देश के नेता बने रहना चाहते थे, लेकिन स्वाधीनता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचारों से अभावित अप्रेजी पढ़े लिखे लोग वथा साधारण जनता अप्रेजा सत्ता को उखाड़ फेरना चाहती थी।

इसी समय सन् १८७५ में श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने इंडियन ऐसोसिएशन की स्थापना की। २४ मार्च सन् १८७७ को कल कत्ते के टाउन हॉल में श्री केशवचन्द्र सेन की अध्यक्षता में ऐसोसिएशन का सभा हुई, जिसमें इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षाओं के इगलेंड में लिये जाने आदि का विरोध किया गया। इस समय का भी साधारण यही उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार की वफादारी करते हुए वैधानिक सरकार की स्थापना का जाय। ऐसोसिएशन की ओर से जाल मोहन घोप को

इगलैंड भेजा गया, और इन्होंने पालियामेन्ट के समक्ष अपनी मार्गे पेश की।

सन् १८८० में लार्ड रिपन हिन्दुस्तान के बाइसराय होकर आये। और उन्होंने यहाँ वैधानिक सुपार किये। लार्ड रिपन के बाद लार्ड डफरिन आये और उनके शासन काल में श्रीयुत ए० ओ० हू० म नामक सरकारी अफसर के प्रयत्न से सन् १८८४ में इंडियन नेशनल काम्पेस का जन्म हुआ। उस समय की परिस्थिति का दिग्दर्शन करते हुए स्वयं श्रीमुत हू० म ने लिखा है—

‘उस समय देश में अकालों का दौर दोरा था और हजारों आदमी काल के गाल में जा रहे थे। किसान अत्यन्त पीड़ित थे, पुलिस रिखतखोर थी और प्रजा पर ज्यादतियाँ करती थी, तथा लिखने और खोलने की आजादी छीन ली गई थी। प्रजा में राजनीतिक असतोष घटता देख अधिकारियों को भय हो रहा था कि किर कहीं घलवा न हो जाय।’

जादिर है कि देश की घड़ी हुई ताकत को दबाने और अपेजी राज की हिफाजत करने के लिये इंडियन नेशनल काररेस की स्थापना की गई थी। काम्पेस का उद्देश्य था ब्रिटिश राज का द्वन्द्वाया में रहते हुए वैधानिक उपायों से उच्चशासन का अधिकार प्राप्त करना।

काम्पेस की शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी। दादामार्ड नौरोजी और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने इसका नेतृत्व किया। उसके बाद गोपालकृष्ण गोखले (१८६६-१८९५) और याज गङ्गाधर तिळक आये। गोखले राजनीति की अपेक्षा ठोस समाज सुपार में

अधिक विश्वास करते थे। लेकिन तिलक के विषय में यह बात न थी। वे राजनीति पर अधिक जोर देते थे, और उनका विश्वास था कि अप्रेजेंट से भीख माँगने से स्वराज्य नहीं मिल सकता। उन्होंने गो-वध के विरुद्ध आन्दोलन किया, गणपति चत्सब को राजनीतिक रूप दिया तथा शिवाजी जन्म दिवस का चत्सब मनाना आरम कर हिन्दू धर्म को संगठित बनाया था।

तिलक के पश्चात् महात्मा गांधी ( १८६६-१९४८ ) ने देश की बागड़ोर सभाली। गांधी जी गोखले को अपना राजनीतिक शुरू मानते थे और दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर उनकी रीवि नीति पर काम करना चाहते थे, लेकिन जब सन् १९१५ में वे लौट कर आये तो गोखले की मृत्यु हो गई। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से सत्याग्रह का एक नया अख लेकर आये थे। ब्रिटिश शासन को हिंतकर समझ कर पहले उन्होंने उसके प्रति अपनी वफादारी व्यक्त की थी और इसीलिये उन्होंने सन् १९११ में बोआर युद्ध के समय और सन् १९०५ में जुलु विद्रोह के समय वय सेवकों का दल बनाकर घायलों की सेवा की थी।

इन सेवाओं के उपलक्ष्य में गांधी जी को सरकार की ओर से पदक दिये गये। सन् १९१५ में भी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर भारत के वाइसराय लार्ड हार्डिंग की ओर से उन्हें कैसरे हिन्द सुवर्ण पदक दिया गया था। लेकिन सन् १९२२ में जब ब्रिटिश सरकार की तरफ से उन पर मुकदमा चलाया गया तो वे 'एक कटूर सहयोगी और राजभक्त से एक असहयोगी और राजद्रोहा' बन चुके थे।

महात्मा गांधी ने राजनीति में अध्यात्म का पुट दिया था, इसीलिये हिन्दू जनता उनकी राजनीति की आकर्षित ही

नहीं हुई चलिए मन्त्र-सुगम जैसी हो गई थी। यद्यपि उनके धार्मिक जीवन और चर्चे के आदर्श इसलाम धर्म के प्रति कूल नहीं थे, हेकिन चूंकि उनके अध्यात्म का मुख्य आधार हिन्दू धर्म और जैन आचार शाख था, इसलिये हिन्दू धर्म के साथ ही इन आदर्शों का संबंध ठोक बैठता था, और यही कारण है कि राजनीति में इन आदर्शों को लेकर हिन्दू और अहिन्दू एक दूसरे के नजदीक न आ सके। (देखिये डा० बेणी प्रसाद की हिन्दू-सुसज्जिम समस्या)।

राजा राम मोहन राय की तरह महात्मा गांधी भी एक यदे समाज-सुधारक थे, और उन्होंने धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में सुधार किया था। उदाहरण के लिये अद्युतों का उद्घार उन्होंने किया था, शाराय का वे निपेघ करते थे, दरिद्रनारायण के वे पुजारी थे, द्रुं ढ यूनियन का आन्दोलन उन्होंने चलाया था, राष्ट्रीय विश्व-विद्यालय उन्होंने स्थापन किया था। वर्णाश्रम धर्म को वे मानते थे, गो-रक्षा में वे विश्वास करते थे, तथा अहिंसा और सत्य की उन्होंने नई व्याख्या की थी।

गांधी जी के जात-न्यांत संबंधी विचारों के संघर्ष में प० जवाहर लाल नेहरू ने अपनी 'हिन्दुस्तान की कहानी' (पृ० १३८) में लिखा है—

'इसके बाद गांधी जी आये और उन्होंने इस मसले को हिन्दुस्तानी तरीके पर छाप में लिया—यानी धुमाव के तरीके से—और उनकी निगाह आम जनता पर रही। उन्होंने काफी सीधे तरीके पर भी बार किये हैं, काफी छेड़छाड़ की है,

काफी आम ह के साथ इस काम में लगे रहे हैं, लेकिन उन्होंने चार बर्णों के मूल और बुनियाद में काम करने वाले सिद्धांत को चुनौती नहीं दी। इस व्यवस्था के ऊपर और नाचे ज माझ-झाड उठ आई है, उस पर उन्होंने हमला किया औ यह जानते हुए कि इस तरह पर वह नाव पाँव के समूर्छे ढह्ढे की जड़ काट रहे हैं।'



## अध्याय छँठा

### हिन्दू-मुसलिम प्रश्न : पाकिस्तान की माँग

अप्रेजों का दद विश्वास था कि भिन्न भिन्न धर्म और जातियों में अनैक्य कायम रखने से ही उनका साम्राज्य हिन्दुस्तान में टिका रह सकता है। इसलिये वे सुल्लम-सुल्ला फूट की लाठी से राज्य चलाने की बात किया करते थे। सन् १८२९ में एक आमेज अफसर ने साफ कहा था—‘हिन्दुस्तानी हुक्मत की टेक होनी चाहिये—फूट ढालो और राज्य करो; हमें चाहे राजनीतिक शासन करना हो चाहे फौजी या नागरिक, हमें इसी नीति से काम लेना चाहिये।’ लेपिटनेंट कर्नल काक ने १८५० के लगभग यह सिद्धान्त निश्चित किया था कि ‘हमारे सौभाग्य से हिन्दुस्तान की जातियों और धर्मों में भेद भाव हैं। हमें कोशिश करनी चाहिये कि ये भेद भाव अच्छी तरह घने रहें। उसे मिटाने की कोशिश न करना चाहिये। फूँड ढालो और राज्य करो, हिन्दुस्तानी सरकार का यही सिद्धान्त होना चाहिये।’ (‘आज का भारत’ चौथा भाग, पृ० ४११ ।

ध्यान देने की बात है कि ब्रिटिश राज्य के पहले हिन्दू-मुसलिम दंगों का कहीं नाम सुनाई नहीं देवा। पहले राज्यों

में परस्पर लक्ष्मी-भगवते होते थे। कभी किसी राज्य का शासक हिन्दू होता था कभी मुसलमान, लेकिन ये भगवते कभी साम्राज्यिक रूप धारण नहीं करते थे। इतना ही नहीं, हिन्दू राजाओं के यहाँ मुसलमान अक्सर नियुक्त किये जाते थे और मुसलमान वादशाहों के यहाँ हिन्दू अफसर। लेकिन ब्रिटिश रासन-काल में दोनों को उत्तोजित करने के जिये यह आवश्यक समझा गया कि दोनों फौजों को परस्पर भिजाने के लिये समय-समय पर एक दूसरे की पीठ ठोकी जाय।

पूर्वी बङ्गाल के गवर्नर बम्फाइल्ड फुलर ने यहे शब्द के साथ घोषणा की थी कि 'मेरी दो वीचियाँ हैं—एक हिन्दू और दूसरी मुसलमान। इन दोनों में मुसलमान मेरी चहेती है।' इसी नीति का अनुसरण करते हुए सर जान रेंची ने लिखा था—'मुसलमानों में जो डेंची थे ऐ के लोग हैं, वे हमारे लिये कमज़ोरी का नहीं, ताकत का कारण होंगे। उनके बारे हमारे हित एक से हैं। वे हमारे आधिपत्य में रहना भले ही पसन्द कर लें, लेकिन हिन्दुओं के शासन में रहना कभी पसन्द न करेंगे।'

लॉर्ड एलेनब्रु के मुसलमानों के विरुद्ध हिन्दुओं को अपनी ओर मिलाये रखने के लिये एक दूसरी राजनीतिक चाल चली थी। उसने हुक्म दिया कि सोमनाथ मन्दिर के फाटक के दो सुन्दर जड़ाऊ किवाड़ों को जिन्हें महमूद गजनवी अपने साथ ले गया था, गजनी से भारतवर्ष लाकर एक शानदार झुल्म के साथ सारे हिन्दुस्तान में किरा कर उन्हें सोमनाथ के मन्दिर में अपनी जगह लगा दिया जाय। एलेनब्रु की आज्ञानुसार सोमनाथ के किवाड़ अकानिस्तान से भारत लाये गये।

पंजाब में इनका शानदार जुलूस निकाला गया। वहाँ से ये आगे लाये गये, हेकिन ये किंवाड़ आगे से आगे न बढ़ सके ! भारतव में सोमनाथ के किंवाड़ों की जगह कुत्रिम किंवाड़ बनवा उनका जुलूस निकलवा कर हिन्दुओं को वेषकूफ बनाया जा रहा या जिससे वे मुसलमानों के शव्वु घने रह कर अंग्रेजों को अपना हितैषी समझते रहे ! (भारत में अंग्रेजी राज, जिल्द ३, पृ० १६८४)।

धात यह हुई कि चंबई, कलकत्ता और मद्रास जैसे हिन्दू इलाकों में व्यापार और शिक्षा की उन्नति होने के कारण उच्चर भारत के मुसलिम इलाके व्यापार और शिक्षा में पिछड़ गये। १८८२ की हृटर कमीशन की रिपोर्ट में युनिवर्सिटी वालीम पाने वाले मुसलमानों का औसत कुल ३.६५ प्रतिशत बताया गया है ! मुसलमानों के पिछड़े रहने का दूसरा कारण यह था कि वे लोग अंग्रेजी राज को 'हराम' समझते थे। १८५७ के विद्रोह में भी उन्होंने घड़ कर दिसाला लिया था। इसलिये हिन्दुओं की अपेक्षा अंग्रेज लोग मुसलमानों को ज्यादा उम्र लड़ाकू और सरवरनाक समझते थे। गदर के बक्त गोरे अफसरों ने आम फरमान जारी कर दिया था कि 'मुसलमानों का छाँट-छाँट कर मारो, और एक भी मुसलमान ऐसा न यचे जो जवान हो, जिसको भुजाओं में बल हो !'

अंग्रेजों की इस नीति का परिणाम यह हुआ कि मुसलमान नई तालीम हासिल करने सके और इसलिये सरकारी नौकरियों से उन्हें व्यक्तिगत रहना पड़ा, जबकि हिन्दू लोग अंग्रेजी पढ़ लिए कर अंग्रेजों के कृपा-पत्र धन गये थे।

सर सैयद अहमद को अपनी कौम की गिरी हुई हालत देखकर थहा दुःख हुआ। सन् १८६६ में जप उन्होंने इंगलैण्ड की

यात्रा की थी, तो वे बहाँ की तड़क भढ़क देताहर पहुंच प्रभावित हुए थे। इस सवध में उन्होंने लिया है कि 'सारी सुन्दर पत्तुयें जो इन्सान के पास होनी चाहिये, खुदा ने योरप को रास कर इगलैण्ड को—वर्खा दी हैं।' दरअसल उस समय हिन्दुस्तान में अप्रेजी तालीम का मतलाय था सरकारी नौकरिया, हिफाजत शान और इजत। इसलिये सर सेयर्ड अहमद ने अपनी सारी साक्षत इस तालीम के लिये लाग दी, और साथ ही मध्यम वर्ग के हिन्दुओं द्वारा चलाए हुए राष्ट्रीय आन्दोलन का उन्होंने विरोध किया। अपनी इस नीति के फल स्वरूप सर अहमद ने सन् १८६० में सरकार के साथ मिल जुल कर रहने वाले एक मुसलमान गुट को साथ लेकर सरकार से विशेषाधिकारों की माँग की, लेकिन जिम्मेदार मुसलिम लोकमत ने इसका विरोध किया।

आगे जाकर सन् १८०६ में जब बगभग का आन्दोलन चल रहा था, एक मुसलिम प्रतिनिधि मडल ने, बाहसराय से मुलाकात कर इस बात की माँग की कि चुनाव की जो भी प्रथा चलाई जाय उसमें मुसलमानों को अलग से और विशेष प्रतिनिधित्व मिले। बाहसराय लाई मिण्टो ने तुरन्त ही इस माँग को वीकार कर लिया। उन्होंने कहा—

'तुम्हारी यह माँग सही है कि तुम्हारी सख्त्या के हिसाब से तुम्हारा महत्व न आका जाय बल्कि तुम्हारी जमात ने साम्राज्य की क्या खिदमत की है, इसका भी ध्यान रक्खा जाय और उसके राजनीतिक महत्व को समझा जाय। मैं तुम्हारी राय से सहमत हूँ।' (जॉन बर्न, लॉर्ड मिण्टो की जीवनी १८२५, पृ० २४४, आज का भारत, चौथा भाग, पृ० ४१४)

इस प्रकार साम्प्रदायिक चुनाव और प्रतिनिधित्व का स्त्रपात हुआ, और इसके फल रूप ३० दिसंबर, १९०६ को दाका में मुसलिम लीग की स्थापना कर दी गई। निश्चय ही अप्रेजों के लिये यह वही सुशी का दिन था। लीग के जन्म से प्रसन्न होकर एक त्रिटिश अफसर ने बाहसराय को जो पत्र लिखा था वह यह है—

‘आज एक बहुत ही बड़ी घटना घटी है। यह घटना हमारे नीति कौशल की देन है—ऐसी देन है जो भारत और उसके राजनीतिक इतिहास पर बहुत दिनों तक प्रभाव डालेगी। इसके फल रूप देश की ६ करोड़ २० लाख मुसलमान जनता विद्रोहियों के कैम्प (कांप्रेस) में शामिल होने के लिये कभी तैयार नहीं होगी।’

सन् १९०६ में पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार कर ली गई और मॉल्ट भिण्टो सुधारों के अनुसार मुसलमानों को दियायती सीटें देने के लिये एक लंबी-चौड़ी योजना बनाई गई। उदाहरण के लिये, मुसलमान मतदाता के लिये यह जरूरी था कि वह ६,००० रुपये की सालाना आमदनी पर इनकम टैक्स देता हो, जब कि गैर मुसलमान के लिये ३ लाख रुपये की रकम रखती गई। इसी वरह मुसलमान प्रेसुएट मतदाता के लिये यह जरूरी था कि उसे कालेज छोड़े हुए ३ साल हो गये हों, जब कि गैर-मुसलमान प्रेजुएट के लिये यह मियाद ३० साल रखती गई।

निससन्देह निर्वाचन की इस नीति से साम्प्रदायिक भेदभाव वो जर्दस्त प्रेरणा मिली, और इससे जीवन के

सर्वत्रिक, राजनीतिक तथा सामाजिक सभी क्षेत्रों में पृथक्करण की प्रयुक्तियाँ चल पड़ी। इसका एक घारक परिणाम यह हुआ कि अगले वर्ष ही असिल भारतीय हिन्दू महासमाज को स्थापना हो गई। और लोगों में हिन्दुओं और मुसलमानों को दो विभिन्न राजनीतिक समुदाय मानने की प्रथा चल पड़ी जिससे लोकमत के विकास में वाधा उपस्थित हुई। जब प्रतिनिधियों के निर्वाचन में सहयोग के लिये स्थान नहीं रह गया तो फिर कौंसिलों तथा सार्वजनिक जावन के अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग अधिकाधिक फठिन होता गया। फल यह हुआ कि निर्वाचन क्षेत्रों में हिन्दू और मुसलमान दोनों 'धर्म सकट' की दुर्हार्द देकर भोली भाली जनता को ठगने लगे।

एच० एन० ब्रेलिसफोर्ड ने इस सबध में अपनो 'टिवेल इन्हिया' नामक पुस्तक में जो उद्गार व्यक्त किये हैं वे महत्व-पूर्ण हैं—

'बिना सयुक्त-निर्वाचन के एकता के स्वप्न देखना चन्द्रमा को प्राप्त करने के प्रयत्न के समान है। नहीं, नहीं, यदि पृथक निर्वाचन प्रणाली कायम रहे तो पूर्ण स्वतंत्रता लेना मी योग्य नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय सघठन और जातीय निर्वाचन इन दोनों का परस्पर विरोध है। मवसे पहले हमें सयुक्त निर्वाचन पद्धति की माँग करना चाहिये, उसके बाद अन्य सब चीजें अपने आप ठोक हो जायेंगी। यही साम्प्रदायिक प्रश्न का केन्द्र विन्दु है। सयुक्त निर्वाचन की अपेक्षा त्रिटिश सरकार के लिये औपनिवेशिक स्वराज देना आसान है। इसलिये पृथक निर्वाचन को दूर रखना ही सब समस्याओं का इल है।'

शुरू शुरू में मुसलिम लीग एक संकुचित साम्प्रदायिक संस्था थी, और उसका कार्य ऊँचे ऊँचे मुसलिम जमीदारों तक सीमित था। लेकिन कुछ समय बाद कांग्रेस की तरह लीग में भी राष्ट्रीय भावना का स चार होने लगा। सन् १९३३ में उसने स्वीकार किया कि उसका लक्ष्य है कि वह हिन्दुस्तान 'साम्राज्य में रहते हुए खुद मुख्तार हुकूमत' प्राप्त करे और इसके लिए 'दूसरी संस्थाओं से सहयोग करे।' मुसलीम लीग और कांग्रेस के बीच समझौते की बात चीत चली और १९१६ में कांग्रेस लीग एकता का लाखनऊ में 'पैकट' हुआ। इस समझौते में साम्प्रदायिक चुनाव को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि दोनों संस्थायें औपनिवेशिक स्वराज्य पाने की कोशिश करेंगी।

फहाना न होगा कि प्रथम महायुद्ध के बाद जो दुनिया में सार्वदेशिक हलचल मची, उसने हिन्दुस्तान में एक नई जागृति पैदा कर दी, और इससे हिन्दू और मुसलमानों के बीच १९१६-२२ में बड़ी आशर्यजनक एकता दिखाई देने लगी। कांग्रेस और लीग के सालाना जल्से एक साथ होने लगे, तथा लीग के लीडर कांग्रेस के नेता माने जाने लगे। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस और अली भाइयों के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी ने एक दूसरे से सहयोग किया, दोनों ने मिलकर स्वराज्य प्राप्ति का उद्देश्य सामने रखा और सरकार के खिलाफ संयुक्त मोर्चा कायम किया। सब जगह सम्मिलत जुलूस निकाले गये, हिन्दू-मुसलमान एक दूसरे के हाथ का पानी पीकर तथा गले मिलकर भाईचारे का भाव प्रवर्द्धित करने लगे, और द्वामी भद्धानन्द जैसे हिन्दू-नेताओं के मसजिदों में भाषण होने लगे। सचमुच ही इस

अपूर्व दृश्य को देखकर त्रिटिश सरकार के पैर उखाइने लगे थे।

राष्ट्रीय जागरण के इस महान् युग में मुसलिम नेता और मुसलिम जनता कामेस के साथ कबे से कधा भिड़ाकर लड़ी। घलाभाई और मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने दृढ़ता के साथ फौजों में राजद्रोह का प्रचार करना शुरू किया, जिसके लिये उन्हें ६ साल की कैद की सजा सुनाई गई। मलावाद के मोपला किसानों ने अपने शोपण-कत्तां हिन्दू महाजनों के खिलाफ जिहाद घोल दिया, जिसको त्रिटिश सरकार ने साम्राज्यिक दरों का जामा पहना कर पेश किया।

दुर्भाग्य से असहयोग आन्दोलन को लेकर जो कामेस और खिलाफत की एकता हुई थी, वह अधिक समय तक कायम न रह सकी। गाधी जी के नेतृत्व में कामेस की लाइंग बन्द कर दी गई और फर्वरी १९२२ में असहयोग आन्दोलन ही बन्द हो गया। बारदोली के घरके से ५ साल तक के लिये राष्ट्रीय आन्दोलन टूट-सा गया, और कामेस के सारे काम काज में परती आ गई।

खिलाफत आन्दोलन के कारण मुसलिम लीग सन् १९२० से ही मृतप्राय हो चुकी थी, लेकिन सन् १९२४ में तुर्की में अजातन राज्य कायम हो जाने से खलीफा का पद खत्म हो गया और यहाँ का खिलाफत आन्दोलन समाप्त हो गया। इससे मुसलिम लीग की शक्ति फिर बढ़ी और वह कामेस विरोधी सत्य के रूप में दिखाई देने लगी। कामेस और मुसलिम लीग के कौसिल असहयोग की नीति का अनुस-

रण न कर कौसिल-प्रवेश के मार्ग पर लौट आने के कारण भी दोनों संस्थाओं में साम्प्रदायिक सधर्ष का मार्ग खुल गया।

इस प्रकार आजादी के लिये सयुक्त जन-आन्दोलन के अभाव में देश में हिन्दू-मुसलिम दंगों का दौर-दौरा हुआ, जिसके फल स्वरूप कोहाट, दिल्ली, नागपुर, लखनऊ, जबलपुर आदि स्थानों में भयकर घत्थात भये। इन दंगों का कारण प्रायः अज्ञात रहता था, यद्यपि गोकुरी और मसजिद के सामने बाजा, ये ही हिन्दू-मुसलिम दङ्गों के मुख्य कारण बताये जाते थे। जद्यों कहीं दंगा सुनाई दिया कि पुलिस के आदमी पहुँच कर योली चला देते थे। इससे कुछ आदमी मरते थे, कुछ घायल हो जाते थे, और जनता में जोश फैलने लगता था। इन दंगों को जहरत से ज्यादा महत्व दिया जाता था, और बड़ी बड़ी सुखिधाँ देकर अखबारों में सोहरत की जाती थी।

सन् १९३१ के कानपुर के दंगों की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि दंगों के समय पुलिस उदासीन रहती थी और दंगा रोकने की कोशिश न करती थी। योरपियन व्यापारी, हिन्दू, मुसलमान, फौजी अफसर और ईसाई आदि लोगों ने कमेटी के सामने गवाही देते हुए कहा था कि पुलिस की ओरों के सामने भयानक कुत्य होते हुए भी उसने झँगली ठाने की जहरत नहीं समझी।

अखु, हिन्दू-मुसलमानों के क्रोधोन्माद और रक्त-पात का जिम्मेदार अपने आपको ठहराते हुए गांधी जी ने प्रायश्चित्त स्वरूप २१ दिन का उपवास किया। लेकिन साम्प्रदायिक प्रतिक्रियाधार घटता गया और मुसलिम लीग के खिलाफ

१९२५ में अरिजन मारत्यर्थीय हिन्दू गणसभा का संगठन हुआ जिसका उद्देश्य था हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू संस्कृति और हिन्दू संस्कृति की रक्षा और पृथ्वी करना। फल यह हुआ कि हिन्दू और मुसलिम प्रतिक्रियावादी नेताओं में होड़ लगने लगी और सरपारी नीकरियों को क्षेकर दोनों में योग्यता तानी होने लगी।

ये नेता लोग पक्ष छोटे से सच्च धर्मीय प्रतिक्रियावादी गिरोह के नुमायन्दे थे, जो जनता के धार्मिक जोश को उभार कर सदा अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराह में रहते थे। दोनों ही जनता के आर्थिक प्रश्नों को टालने या दबाने की कोशिश करते थे और अपनी अपनी जातियों की संस्कृति और सभ्यता का नारा बुलन्द कर जनता को धोखे में डालते थे। (देखिये प० जवाहरलाल नेहरू की 'मेरी कहानी')।

सन् १९२७ में काम्रेस और लीग दोनों ने मिलकर साइमन कमीशन का अहिंसात किया, लेकिन सन् १९२८ में सर्वदल सम्मेलन में समझौता करने की नयी कोशिशें बेकार हुईं। लखनऊ के सर्वदल सम्मेलन में नेहरू कमेटी की रिपोर्ट भव्यकार कर ली गई लेकिन आगे चलकर मुसलिम लीग में इस सम्बन्ध में बहुत मतभेद हो गया और फलकता के सर्वदल सम्मेलन की बैठक के अवसर पर मिस्टर जिन्ना ने इस कमेटी की रिपोर्ट का विरोध करते हुए १४ शर्तें पेश की, तथा बगाल और पजाय में जनसंख्या के आधार पर मुसलमानों के लिये सीट रिजर्व रखने आदि की माँगें रखीं। इसके पाद सिरों और हिन्दू महासभावादियों ने भी अपनी माँगें पेश करना शुरू कर दिया।

हिन्दू-मुसलमान दोनों दलों के सम्प्रदायवादियों द्वारा राष्ट्रविरोधी प्रवृत्तियों का सघसे अजीब प्रदर्शन गोलमेज कान्फरेंस, लंदन में किया गया, जहाँ कि ब्रिटिश सरकार उसके लिए फेब्रुअरी से ही मुसलमानों फो नामजद करने पर चुली थी जो हर वरह सम्प्रदायवादी थे।

तत्परतात् सन् १९३५ के विधान के अनुसार मुसलमानों को ही अलग प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, बल्कि सिख, इंग्लॉ-इंडियन, भारतीय ईसाई, अबूत वर्ग, तथा साथ-साथ जर्मीनियर, योरोपियन, व्यापारियों और उद्योग-धर्धों के भालिकों आदि के लिये भी अलग प्रतिनिधित्व का कानून पास कर दिया गया।

उक्त विधान के अनुसार १९३७ में जब पहली बार चुनाव लड़ा गया तो कांग्रेस और लोग आमने-सामने मैदान में रही हुई। चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई और जौलाई ६३७ में कांग्रेसी मंत्रीभंडल घने। चुनाव के बाद मुसलिम नेताओं ने गैर-सरकारी तौर से कांग्रेसी नेताओं से समझौता करते की कोशिश की लेकिन कांग्रेस लोग के महत्व को पूरी वरह नहीं ओँक सकी और उसने समझौते की घातचोत को उठाया।

कांग्रेस और लोग का सघर्ष तेजी से बढ़ने लगा। सन् १९३७ में कांग्रेस ने जब अंग्रेज सरकार से सहयोग करते हुए देश की यात्रा हो रही तो मुसलिम मस्तिष्क भवित्व की आशंका से चिन्तित हो उठा और मिस्टर जिन्ना के कुराल नेतृत्व में लोग का संगठन मजबूत होने लगा। इस समय

लीग के उद्योग से एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें कांप्रेस की 'काली करतूंवों' की फेहरित तैयार की गई। मतलब यह कि १९३७ से १९४५ के बीच में लीग की शक्ति और उसकी त्थिति में बड़ा परिवर्तन हुआ और मुसलिम जनता का उसे अधिकाधिक समर्थन प्राप्त होने लगा।

दरअसल कांप्रेस की ओर से मुसलिम जनता को अपनी ओर खींचने का उनसे आत्मीय स्वर्पक स्थापित करने का—गभीरता पूर्वक प्रयत्न ही नहीं किया गया। कांप्रेस के प्रचार से बहुत कुछ धार्मिकता का अश रहता था, इससे भी मुसलमान लोग कांप्रेस की ओर जितना चाहिये उतना नहीं खिच सके। स्वाधीनता धराम के नेता लोकमान्य तिलक आदि हिन्दू धर्म के आधार पर अपना प्रचार करने की कोशिश करते थे। स्वयं गांधी जी सादा खानपान, निरामिय भोजन, सादी पोशाक और सत्य अद्विता आदि के ऊपर जोर देते थे, जिससे वे एक राजनिति वे नेता की अपेक्षा एक संत महात्मा ही अधिक समझे जाते थे। कुछ लोग तो उनके आचार-विचार से प्रभावित होकर राजनीतिक स्वतंत्रता की अपेक्षा आध्यात्मिक स्वतंत्रता की बातें करने लगे थे, यहाँ तक कि अनेक जगह गांधी जी की अवतार रूप में पूजा होने लगी थी और उनके वचनों को वेद-वान्य माना जाने लगा था। (देखिये सुभाषचन्द्रबोस की 'दी इन्डियन स्टूगल')।

१२ अक्टूबर, १९२१ के यह इंडिया में गाँधी जी ने अपने आप थो सनातनी हिन्दू धोपित करते हुए लिखा था—

१. मैं वेद, उपनिषद्, पुराण आदि हिन्दू शास्त्रों में विश्वास करता हूँ, इसलिये मुनर्जन्म और अवतारों में मेरी आस्था है।

२. मैं चर्णाश्रम धर्म में विश्वास करता हूँ—उसके धैदिक रूप में, वर्तमान काल के प्रचलित रूप में नहीं।

३. गोरक्षा के बारे में जो लोगों की धारण है, उससे भी बड़े अर्थ में मैं गो-रक्षा में विश्वास करता हूँ।

४. मूर्ति-पूजा में मुझे आविश्वास नहीं।

अस्तु, लीग का जोर बढ़ता गया तथा सन् १९४० में और अपने लाहौर अधिवेशन में लीग ने पाकिस्तान का कार्य क्रम स्वीकार करते हुए निम्नलिखित प्रस्ताव पास कर दिया—

‘भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से सटे हुए भागों को अलग करके और आवश्यक सीमापरिवर्तन करके ऐसे प्रदेश बनाये जायें कि जिन ज़ेत्रों में संख्या की दृष्टि से मुसलमानों का बहुमत है—जैसे कि हिन्दुस्तान के उत्तर-पश्चिमी और पूर्वी ज़ेत्र—उन ज़ेत्रों को मिलाकर उनमें मुसलमानों के स्वाधीन जातिय राज्यों की स्थापना हो सके जो पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हों।’

१० दिसम्बर १९४५ की मुलाकात में मिस्टर जिन्ना ने इन शब्दों की व्याख्या करते हुए कहा—

‘हिन्दुस्तान का गतिरोध अँग्रेजों और हिन्दुस्तान के धीर में नहीं है। यह गतिरोध लीग और कांगरेस का है। ... कोई चीज़ जब तक हल नहीं हो सकती जब तक कि पाकिस्तान न दिया जायगा। ... हिन्दुस्तान से एक नहीं दो विधान सभायें बनानी होंगी। एक हिन्दुस्तान का विधान बनायेगी और दुसरी पाकिस्तान का।’

तत्पश्चात् अप्रैल, १९४६ में पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करते हुए कहा गया—

उत्तर पूर्व में बड़ाल-आसाम, तथा उत्तर-पश्चिम में पंजाब तथा सीमांत प्रदेश, सिंध और चिलोचिस्तान, इन पाकिस्तान के इलाकों को, जहाँ मुसलमान बहु-संख्यक हैं मिलाकर एक राज्य बनाया जाय ।<sup>१</sup>

लेउचिन पाकिस्तान के भौगोलिक रूप की जांच करने से पता लगता है कि जिन सूबों को पाकिस्तान बनाने की बात कही जाती थी उनमें ५५ फी सदी मुसलमानों की और ४५ फी सदी गैर मुसलमानों की आवादी थी। ऐसी हालत में मिली-जुली हिन्दू मुसलिम आवादी के साम्प्रदायिक प्रश्न को ज़बर्दस्ती राज्य बनाकर हल नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा, इन इलाकों के अलग होने की माँग तभी न्यायपूर्ण कही जा सकती जब कि यहाँ की आवादी स्पष्ट बहुरु मत से इसकी माँग पूरी करे जिस के लिये जनता का मत जान लेना आवश्यक था।

लेकिन इसके साथ एक दूसरी बात यह थी कि यदि सारी जनता से पाकिस्तान के घारे में राय ली जाय तो इससे एक मात्र मुसलमानों का आत्म-निर्णय का अधिकार रवंडित होने का ढर था। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर राय ली जाय तो सिर्फ मुसलमानों की ली जाय जो कुल आवादी में ५५ फी मढ़ी है। इस तरह २८ की सदी लोग (५५ फी सदी में से ५१ फी सदी) सारी आवादी का सवाल हल कर देते। रघट है कि कोई समझदार आदमी इस चीज़ का समर्थन

नहीं कर सकता। लेकिन लोगी नेताओं ने जनता की इच्छाओं की परवा किये बिना जनतात्रिक तरीकों का विरोध चरते हुए बहुत जोर के साथ हिन्दुस्तान के बैटबारे की अपनी माँग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा और ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने इसका पूरा पूरा लाभ उठाया।

बस्तुत द्वितीय महायुद्ध के बाद हिन्दुस्तान में जो जन-सघणों की विराट लहर आई और उससे जो स्वातंत्र्य आनंदोत्तन को बल मिला, उसे देखकर, और साथ ही अपनी कमज़ोर हालत को देखते हुए ब्रिटिश सरकार समझ गई कि अब पुराने तरीकों से हिन्दुस्तान पर हुक्मपत्र करना सभव नहीं। अतएव ब्रिटिश प्रधान मंत्री मिट्टर एटली ने २० फरवरी, १९४७ को एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि अँग्रेज़ लोग हिन्दुस्तान छोड़ रहे हैं, और वे जून, १९४८ तक यहाँ से चले जायेंगे।

लेकिन अमेरिकों की नियत साफ नहीं थी। 'फूट डालो और राज्य करो' वाली जो नीति हमेशा उनकी रही है। इसी नीति का अच्छरशा पालन कर चौहाने हिन्दू-मुसलमानों को बरा घर लड़ाकर इस चिशाज भूमिखड़ पर राज्य किया है। वे यह भज्जी भाँति समझते आये हैं कि अगर हिन्दुस्तानी लोग एक हो गये तो एक ज़रूर भर भी इस देश में वे नहीं रह सकते।

सन् १९०५ में घगाल का विभाजन कर अमेरिकों ने इसी नीति का अनुसरण किया था। उस समय लॉर्ड फर्जन ने यही घड़ी समाजों में खहर उगल कर फूट का बीज बोया था और प्रतिक्रियावादी नवाच और मौलिक मुळाओं को साथ

लेकर हिन्दुओं को लूटने, मारने, उनके घरों में आग लगाने और उनकी औरतों का भगाने के आदेश दिये थे। इही दिनों एक 'जाल पुस्तिका' प्रकाशित कराई गई जिसमें मुसलमानों को हिन्दुओं के खिलाक भढ़काया गया था। इसका पक्ष यह हुआ कि ढाका, कोमिल्ला, जमालपुर आदि स्थानों में हिन्दू मुसलिम दरों हुए।

इन्हीं पार्टी को ध्यान में रख कर ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुस्तान नयों का प्रिस्प्रत का फैसला करने के लिये कैबिनेट मिशन हिन्दुस्तान भेजा जो लगातार तीन महीने तक अपनी बैठकें करता रहा। इस समय लॉर्ड वेवेल का जगह लॉर्ड माउन्टवेटेन को हिन्दुस्तान का वाइसराय बनाकर भेजा गया। और इन्होंने फिर से दौड़ घूप करके एक ऐसी योजना पेश की जिसे कैप्रेस और मुसलिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया।

यह योजना थी हिन्दुस्तान के विभान्न को—उसे दुकड़ों में बाँट देने का। ३ जून, १८४७ को इसका ऐलान कर दिया गया, और अब हिन्दुस्तान में सभ बनाने का जगह उसके दुकड़े कर उसे हिन्दू राज्य और मुसलिम राज्य में बाँट देने की योजना पेश की गई। पदित जवाहर लाल नेहरू को 'दुसित हृदय' से योजना को मान लेना पड़ा। गांधी जी ने साक शब्दों में कहा—'जल्दी ही हमें पूरी आजादी मिलने वाली है। परन्तु इस महान् पठना से लोगों में जो चत्साह पैदा होना चाहिये या, वह आज कहाँ दिसाई नहीं देता। इसका कारण यह है कि देश को दो राज्यों में बाँटा जा रहा है, और उन राज्यों को दो परस्पर विरोधी सशब्द पक्षों में घटला जा रहा है।'

इस प्रकार हम देखते हैं कि १९०५ में साम्राज्यशाही ने केवल बगाल का विभाजन किया था, जिसका उद्देश्य एक मुसलिम प्रान्त का ही निर्माण करना था,। लेकिन १९४७ में उसने पाकिस्तान के रूप में भिन्न मुसलमान राष्ट्र का ही निर्माण कर दिया। अन्तर दोनों में इतना है कि पहले विभाजन को देश के नेताओं ने अपनी राष्ट्रीयता पर कुठाराघात समझ कर उसका विरोध किया था, जब कि इस विभाजन को देश की आजादी समझ कर १५ अगस्त को हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में हिन्दू और मुसलमानों ने सुशियों मनाई।

साम्राज्यशाही की मनोकामना पूरी हुई। वह चाहती थी कि हिन्दुस्तान का बैटवारा होकर वह सभा के लिये कपड़ोर और अपन्न बन जाय, उसकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति मारी जाय, तथा उसकी जनशादी शक्ति रुक जाय। अंग्रेजों के हक में यह ठीक भी था क्योंकि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में हमेशा साम्प्रदायिक, आर्थिक और राजनीतिक फ़राड़े होते रहने से ही अंग्रेजों को फायदा था; उसी हालत में वे पंच बन फर दोनों का निवटारा कर सकते थे, दोनों से मनमानी शर्तें मनवा सकते थे, और दोनों के साथ आर्थिक और कौजी संधियाँ कर सकते थे।

केवल देश का ही साम्प्रदायिक विभाजन नहीं, वलिक यहाँ की कौज का भी साम्प्रदायिक आधार पर बैटवारा कर दिया गया ! इस सम्बन्ध में भी अंगरेजों ने अपनी वही पुरानी नीति घरती जो नीति उनकी सन् ४७ के विद्रोह के पाद थी, और जिसका ऊपर किया जा चुका है। दूसरे शब्दों

मेरे मिटिशा साम्राज्यवाद ने हमारे देश की नरजापत राष्ट्रीय भावना को खाल कर हिन्दू और मुसलमान फौजों को एक दूसरे के सामने सदा छढ़ते रहने के लिए खड़ा कर दिया, और इस तरह साम्प्रदायिक दण्डों को दो फौजों की लड़ाई में बदल दिया। यह थी राजनीतिक कुशलता ?

इहीं थातों को ध्यान में रख कर लदन की काँमन्स सभा में भारतीय स्वतन्त्रता विल पर बोलते समय ब्रिटिश प्रधान मंत्री एटली ने विल का उद्देश्य बताते हुए कहा था—

‘इस विल से ब्रिटेन और भारत के सम्बंधों के इतिहास का एक अध्याय चरूर समाप्त होता है, परन्तु साथही उससे दूसरा अध्याय खुल रहा है।’

‘यह त्यागपत्र नहीं है। यह ब्रिटेन के उद्देश्य की पूर्ति है।

‘हम अब दो नये ढोमीनियनों का स्वागत करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। मेरा विश्वास है, हम सबकी यहा इच्छा है कि दोनों ढोमीनियन हमारे साथ रहना पसन्द करें और मित्रता के बैंधन जिससे अग्रेज और हिन्दुस्तानी आपस में जुड़े हुए हैं, पिछले बर्पों की खींचवान के बाबजूद ज्यों के त्यों बने रहें और मजबूत हो जाय।’

## अध्याय सातवाँ

देश का चँटवारा, भीषण रक्तपात—गोंधी जी की हत्या

द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने के बाद भारत में जनता के आनंदोलन की जो प्रचण्ड लहर उठी, विशेष कर आज्ञाद हिन्दू कौज के सिपाहियों की मुक्ति के लिये जनता ने जा आबाज बुलन्द की, और फरवरी महीने में जो नाविकों का विद्रोह हुआ, उसे देस्तकर ब्रिटिश सरकार के हाथ पांच फूल गये। उस लन्दन से एक घोषणा की गई और तदनुसार केविनेट मिशन के तीन कुशल जादूगरों को हिन्दुस्तान रखाना कर दिया गया।

घटनाक्रम के अध्ययन से पता लगता है कि केविनेट मिशन का उद्देश्य हिन्दुस्तान को आज्ञादी देने का कदापि नहीं था, बल्कि इस बहाने हिन्दू मुसलिम फिसाद करा कर भारत के बढ़ते हुए जन-आनंदोलन को कुचल देने का था, जिससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक और राजनीतिक हित भारत में कायम रह सक।

मिशन के चतुर राजनीतिक यह बात भली भाँति जानो ये कि मुसलिम लीग पाकिस्तान लेने पर अझी हुई है, जबकि

कामेस पार्टी जीजान से उसका विरोध कर रही है। ऐसी हालत में उन्होंने कॉम्प्रेस को यह कह कर सतुष्ट किया कि हम मयुक्त भारत की बुनियाद पर प्रारब्धी प्रजा को सारी सत्ता सौंपने को तैयार हैं और लाग को यह कह कर पुरुष कारा कि आप लोग क्यों फिक्र करते हैं हम पाकिस्तान की माँग स्वीकार किये यिन्हा सत्ता सौंपने वाले नहीं। हिन्दू मुसलिम दोनों का यह धीजारोपण था।

फर्वरी १९४७ में लीगी नेताओं ने यह रुह कर घमड़ी दी थी कि यदि सारे भारतवर्ष में एक विधान परिषद बनाई गई तो क्ये यह युद्ध मचा देंगे? यद्यपि उन्होंने साम्राज्यवादियों की योजना के अन्तर्गत विधान बनाने वाली एक संथा को स्वीकार कर लिया था, जो उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के प्रदेशों के अन्तर्गत छं सूबों के आवश्यकाय विभाजन करे, जिससे मुसलमानों को पाकिस्तान का सार मिल जाये। इसी प्रकार जनवरी १९४७ में सरदार पटेल ने भी कहा था कि यदि मुसलिम लीग को पाकिस्तान दिया गया तो इसका अच्छा असर न होगा? यद्यपि कामेस ने भी ब्रिटिश सरकार की योजना मानते हुए धोपित किया था कि केन्द्र को मजबूत किया जाय, तथा प्रान्तीय विभाजन को वैकल्पिक माना जाय, अथवा कॉम्प्रेस बहुमत वाले आमाम और उत्तर-पश्चिमी-सीमाप्रान्त वाले यदि उसमें भाग लेने से इनकर कर दे तो विभाजन को कारगर न माना जाय।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने प्रान्तों के आवश्यकीय विभाजन की जनतन्त्र-विरोधी योजना सँझी करके कॉम्प्रेस और मसलिम लीग दोनों को परस्पर भिजा

दिया। जिन्ना साहब को इस योजना में पाकिस्तान के दीज दिखाई देते थे, और कॉम्प्रेस समझे हुए थी कि वह अपनी विधान परिपद्व घना सकती है जो सर्वप्रमुख मानी जायेगी, और प्रान्तों के निर्णय के अनुसार विभाजन को रद्द करने करने का उसे अधिकार होगा।

अरतु, जौलाई, १९४७ में एक अस्थायी सरकार घना दी गई, लेकिन लीग ने यह कहकर उसका विरोध किया कि वाइसराय ने कॉम्प्रेस को सतुष्ट फरने के लिये विधान परिपद्व को सर्व प्रमुख मान लिया है और लीग ने अल्प और दीर्घ-कालीन योजनाओं को अस्वीकार करके १६ अगस्त को 'प्रत्यक्ष सर्वप्रथम दिवस' मनाने की घोषणा कर दी।

पहले कॉम्प्रेस ने अल्प कालीन योजना को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन अब उसने प्रस्ताव करके इसको समरत रूप से मान लिया। इस समय वाइसराय ने ५० जवाहरलाल नेहरू को बुलाऊर २ सितम्बर, १९४७ को मध्यकालीन सरकार की स्थापना कर दी। लेकिन लीग किर भी सम्मिलित न हुई। इसके फलस्वरूप 'प्रत्यक्ष सर्वप्रथम दिवस' पर कलकत्ते में और मध्यकालीन सरकार कायम होने के दिन बम्बई में हिन्दू मुस्लिम दोनों हो गये।

मुस्लिम लीग के विरोधक और दोनों को देखते हुए वाइस-राय ने किर मुस्लिम लीग को सरकार में सम्मिलित होने के लिये निमंत्रित किया तथा लीग और कॉम्प्रेस में किसी प्रकार का समझौता हुए यिना १४ अक्टूबर, १९४७ को लीग मध्यकालीन सरकार में सम्मिलित कर ली गई। १४ अक्टूबर से नोभेम्बर में भवकर उपद्रव आरम्भ हो गये।

कॉर्मेस ने जनतंत्र विरोधी प्रान्तों के विभाजन को बेकार यनाने के लिये विधान परिषद् के निर्माण का इरादा जाहिर किया ताकि घटुमत से साधिक प्रजातत्र कायम हो सके, लेकिन लीग ने इसमें सम्मिलित होने से इनकार कर दिय । इस समय नवम्बर में विहार और गढ़मुकेश्वर के उपनिषद् आरम्भ हो गये ।

लद्दन की साम्राज्यशाही इन घटनाओं का घड़ी गहराई से अध्ययन कर रही थी और मन ही मन प्रसन्न थी कि उसका ढाला हुआ पाँसा ठीक पड़ रहा है । वह उसने लीग को यप यथाते हुए वही से घोषणा की कि परिषद् में लीग का सहयोग ग्राप्त करने के लिए प्रान्तों का आवश्यकीय विभाजन मानना होगा अन्यथा परिषद् को ही नहीं माना जायगा । नौकरशाही का नाटू काम कर गया और हमारे नेताओं ने 'आज्ञादी' मजूर कर ली लेकिन कितनी बड़ी क्रीमत पर ।

'आज्ञादी' के मिलने पर जितने भयकर और दिल दहलाने वाले हिन्दू मुसलिम दोनों हिन्दुतान में हुए उतने पहले कभी नहीं हुए । कहते हैं कि सबसे पहले हिन्दू और मुसलमानों का कगड़ा सन् १७ के पहले १६ वीं सदी के शुरू में महाराजा रणजात सिंह के दरवार के अम्रेजे रेजीडेंट के साथी कुछ मुसलमान सिपाहियों तथा कुछ हिन्दुओं और सिखों के बीच असृतसर मे हुआ था । लेकिन १८५७ में दोनों कोर्मों ने कन्चे से कन्धा भिषाकर अम्रेजों के खिलाफ युद्ध किया । इसके बाद दस या पाँच वर्ष बाद कभी-कभी छाटे मोटे दोनों होजाते थे । २ वीं सदी में दोनों की रफ्तार तेज़ी के साथ बढ़ने लगी । सन् १८८१ से १८९१ तक मुल्क के अलग अलग हिस्सों में

चालीस दंगे हुए। सबसे आखिरी और भयानक दङ्गा कानपुर में हुआ जिसमें लगभग १२०० आदमी घायल हुए और करीब २५ लाख का तुकसान हुआ (नया हिन्द, इलाहाबाद, नवन्वर, १८४६, पृष्ठ ४६०)।

लेकिन केविनेट मिशन के हिन्दुस्तान आने के बाद जो कलकत्ता, नोआखाली, विहार, गढ़मुक्तेरबर और सबसे बढ़ कर पंजाब में जो हत्याकांड, लूटपाट, आगजनी, घमे परिवर्त्तन और बलात्कार आदि हुए, वह हिन्दुस्तान के इतिहास में अपनी सानी नहीं रखता। इन दिगों में सब से दुर्भाग्य की बात यह थी कि मुसलमान और हिन्दू अपने शत्रुओं को भूल गये थे और मुसलिम लोग तथा काँप्रेस का मँडा लेकर एक दूसरे पर प्रहार करते थे। इसीलिये 'प्रत्यक्ष संघर्ष दिवस' मनाने की घोषणा ब्रिटिश साम्राज्यशाही के विरुद्ध न कर काँप्रेस के विरुद्ध की गई थी। इसी प्रकार काँप्रेस भी मुसलिम लग को अपना विश्वासपात्र न बना सकने के कारण नौकरशाही के विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन छेड़ने में सफल न हो सकी। अगर काँप्रेस अपनी पूर्ण प्रतिक्षाओं और घोपणाओं पर कायम रहने का प्रयत्न करती तो निश्चय ही ब्रिटिश सरकार की जालसाजी कभी सफल न होती।

कलकत्ते में मारकाट शुरू हो गई थी। उसका बदला मुसलमानों ने नोआखाली में लिया। हिन्दू अखबारों में नोआखाली के विपय में खूब बढ़ा-चढ़ा फर लिखा गया, जिसका बदला विहार और गढ़मुक्तेरबर में लिया गया।

लेकिन फिर भी पंजाब अभी तक शान्त था। पर नौकरशाही इसे फव बदांश्त करने वाली थी। एटली के २० फर्डी

१६४७ के ऐलान के बाद ही पंजाब के गवर्नर जॉर्किस ने सिजर हयात साँ और उनके मन्त्रिमण्डल से रवीका ले लिया। आगले दिन मास्टर तारा सिंह की लाहौर में तक़रीर हुई जिसमें उन्होंने शपथपूर्वक घोषित किया कि वे मुसलिम लोग का मन्त्री-मंडल हिन्दू विद्यार्थियों का एक जुलूस निकाला गया जिसमें लोग और पाकिस्तान के खिलाफ नारे चुलन्द किये गये।

फल यह हुआ कि ४ मार्च, १६४७ की शाम को लाहौर में कुछ मामूली-सा फ़िसाद होगया जो तीन-चार दिन तक चलता रहा। अमृतसर में भी गढ़वाल होगई। फिर रावलपिंडी, मियाँ-वाली, मुलवान, द्वेरा गाजी साँ और कुछ सरहदी जिलों में झगड़ा हुआ। इस समय सरहदी सूबे के कुछ मुसलिम स्वयं-सेवक विहार से मरे हुए मुसलमानों की इड्डियों की माला बना कर लाये और उसे सरहदी सूबे के शहर और गांव चालों को दिखाकर उन्हे उभारा।

लाहौर फिर भी शान्त था। लाहौर का बातावरण उस समय जुब्ब हुआ जब १५ मई १६४७ को पंजाब के दो टुकड़े किये जाने पर गरमानगरम बहस हुई और दोनों फरोक सोचने लगे कि उनका शहर हिन्दुस्तान में जायेगा या पाकिस्तान में। फलत अमृतसर और लाहौर में दरो शुरू हो गये।

३ जून, १६४७ के ब्रिटिश सरकार के ऐलान ने आग पर धो का काम किया, जिसके फल स्वरूप करीब २१ जून को लाहौर में भयंकर उपद्रव हुआ। २७ जून को हिन्दू और मिस लाहौर छोड़ कर भागने लगे, लेकिन आम भगदड़ १५ अगस्त

से शुरु हुई जबकि देश का घंटवारा हिन्दुस्तान और पाकिस्तान नाम के दो हिस्सों में हो चुम्हा था। -

वास्तव में १५ अगस्त, १९४७ के दिन पञ्चाब में जब सच्चा नेताओं को सौंपी गई तो शासन की व्यवस्था चकनाचूर हो चुकी थी। १७ अगस्त को बारेण्डरी कमीशन का फैसला होने पर तो लाहौर, रावल-पिण्डी, मुलतान आदि पश्चिमी पंजाब तथा अमृतसर, गुड-गाँव आदि पूर्वी पंजाब के नगरों से अल्प संख्यक हिन्दू और मुसलमानों का नामोनिशान मिटाने का ही जिहाद घोल दिया गया, जिससे आयों के आदि देश हरे-भरे पंजाब का व्यापार घन्धा और देती बारी सब चौपट हो गये और जहाँ देखो हत्याकाण्ड, लूटपाट आगजनी और बलात्कार दिखाई देने लगे। भाईचारा और सभ्यता का नामोनिशान मिट गया, महिलाओं की अस्मत का सवाल ही न रहा और साम्राज्य-शाही के शिकार घने हिन्दू मुसलिम एक दूसरे के गले पर छुरी चलाने लगे !

प्रश्न होता है कि आखिर इन दंगों के जिम्मेदार कौन हैं ?

सब से पहले नम्बर जिम्मेदार है—ब्रिटिश सरकार और उसके बाइसराय लॉर्ड वेवेल। फलकत्ता और नोआखाली में जो हिन्दू और मुसलमानों पर बीठ रही थी उसे देखकर साँ अब्दुल गफ्तार खाँ ने कहा था कि मुल्क में इस बक्त जो अंधेर छा रहा है वह अंग्रेज सरकार की करतूत है।

फलकत्ते के दंगों की जांच करने के लिये बैठाई हुई कमेटी के सामने ध्यान देते हुए मिगेहियर सिक्स रियर ने साफ-

शहरों में स्थीकार किया था—‘दंगों के शुरू होते ही मुक्त से प्रीज़ को इर्तेमाल करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन मैं इसके लिये तैयार नहीं हुआ। मुझे फर या कि अगर मैंने फौज का उपयोग किया तो दगाई आपस में लड़ना छोड़कर सरकार पर ही टूट पड़े गे।’

पजाव के दलों में तो साफ तौर से अप्रेज़ों का हाथ था। दरअसल हिन्दुस्तान के घेंटवारे के बाद जो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की सरहद बनाई गई थह इस तरकीय से बनाई गई कि आये दिन हिन्दू-मुसलमानों में मरणे होते रहें। गोर्धी जी का इसका घेहद सदमा पहुँचा, लेकिन क्षाचारी थी?

इसीलिये १ अगस्त से १५ अगस्त तक और उसके पाए १ सितंबर तक दलों का जो दौर दौरा चला वह सरहद के दोनों तरफ के उन्हीं १२ ज़िलों में चला जहाँ त्रिटिश सेना घ्यज्हों की मात्रहवी में “सरहदी फौज” शाकिरक्षा के लिये तैनात की गई थी। ५० जवाहर लाल नेहरू ने साफ तौर से कहा था कि इस सरहदी फौज ने अपना कर्तव्य पूरी तरह पालन नहीं किया, और पजाव में ऐसी सेकड़ों मिसालें हैं जिनमें फौज और पुलिस ने लूटपाट, आगजनी, खून और बलात्कार में घढ़-घढ़ कर हिरसा लिया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ओर अप्रेज नौकरशाही ने शासन की मशीन को खेकाम कर दिया था, और दूसरी ओर उनकी मात्रहता फौज और पुलिस लूट पाट और हत्या काढ़ मचा रही थी। शेखपुरा में १५ हजार हिन्दुओं और सिरों में से १० हजार को फौन और पुलिस ने कत्ल कर

दिया था। इसके अलावा, पूर्वी और परिचमी पजाय में दस्ती बम, स्टेन गन और रायफलों से लैस हजारों हथियार-बन्द गिरोहों को पुलिस और फौज ने पकड़ने की जरा भी कोशिश नहीं की। इतना ही नहीं, जिम्मेदार अमेरेजों ने हत्यारों को हथियार लाकर दिये तथा जब लोग अमेरेज अफसरों के पास मदद माँगने गये तो उन्होंने कहा कि पहले आप लोग अच्छी तिथकर लोगों से दस्तरबत करा कर लाइये कि अमेरेज सरकार फिर से लौट कर आ जाय, तो हम आपको मदद कर सकते हैं।

पजाव के दगों पर टोका करते हुए लदन के मैनचेस्टर गार्जियन ने कहा था—

(१) इस तरह के हमले पहले को तैयारी और सगठन के बिना नहीं हो सकते।

(२) पुलिस ने बहुत पहले से अमेरेज सरकार को इन दगों की इच्छा दी थी। अमेरेजों को अच्छी तरह भालूप्रया कि चाउण्डरी कमीशन का फैसला होने ही पर्याप्त होने चाला है।

(३) अभी तक हुक्मत की बागडोर हिन्दुस्तानियों के हाथों में नहीं, अमेरेजों के ही हाथों में है। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफ की फौजों का एक सुप्रीम कमाण्डर अमेरेज है। दोनों तरफ की फौजों के अन्तर्गत अलग कमाण्डर इन चीफ भी अमेरेज हैं। इधर का गवर्नर जनरल अमेरेज है और उधर पर्चिश्मी पजाय का गवर्नर अमेरेज है।

(४) जिनके हाथों में मुल्ह की असली यागहोर है वे लोग चाहते हो इस उपद्रव को बन्द कर सकते थे। (नया हिन्दू, इलाहाबाद, सितम्बर, १९४७)।

लेकिन अंग्रेज लोग तो हिन्दुस्तान छोड़ते-छोड़ते हमें अपनी आखिरी सौगात भेंट कर रहे थे।

दूसरे नम्बर इन दंगों को उत्तेजित फरने वाले थे राजा महाराजा, नवाय और जमीदार लोग। एक सरफ सिर और हिन्दू महाराजाओं को हथियार पाटे और दूसरी तरफ मुसलमान नवाय और जमीदारों ने मुसलमानों को। भरतपुर और अलवर के नरेशों ने अपने राज्यों में मेवों का कल्पे आम शुरू कर दिया और पश्चिमी संयुक्त-प्रान्त आदि इलाकों में हथियार बैठवाये।

दर-असल ये लोग हिन्दुस्तान के जाटों का नेतृत्व कर रहे थे, और जाटिस्तान कायम कर दिल्ली के लाल किले पर अपना झंडा फहराने के स्वप्न देख रहे थे। अलवर और जयपुर के मुश्तरका फौजी दस्ते के कमांडर नेजर गोकुल राम ने अपनी तकरीर में साफ-साफ कहा था—

‘१५ अगस्त तक हमें अपने घर को विच्छुओं से पाक करना है। इसके बाद हमें दिल्ली की तरफ माचे करना है। १५ अगस्त के बाद मुल्क की बही हालत हो जायगी जो अंग्रेजों के आने के पहले थी। सारे राजपूताने ने फैसला किया है कि वह फिर ज्ञात्रियों को आनंदान कायम करेगा। लिहाजा लाल किले पर कब्जा करने के लिये कमर कस कर तैयार हो जाओ।’ (जनयुग, बम्बई, ७ सितंबर, १९४७)।

तीसरे नम्बर अपराधों थे मुसलिम लोग के नैशनल गार्ड्स, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य और अकाली दल के लोग। १३-१४ अगस्त को लाहौर रेसेन से अपनी जान लेकर भागने वाले तीन चार हिन्दुओं को नैशनल गार्ड्स के रगड़ों ने पकड़ मारते मारते मौत के घाट चतार दिया ! इनका नाम था—‘मुसलिम हो तो लोग में हो, और लोगी हो तो हिन्दुओं को अपना कटूर दुरमन समझो ।’ अकालियों की योजना थी कि पजाव के केन्द्रीय सिस्त बिलों और सिल्ल रियासतों का एक सघ स्थापित किया जाय जिसका मुख्य आधार पटियाला रियासत हो । हिन्दू महासभा और अकाली दल के सदस्य मिलकर प्रचार करने लगे थे कि नेहरू सरकार ने न तो परिमी पजाव में सिल्लों को रक्षा की, न पूर्वी पजाव में मुसलमाना से बदला लेने का कोशिश की, इसलिये नेहरू को आग सन् के रास्ते भेजना चाहिये । हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ला में प्रचार किया जाने लगा कि नेहरू, आजाद और रफी को राष्ट्रीय सरकार से निकाल बाहर करो । दिल्ला के ‘हिन्दू आरट लुक’ नामक पत्र के निम्न लिखित उद्धरण इसके सात्री हैं—

‘काम्रेस ने सिल्लों के साथ धोखा किया है । यदि हिन्दुओं और सिल्लों को अपनी प्रतिष्ठा और अपना अस्तित्व कायम रखना है तो उन्हें वर्तमान नेतृत्व का उलट देना होगा । ( २३ अगस्त, १९४७ ) ।

‘जब तक गान्धी जी जिन्दा है, जब तक जवाहरलाल काम्रेस के ‘हारे’ हैं, जब तक वज्रम भाई पटेल इस संस्था के लोह-खुरा हैं, तब तक काम्रेस मुसलमानों की हिमायती और हिन्दूधारी धर्मी रहेगी ।’ ( २६ अगस्त १९४७ ) ।

“मीजूदा सरकार को निकाल बाहर करो। इसमें निष्ठामे पूस के इने आदमी भरे हुए हैं। उनके थदले टड़ हिन्दुओं और योग्य शासकों की सरकार बनेगी।” (६ सितम्बर, १९४७)।

इन टड़ हिन्दू और योग्य शासकों की नामावलि के नाम देखिये— नेपाल, नवानगर, ग्वालियर, पटियाला, अलवर, और भरतपुर के राजा-महाराजा तथा वीर सावरकर डॉ० अम्बेडकर, डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी, एल० बी० भोपटकर सर सी० पी० स्वामी ऐयर आदि। (जनयुग, अन्वर्ष, २६ अक्टूबर १९४७)।

दरअसल बात यह थी कि पंजाब हत्याकाण्ड के बाद पंजाब से शरणार्थियों का तोड़ा लग गया था, और ये शरणार्थी दिल्ली और उसके आसपास के पच्छामी संयुक्त प्रान्त के इलाकों में फैल रहे थे। शरणार्थी घड़ी दर्द भरी कहानियाँ अपने साथ लेकर आये थे। घन-सम्पत्ति इनकी सब नष्ट हो गई थी, घर घार इनके जलाकर राक कर दिये गये थे, बीबी-बच्चों को इनके आठतारी लोग भगाकर ले गये थे, या उनको चेरहभी के साथ कत्ल कर दिया था, उनके कुदुम्बिजनों को घमे-परिवर्त्तन करने के लिये बाध्य किया गया था तथा इनमें से बहुत से काफिलों के साथ आते-आते राते में ही प्राण गँवा चुके थे।

राष्ट्र-विरोधी प्रविक्रियावादी शक्तियों ने इस परिस्थिति का पूरा-पूरा लाभ उठाने की कोशिश की, और शरणार्थियों की मदद करने के बहाने ये लोग उन्हें बाहुद की तरह इस्तेमाल कर देश में मार काट करने लगे। देखा जाय तो लार्ड

माडरेट चेटेन की योजना के प्रकाशित होने के बाद से ही ये ताकतें 'हिन्दू पद पादशाही' और 'हिन्दी-हिन्दू-हिन्दुस्तान' के नामे लगाकर शुद्ध हिन्दू राज्य स्थापित कर हिन्दू सम्यता और संस्कृति के प्रचार करने को धुन में लग गये थे।

युक्तप्रान्॑ के हिन्दू महा समाइयों ने प्रान्तीय मंत्रिमण्डल को सीन महीने के अन्दर सरकारी नौकरी और खासकर पुलिस विभाग में से मुसलमानों की संख्या कम करने को कहा था। इन लोगों ने कांपेस की सभायें भंग करना आरंभ कर दिया था। उधर अहीर, जाट, गूजर और राजपूतों की एकता का नारा बुलन्द कर जाट महासभा, क्षत्रिय सम्मेलन और आल इन्डिया हिन्दू कन्वेन्शन के नाम से राजा-महा-राजाओं की छत्र-न्दाया में हिन्दुस्तान भर में हिन्दू राज्य स्थापित करने की योजनायें घनने लगी थीं।

हिन्दू राज्य की स्थापना के नशे में चूर होकर अविक्ष भाँतवर्षीय हिन्दू महासभा के मंत्री बी० जी० देशगांडे ने जो जौनपुर की सभा में वक्ता दी थी, उसे सुनिये—

'जिन नेहरू को सोमा प्रान्त से भार खाकर भागना पड़ा था, उन्होंने विहार के हिन्दुओं पर गोली घरसाई। ..जिस प्रकार नेहरू जी ने कहा था कि सन् ४२ के गदारों को हम दंड देंगे, उसी प्रकार हम घोषणा करते हैं कि नेहरू जी भीकृष्ण सिंह (विहार के प्रधान मंत्री) उथा उन लोगों को जिन्होंने विहार के बीच हिन्दुओं पर गोली चलाई है, हिन्दू राज्य स्थापित होने पर दंड दिया जायगा।' (सन्मार्ग, २८ जुलाई)।

हिन्दू समाइयों की गाँगों पर जरा गौर कीजिये, जिनके पूरे न होने पर सत्याप्रह की घमकी थी गई थी—

(१) हिन्दुओं की जन सरया के अनुसार सरकारी नौकरियों तथा एसवलियों में उनका स्थान ।

(२) मुसलमानों की उनकी जनसरया के अनुपात से अधिक नौकरियाँ न थीं जाँय ।

(३) हिन्दी राजभाषा हो ।

(४) गृह विभाग और पुलिस विभाग किसी हिन्दू मन्त्री के मातहत हों ।

(५) ग्राम में सभी चास जास पद हिन्दुओं को दिये जाँय ।

(६) होम गार्ड तथा हथियार बन्द पुलिस में सिर्फ हिन्दू रखें जाँय ।

(७) सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ में शामिल होने की इजाजत दी जाय ।

(८) बाहर से आये हुए शरणार्थियों को सरकार पूरी मदद करे ।

(९) सब हिन्दुओं को हथियार दिये जाँय और हथियारों को चलाने की शिक्षा दी जाय । ( जनयुग, बम्बई, २७ जुलाई, १९४७ ) ।

'हिन्दू आडट लुक' में राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ के उद्देश्य बताते हुये हिन्दू महासभा के मन्त्री और उक्त पत्र के सम्पादक थीं ० जी० देश पाण्डे ने लिखा था—

(१) मौजूदा सरकार को निकाल बाहर परो । इसके मेम्बर कमज़ोर दिल हैं, उनकी जगह कट्टर हिन्दुओं की सरकार कायम करो ।

- (२) भारतीय संघ को हिन्दू राज्य घोषित करो।
  - (३) पाकिस्तान से जंग छेदने की तैयारी करो।
  - (४) सभा को फौज में भरती होने का हुक्म दो, और हिन्दू नौजवानों को रण के लिए तैयार करो।
  - (५) सभी मुसलमानों को विदेशी जासूस करार दो।
  - (६) भारत में इस्लाम को मानना गैर कानूनी करार दो।
- [ वही, २८ सितम्बर, १९४७ ]

इस प्रकार धीरे-धीरे सम्प्रदायबाद का विप फैलता गया और बहुत से काप्रेसी भी हिन्दू महासभाओं के सुर में सुर मिलाते हुए कहने लगे कि मुसलमानों को सरकारी नौकरियों से निकाल देना चाहिये और उनके नागरिक अधिकार छीन लेने चाहिये।

मध्य-प्रान्त के प्रधान मंत्री पं० रविशंकर शुक्ल ने ११ मई को जो भरी सभा में ऐलान किया था उसे पढ़िये—

‘विटिश भारत के हिन्दू इलाके में ३ करोड़ मुसलमान होंगे। आखिर इनकी क्या हालत होगी? इनके साथ विदेशियों के समान वरताव किया जायगा। उन्हें कोई भी नागरिक अधिकार नहीं रहेंगे। आज उनकी शिक्षा के लिये जो सरकारी सहायता दी जा रही है, वह बन्द फर दी जायेगी, और उन्हें अपनी शक्ति पर ही निर्भर रहना पड़ेगा।’  
[ नव भारत, २० जून, १९४७ ]।

आगे चलकर शुक्ल जी ने मध्य-प्रान्तीय सरकार के मंत्री डाक्टर इसन को लक्ष्य करते हुए कहा कि उन्हें भी धर्म घोड़कर पाकिस्तान की शासण लेनी पड़ेगी, तथा मुसल-

मानों को हिन्दुसत्तान में धार्मिक स्वतंत्रता दे भी दी गई तो उन्हें धारामभा या जौकरियों में अतिनिधित्व नहीं मिलेगा।

महात्मा गांधी के कानों तक जब ये बात पहुँचीं सो उन्हें एहां दुख हुआ। उन्होंने प्रार्थना सभा में भाषण देते हुए कहा—

‘यदि यह समाचार सच है और यदि बात हँसी में भी कही गई है तो भी यहुत दुख पूर्ण है। भारतीय संघ के प्रत्येक भारिमण्डल में मुसलिम मत्रियों का उसी प्रकार स्वागत किया जायगा जैसा पहले होता था। हमें इसका विचार नहीं रहना है कि पाकिस्तान में क्या होता है। भारतीय सङ्घ के अतर्गत रहने वाले प्रान्तीय मुसलमान भाइयों के प्रति विलकुल न्याय और सचाई का व्यवहार करेंगे। +

प० जवाहरलाल नेहरू को जब पता चला कि उनके कुछ साथी कार्यकर्त्ता भी हिन्दू सभाइयों जैसी बात करने लगे हैं तो उन्होंने १२ अगस्त को लखनऊ की युक्तप्रान्त के कामे से नेताओं की सभा में बोलते हुए कहा था—

‘मुझे अप्रेजों का ढर नहीं, जिन्दगी भर में उनसे लड़ता आया हूँ। मुझे राजाओं का ढर नहीं, वे भी दो चार दिन में ठीक हो जायेंगे। न मुझे ढर मुसलिम लीग का है। लोग कहते हैं, पाकिस्तान हम पर हमला करेगा। यह सोचना

+ इस संघ में डा० हसन ने अभी एक विस्तृत बशान प्रकाशित किया है, जिसका बार टाइम्स ऑफ़ इंडिया ३० मार्च, १९४६ में छापा है।

बिलकुल गलत है। भारत पर हमला करने का पाकिस्तान के नेताओं का न तो इरादा है और न वे ऐसा कर ही सकते हैं। मुझे तो डर है उस दुरमन का जो हमारे अपने घर के अन्दर पैदा हो रहा है। बातव मेरे बाहर के दुश्मन से कभी इतना डर नहीं होता जितना घर के अन्दर के दुश्मन से।'

आगे चल कर उन्होंने कहा—

'मुझे वड़ा आश्चर्य होता है जब मैं अपने कुछ पुराने साथियों को यह कहते सुनता हूँ कि पाकिस्तान के अलग हो जाने के बाद अब बाकी देश में हिन्दू राज्य होना चाहिये। हिन्दू राज्य की आज बात करना मूर्खता नहीं तो क्या है। आज की दुनिया में कोई धार्मिक राज्य नहीं बन सकता, बनना सभव ही नहीं है—पाकिस्तान में भी नहीं।'

दरअसल हिन्दू मुसलिम एकता के अग्रदूत महात्मा गांधी ने अपनी जान को खतरे में डालकर नोआखाली में अल्प संख्यक हिन्दुओं की रक्षा के लिये और कलकत्ते में अल्प संख्यक मुसलमानों की रक्षा के लिये घर-घर प्रेम और शान्ति का उपदेश दिया था। नोआखाली में दुष्ट लोगों ने उनके ऊपर हमले भी किये लेकिन वे कभी अपने निरचय से विचलित न हुए। अपनी हृदय से उन्होंने बतला दिया था कि किस प्रकार अल्प संख्यकों के हृदय में हिमन्त और विश्वास तथा साम्प्रदायिक लोगों के दिलों में पश्चाताप की भावना पैदा की जा सकती है।

लेकिन कलकत्ते में अपने अनशन द्वारा शांति व्यापित करके गांधी जी ज्ञ. D. सितम्बर को दिल्ली पहुँचे और उन्हें

मालूम हुआ कि दिल्ली में भयानक दंगा हो गया है तो उनके दुनर की सीमा न रही। इस सम्बंध में गांधीजी ने कहा है—

‘अब ह सितम्बर को मैं कलकत्ते से दिल्ली आया था, तथा मैं पश्चिम प्रजात जा रहा था। मगर वहाँ जाना नसीब में नहीं था। खूबसूरत रौनक से भरी दिल्ली उस दिन मुर्दों के शहरों के समान दिखती थी। ज्योही मैं हैन से उत्तरा, मैंने देखा कि हरेक के चेहरे पर उदासी थी, सरदार जो हमेशा हँसी मजाक करके खुश रहते हैं वे भी उदासी से बचे नहीं थे। मुझे उस समय इसका कारण मालूम नहीं था। वे रुटेशन पर मुझे लेने के लिये आये हुए थे। उन्होंने सब से पहली खबर मुझे यह दी कि यूनियन की राजधानी में झगड़ा फूट निकला है। मैं फौरन समझ गया कि मुझे दिल्ली में ‘करना या मरना होगा।’

१५ अगस्त के बाद अखिल भारतीय काप्रेस कमेटी की पहली बैठक में गांधी जी ने वही अन्तर्वेदन के साथ कहा था—

‘आप चाहें तो मेरी धार न माने और मैं जानता हूँ, आप नहीं मानिए। मगर मैं आपसे कहता हूँ कि यह जो मुसलमानों को पाँचवे दस्ते धाले और गद्दार कहा जाता है, यह सब विलक्षण गलत है। अब मुझे धोखा नहीं दिया जा सकता। मैंने सब कुछ अपनी आँखों से देखा है और मैं सब कुछ जानता हूँ। एक तरफ तो आप मुसलमानों का वहाँ रहना नामुमकिन धनाये दे रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हैं मुसलमानों को छोड़कर नहीं जाना चाहिये। चताइये, डाक्टर किचलू को मैं कहाँ जाने को कहूँ?’

गांधी जी ने कितनी बार अपनी प्रार्थना समाओं में भाषण देते हुए हिन्दू और सिखों से कहा कि जो मुसलमान अपने घर छोड़कर चले गये हैं उनको वापिस बुलाना चाहिये, इसी से शरणार्थियों की समस्या हल हो सकती है, और इसी से भारत वथा दिल्ली शहर की वरवादी और वेइंजिती से रक्षा हो सकती है। गांधी जी यह भी कहते थे कि करोड़ों हिन्दुओं, सिखों और मुसलमानों को एक इलाके से दूसरे इलाके में भेजने की बात सोचना ही गलत है। इसके विपरीत यदि हमने आवादी फी अदला-बदली करने से इन्कार करने का सही कदम उठाया तो हम उस दुराई को दूर कर सकेंगे जो पाकिस्तान से हुई है।

फांग्रेस को लक्ष्य करते हुये उन्होंने कहा—‘कांग्रेस के लिये ऐसी आजादी का कोई महत्व नहीं जिसमें जाति या धर्म के भेद को भूलकर सब के साथ बराबरी का वरताव न किया जाय’ (दिल्ली दायरी, पृ० १७३)।

हिन्दू और सिखों को साचधान करते हुए उन्होंने कहा था—

‘मैं हिन्दुओं और सिखों को चेतावनी देता हूँ कि मारने, लूटने और आग लगाने के कामों से वे अपने ही धर्मों का नाश कर रहे हैं।’

‘आगे आनेवाली पीढ़ियों को अपने बारे में यह कहने का मौका न दीजिये कि आपने आजादी की भीठी रोटी खो दी क्योंकि आप उसे न पचा सके। याद रखिये कि आपने इस पागलपन को बन्द न किया तो दुनिया की नजरों में हिन्दुस्तान भी कोई फदर नहीं रह जायेगी।’

लेकिन दुर्भाग्यवश अब गाँधी जी के उपदेश उपेत्ता की दृष्टि से देखे जाने लगे थे ।

ऐसी परिस्थिति में लाचार होकर गाँधी जी ने उपवास करने का उठ निरचय किया । १३ जनवरी को उपवास आरम्भ करने के पहले गाँधी जी ने अपने भाषण में कहा था—

‘मुझे आप लोग शान्ति से मरने दें । यह मृत्यु मेरे लिये यशस्वी मृत्यु होगा । मैं नहीं चाहता कि मैं एक असहाय मनुष्य का तरह हिन्दुस्तान, हिन्दू धर्म, सिस्त धर्म और इस लाम को अपनी आँखों से नष्ट होते हुए देखता रहूँ । तथा यदि पाकिस्तान अपने से अन्य धर्मवालों की समानता, तथा उनकी जिन्दगी और धन सम्पत्ति की रक्षा का विश्वास नहीं दिलाता है, और हिन्दुस्तान उसकी नकल करने को तैयार है तो यह विनाश अवश्यभावी है । ( टाइम्स आफ इन्डिया, अन्वर्ष १३ जनवरी, १९४८ ) ’

उपवास भग करने का गाँधी जी ने निम्नलिखित शर्तें पेश का थीं—

१—दिल्ली की ११७ मसजिदों को जो अपवित्र कर दिया गया है, उन्हें मुसलमानों को लौटा दिया जाय ।

२—मुसलमानों का बहिष्कार न किया जाय ।

३—मुसलमानों की दिक्काज्वर के लिये उन्हें यकीन दिलाया जाय ।

४—पाकिस्तान गये हुए मुसलमान यदि दिल्ली वापस आना चाहें तो उनके घर आदि उन्हें लौटा दिये जाय ।

५—उम्रके इलाकों को और न छोना जाय ।

६—मुसलमान लोग हिन्दुतान में चाहे जहाँ निर्भय होकर घूम सके।

७—स्वाजा वख्तियार काजी का मेला हमेशा की तरह लगे और उसमें मुसलमानों की इफाजत की जाय।

इधर गांधी जी ने देश की स्वाधीनता की रक्षा के लिये प्राणों की बाजी लगा रखती थी उधर कुछ शरणार्थी लोग नारे लगा कर चिल्लाते थे कि गांधी को मर जाने दो।

इतना ही नहीं कुछ देश-दोहियों ने उक्सात शर्तों को सात कीले मानकर उनपर भारत मारा, भारतीय संस्कृति और हिन्दू भावनाओं का एक चिन्न बनाकर लटकाया, और गांधी जी को उस चिन्न को अपने पैरों से रीढ़ने और कुचलते हुए दिखाकर मौलाना आजाद को ठड़ा लगाते हुए चिन्नित किया। ये करतूतें और किसी की नहीं सघबालों की थीं और इस प्रकार का कार्दून लखनऊ से प्रकाशित 'सघ' के 'पाँच जन्म में' प्रकाशित हुआ था।

गांधी जी के ७६ वर्ष की वृद्धावस्था के उपवास से देशभर में हलचल भव गई और सर्वत्र चिन्ता की लहर दौड़ गई। दिल्ली में छोटे घडे सब लोग एकत्रित हुए और हिन्दुओं, मुसलमानों और सिरों के प्रतिनिधियों ने जब शहर में शान्ति रक्षा स्थापित रखने का विश्वास दिलाया तो १८ जनवरी को गांधी जो ने उपवास तोड़ दिया।

लेकिन उसके बाद जो घटनाये घटी उनसे मालूम होता है कि यह शान्ति परघट की शान्ति थी, और देश का साम्प्रदायिक

वातावरण इतना दूषित हो चुका था कि उसकी दम घोटू दुर्गम्य सर्वत्र फैल रही थी।

२१ जनवरी को शाम को ५॥बजे गाँधी जी की प्रार्थना सभा में अचानक एक बम फटा। मदनलाल नाम का एक पंजाब का शरणार्थी नव युद्धक पकड़ लिया गया जिसके पास से एक दस्ती बम भी बरामद हुआ। उसके बीन चार साथी पास में रही हुई मोटर में बैठकर भाग गये।

दिल्ली में स्थापित शांति कमेटियों को और दिल्ली की केन्द्रीय सरकार को यह सुला चैलेज था !

सरदार पटेल और प०जवाहर लाल नेहरू ने कहा कि यह किसी पागल शरणार्थी का काम है। किसी ने कहा कि यम सिर्फ गाँधी जी की सभा में गड़बड़ी पैदा करने के लिये फेंका गया है। कुछ लोग शायद समझते थे कि गाँधी जी अमर है, इसलिये उनका कोई कुछ नहीं विगड़ सकता। लेकिन इस बात पर गौर नहीं किया गया कि बम फेंकने वाले के पास एक दस्ती बम बरामद हुआ था और उसके साथी बहाँ से भाग निकले थे।

मदनलाल के गिरफ्तार कर लिए जाने वे बाद उसके बयान प्राप्त हो जाने पर भी केन्द्रीय सुरक्षिया विभाग और भारत सरकार पड़यत्र का पता न लगा सकी। दिल्ली में बम फटने के अगले रोज २१ जनवरी, १९४८ को बम्बई सरकार को इन पक्षियों के लेखक द्वारा इसकी सूचना मिल चुकी थी कि बम फेंकने वाला कोई पागल आदमी नहीं, इस बम के पीछे गाँधी जी की हत्या का बड़ा भारी पड़यन्त्र है। ( देखिये जामण साहित्य मंदिर, कमच्छा, बनारस द्वारा प्रकाशित लेखक की 'बापू को न बचा सका' नामक पुस्तक )।

गाँधी जी की हत्या के तीन दिन पहले दिल्ली में हिन्दू सभा की एक आम सभा में 'मदनलाल वीर जिन्दाबाद' और 'महात्मा गाँधी मुर्दाबाद' के नारे लगाये गये थे ! कुछ दिन पहले दिल्ली में सम्प्रदाय चादियों द्वारा पर्व बाँटे गये थे जिनमें गाँधी जी को मुसलमान, गद्दार, गुरुडा और इस युग का रावण कहकर हिन्दुओं और सिखों से अपील की गई थी कि इस वर्ष इस युग के रावण (गाँधी) का वध करके विजयादशमी का त्योहार मनाया जाय !

३० जनवरी की शाम को फिर प्राथेना-सभा भरनेवाली थी। गाँधी जी अपना अन्तिम प्रवचन करने आये थे। हत्यारा भी दर्शकों की पंक्ति में खड़ा था। मौका पाते ही उसने जेव में से पिस्तौल निकाल कर उनकी छाती को छलनी कर दाला।

बापू की यह लीला समाप्त हो गई ! आकाश का तारा टूट कर जमीन पर गिर पड़ा। साम्प्रदायिक एकता और आजादी का सच्चा पुजारी ऊँच-नीच, ब्राह्मण अब्राह्मण, छूत अछूत और हिन्दू मुसलमान के संकुचित भेदों से पूर्ण इस देश की भूमि को तिलाझलि देकर चल बसा।

**यह था सम्प्रदायवाद का घोर अभिशाप ?**

पंडित जयाहरलाल नेहरू ने अपने अभिभाषण में कहा 'हम गुनहगार हैं, जो गान्धी जी की, अपनी शेषतम निधि की, रक्षा नहीं कर सके। पहले हमने उनकी आत्मा को कुचल जाने दिया, और अन्त में उनका शरीर भी, हमारे देहते-देहते चलनी हो गया !!!'

## अध्याय आठवाँ अद्वृतों की समस्या

हिन्दू-मुसलमानों की समस्या की तरह भारत की दूसरी जटिल समस्या रही है छूत-अद्वृतों की समस्या।

अप्रेड सरकार ने कापेस के राष्ट्रीय आन्दोलन को कम-जोर करने के लिये निर्वाचन-ज्ञेन्हों की यड़ती हुई सूची में अद्वृतों का नाम सम्मिलित कर चनके लिये भी अलग निर्वाचन का प्रताव रखा था, लेकिन महात्मा गांधी ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर सरकार को ऐसा करने से रोक दिया।

१९३१ में लदन की गोलमेज परिपद में गांधी जी ने सप्ट फ्ह दिया था कि असृथों के पृथक जाति के रूप में वर्गीकरण किए जाने के बे विलक्ष विरुद्ध हैं। लेकिन फिर भी लब १७ अगस्त, १९३२ को भारत-मन्त्री रेमजे मैकडोनल्ड ने 'धार्मदायिक निर्णय' की घोषणा करते हुए दलित जातियों को पृथक निर्वाचन के अधिकार के साथ साधारण निर्वाचन में भी उम्मीदवारी करने और दुहरे बोड हासिल करने का अभिकार दिया तो १० सितम्बर से गांधी जी ने आमरण अनशन का ब्रत लिया। इससे देशभर में इलाचल मच गई, और उपचास के पौचवें दिन अद्वृत नेवाथों ने दलित जातियों के पृथक निर्वाचन के अधिकार को त्याग कर साधारण हिन्दू

निर्वाचन से सन्तोष कर लिया। इसी को 'पूना समझौता, कहा जाता है।'

सन् १९३३ में गांधी जी ने दूसरा अनशन किया जिसका प्रयोजन था, अपने सहयोगियों की आत्मशुद्धि तथा देशवासियों के हृदय परिवर्तन द्वारा हरिजनों का उद्धार करना।

गांधी जी की मृत्यु के बाद १ फरवरी, १९४८ के हरिजन में जो उनका अन्तिम लेख प्रकाशित हुआ है उसमें भी गांधी जी ने कहा है कि ट्राटी मंदिरों के अधिकारी नहीं और उन्हें मंदिरों की धन-सम्पत्ति का भी अधिकार नहीं, क्योंकि मंदिर सार्वजनिक उपयोग के लिये बने हैं। अतएव हरिजनों को स्वामी नारायण और जैन मंदिरों में जाने की छूट मिलनी चाहिये।

लेकिन भृत्य है सकता है कि क्या मन्दिर प्रवेश से हरिजनों की समस्या हल हो सकेगी।

उड़ीसा की मुसाफिरी करते समय गांधी जी ने किसी हरिजन का ज़िक्र करते हुए लिखा है—

'एक मैलो लॅगोटो पहने जमीन पर से तिनका उठाकर उसने मुँह में ले लिया, मेरे सामने साढ़ाङ्ग लेट गया, फिर उठकर प्रणाम किया। तिनका निकाल कर पालों में रख लिया और जाने लगा। मैंने पूछा—'मुँह में तिनका क्यों 'दया लिया था ?' 'आपका आदर करने के लिये।' मैंने कहा—'कुछ दोगे ?' बेचारा पेसे के लिये कमर टटोकते लगा। मैंने कहा—'पैसा नहीं माँगता हूँ।' मैंने पूछ लिया था कि वह शराब पीता है, मरार माँस : ता है। मैंने कहा—'मैं

माँगता हूँ—‘किसी के सामने तिनका मुँह में न लोगे, और दोगे, माँस त्याग दोगे।’ ( मंदिर-प्रवेश और अस्पृश निवारण, पृ० ८८ )

स्वामी अद्वानन्द जी कहा करते थे कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में एक-एक हरिजन रस ले तो अल्लूतों की समस्त हल हो सकती है। एक लेखक ने लिखा है कि आज देश के शहरों से पासाने की वर्तमान प्रथा उठा दी गई और भगियों की शिल्प, साहित्य, कला के काम सिर्फ जाँय और किसी भगी की आवश्यकता न रहे तो अब का उद्धार हो सकता है अन्यथा नहीं।

लेकिन न हरिजनों को घर में रखने से उनकी समस्त हल हो सकती है, न पासाने की वर्तमान प्रथा उठा देने से न केवल शराब और माँस का त्याग फर देने से, न उन ‘ओं नमो शिवाय’ का दीक्षा मन्त्र देने से और न उन्हें भगवान् की सन्तान होने का दावा स्वीकृत करने से।

उनकी समस्या तो उनकी आर्थिक और राजनीतिक मर्यादा की कठोरता करने से ही हल हो सकती है। ‘पहले साल मैं कसाँ था, दूसरे साल शेख हुआ, और यदि इस साल गल्ले का दाम चढ़ा तो मैं सेव्यद हो जाऊँगा’—इस उक्ति से इसका बहुत सुन्दर ढग से समर्थन होता है।

डॉक्टर महेन्द्र सिंह ने अपनी ‘दलित जातियों’ ( डिप्रेस्ड क्लासेज ) नामक पुस्तक में बतलाया है कि विहार के खेतों में काम करने वाले मजदूरों को ५ पैसे रोज के हिसाब से १४॥॥=J सालाना आमदनी होती है। अगर एक घर में काम

फरने वाले जो और पुरुष दो आदमी हों तो एक कुटुम्ब की औसत आमदनी कुल २६।।।) होती है। यह आमदनों अधिक से अधिक समझी चाहिये। कामिया की कुल आमदनी तो २०। साल ही पड़ती है। ऐसी हालत में दलित जातियाँ केवल अपने थम के ऊपर निर्भर रहती हुई अदाई तीन आने सेर की कोदों और जोन्दरां साफर कैसे जिन्दा रह सकती हैं ?

इसी तरह गाँवों के घोमियों को किसानों से १ साल में कुल १० सेर फी हल अनाज मिलता है। भगियों को फसल के बज सिर्फ १०-१५ सेर अनाज मिल जाता है। जो लोग खेती नहीं करते उनके यहाँ से उन्हें फी घर एक रोटी मिलती है। कहीं रोटी के सिवाय २। साल और मिल जाने हैं। शहरों में भी इन लोगों की हालत अच्छी नहीं, इसीलिये इन्हें हड्डताज करने के लिये बाध्य होना पड़ता है।

बेगार की तो कुछ पूछिये मत। पूर्वी हिमालय प्रदेश में बेगार करने वाला का १ आना प्रतिदिन दिया जाता है, जबकि पजदूरी का बाजार-भाव दो अदाई आने रहता है। बहुत सा जगह मजदूरों को १ साल में ४८ दिन बेगार करनो पड़ती है, तथा जमीदार को हरसाल १। सेर या और २-३ मन गोहूं का भूसा ( १ रुपया मन ) देना पड़ता है। पजाव में बेगारी का मतलब ही चमार समझा जाता है, और उसे जमीदार का बहुत सा काम मुक्त फरना पड़ता है। इन लोगों के घर शामलात जमीन में बने होते हैं इसलिये घरों पर उनका कोई अधिकार नहीं रहता, और जमीदार रिकाया से चाहे जब बेगार करा सकता है।

कुछ रियासतों में सन् १९११ से लेकर अब तक काश्वरकारों

से रुपये में तीन आने दिल्ली दरवार के नाम से नज़राना वसूल किया जाता है। यहुत सी जगह लड़का पैदा होने पर, और सगाई या विवाह के समय उन्हे जमीदारों को नज़राना देना पड़ता है। कहीं तो यदि काश्तकार की ओरत भाग जाय या अपना भगदा निषटाने के लिये उसे जमीदार के पास जाना पड़े, तो जमीदार को टैक्स भरना पड़ता है।

सदियों पहले गुलामी की प्रथा कानूनन बन्द हो जाने पर भी हिन्दुस्थान में यह प्रथा अभी तक मौजूद है। विवाह आदि के प्रसंग पर जमीदार से साधारण कर्ज लेने के कारण दलित या आदीम जातियों के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी तक जमीदार के गुलाम बन जाते हैं, और वे अपने कपटों के निगरण के लिए जमीदार के ऊपर अदालत में कोई दावा तक दायर नहीं कर सकते। यहुत से रथानों में तो ये गुलाम बेचे खरीदे जाते हैं, और उनकी कीमत होती है उतना कर्ज जितना उन्होंने जमीदार से लिया था।

मध्यप्रदेश में एक हरवाहा और उसकी ओरत की कीमत होती है कुल ६०) से ८०) तक । छोटा नागपुर में कुपि सबधी गुलामी की प्रथा कानून से बन्द करदी गई है, लेकिन व्यवहार में उसका उपयोग नहीं होता। पीप समाज के दिन जमींदार और खेतिहारों में सुँह जबानी चाढ़े होते हैं और मजदूर जमीदारों की हाजिरी बजाते हुए हच्छी जाति के गुलामों जैसा जीवन विताने के लिए बाध्य किये जाते हैं।

ब्याज तो कौटिल्य के जमाने से ही दलित जातियों अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक देती आई हैं। आश्चर्य नहीं कि कर्ज के भार से दबाये दलित जातिया समाज में बराबरी का

स्थान प्राप्त नहीं कर सकीं। सयुक्तप्रान्त और चिहार में दो पैसे रुपया माहवार याती ३३५ फीसदी सालाना व्याज लेने का आम दस्तूर है। कहीं तो महाजन लोग एकजी रुपया वसूल करते हैं। किसी में हर महीने १) के हिसाब से ८) के १२) देने पड़ते हैं। कावुली लोग हर महीने ३) के हिसाब में ६॥) की जगह १५) वसूल करते हैं। यद्यपि रुक्के में १०) रुपये लिखे जाते हैं, और ॥) रुक्का लिखाई के पहले ही काट लिये जाते हैं। इससे दक्षित वग के शोपण का सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि एक बार अपनी आर्थिक स्वतंत्रा सो देने पर यह वर्ग किस प्रकार सामाजिक विषमता का शिकार बनता चला गया।

दलित वर्ग की सामाजिक असमर्तता को दूर करने के लिये समय समय पर समाज सुधारकों ने आवाज उठाई तथा कानून आदि पास करके उनके पद को ऊँचा उठाने की कोशिश की गई लेकिन किसी निश्चित योजना के अभाव के कारण कोई सफलता नहीं मिली।

चदाहरण के लिये इन् १८५० में जाति अयोग्यता निवारण कानून (कास्ट डिसएविलिटीज रिमूवल एक्ट) पास किया गया जिसके अनुसार धर्म या जाति परिवर्तन करने का सुनिवारी गई। सन् १८३२ में विशेष विवाह कानून पास किया गया जिसके अनुसार कोई भी पुरुष अपने से भिन्न जाति या धर्म-बलधी खीं के साथ विवाह कर सकता था, वरतंते कि रोनों इस घात की घोषणा करे किंवे किसी भा जाति या धर्म को नहीं मानते। आगे चलकर सन् १८२३ में उक्त कानून में सुनार किये गये और धर्म या जाति परिवर्तन की जखरत नहीं रह गई।

पहले अछूत वर्ग के लड़कों को सरकारी शूलों में भरती नहीं किया जाता था। सन् १८५८ में बम्बई सरकार ने जाहिर किया कि शूलों में अछूतों की भरती न करने पर शूलों की सहायता बन्द कर दी जायेगी। लेकिन इससे कुछ न हुआ। अछूतों के लड़कों को शूल के बरामदे में बैठा कर पढ़ाया जाने लगा। इस पर १८८३ में एक विज्ञाप्ति प्रकाशित की गई। आखिर १८८५ में मद्रास घारासभा में एक विल पाप किया गया कि सार्वजनिक दफ्तर, शूल आदि में अछूत लोग प्रवेश कर सकते हैं और कुएं, तालाब आदि से यिना किसी रोक टोक के पानी भर सकते हैं।

लेकिन जन-गणना की रिपोर्ट से मालूम होता है कि अष्टू श्यता निवारण के कानून पास होने के ७० वर्ष याद मी मद्रास सूचे के ८,१५७ शूलों में से कुल ६०६ शूलों में अछूत विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सका।

महात्मा गांधी के हरिजनों के द्वारा वे लिये भागीरथ प्रयत्न बहने पर भी हरिजनों की समर्था हल न हो सकी। १० दिसम्बर १९४७ को शिमला पहाड़ की किसी देती रियासत से अपनी अवस्था का बर्णन करते हुए जो हरिजनों ने पत्र लिया था वह 'हरिजन सेवक' में। पाशिव हुआ है—

१ जब किसी ऊँची जात के किमी हिन्दू पा बोई डगर मर जाता है तो डगर ए भालिक सुद उसे घूने में घून मानता है, और हरिजनों को जघर्दस्ती उसे ले जाकर गाइना पड़ता है।

२ पोई गाढ़ण किसी हरिजन वे यह। सत्यनारायण की कथा कहने या बोई यह करने नहीं जाता।

३. किसी ऊँची जाति के लिये किसी हरिजन की लड़की या लड़का को चर्दरतों ले जाना कोई जुर्म नहीं समझा जाता ।

४. कोई हरिजन हिन्दू तरीके से कन्यादान करके अपनी लड़की की शादी नहीं कर सकता ।

५. सरकारी अफसरों के दोरे के बक्स दूध, लकड़ी, घास और हर तरह की बेगार हरिजनों से ली जाती है; ऊँची जाति वालों से ये चीज़ें नहीं ली जातीं । इन चीजों की कीमत अगर कोई अफसर देता भी है तो वह नम्बरदार खरारह ले लेते हैं, हरिजनों को नहीं मिलती ।

६. ज़मीन की मालगुजारी जो ऊँची जात वालों से ली जाती है, उतनी ही ज़मीन की मालगुजारी हरिजनों से उसकी दुगुनी और तिगुनी ली जाती है । इस पर भी हरिजनों को ज़मीन का मौल्सी हक्कदार नहीं माना जाता ।

७. जो हरिजन इसतरह के अत्याचारों पर एवराज करते हैं उनपर भूठे मुकदमें चलाये जाते हैं ।

८. रियासतों के प्रजामंडलों में ऊँची जात वाले लोग हरिजनों को प्रजामण्डल के मेम्पर नहीं बनने देते और अगर बनने भी देते हैं तो उन्हें चुनाव वर्गीरह में बराबरी के हक् नहीं देते । ( नया हिन्द, अप्रैल, १९५८ ) ।

अभी कुछ वर्ष पहले की घात है कि इन्दौर रियासत के १५ गाँवों के हिन्दुओं ने यहाँ के अस्पृश्यों को निम्नलिखित आदाओं का पालन करने को कहा था, प्रत्यथा गाँव छोड़ कर चले जाने की घमकी दी जाती थी—

१—कोई पुरुष सुनहरी किनारी की पगड़ी नंजलगाये, रगीन किनार की धोती न पहने ।

२—किसी भी हिन्दू के मर जाने पर उसके रिश्तेदारों के स्वनार दे, भले ही वह दूर क्यों न रहता हो ।

३—हिन्दुओं के शादी विवाह में घाजा घजाये ।

४—अछूतों की औरतें सोने चाँदी के गद्दने तथा फेंसी, लैंघगा और जाकट न पहनें ।

५ हिन्दू औरतों के प्रसूति के समय वे दाई काम न करें ।

६—अछूतों को चाहिये कि वे विना वेतन हिन्दुओं के यहाँ नीकरी करें, और जो उन्हें खुश होकर दे दिया जाय उसे स्वीकार करले । ( डॉ अम्बेडकर, 'ऐनिहिलेशन ऑफ कास्ट' )

दक्षिण में तो अस्पृश्यों के लिये बहुत कड़े नियम हैं । कुछ जातियों के प्राम या नगर में प्रवेश करने पर समूचा प्राम अपवित्र हो जाता है । विलयूर में गाव के बाहर एक पत्थर लगा रहता है जिसके आगे नयडि जाति के लोग नहीं जा सकते । यह स्थान हिन्दुओं के घर से करीब ३ फैलांग होता है । इसी प्रकार एरनादन जाति के आदमी को गाव में ४०० गज की दूरी पर और उच्चरण के लोगों में १०० गज की दूरी पर आने की मनाई है । ( जे० एच० हटन कास्ट इन इंडिया पृ० ७० । 'ओ' मैले ने अपनी 'मौडन' इंडिया एण्ड दी वैट' नाम का पुस्तक में लिखा है कि मद्रास सूबे में तिन्नेवेली स्थान की कुछ अपूर्य जातियाँ कभी दिन में इसलिये बाहर नहीं आतीं कि कहीं ऊँची जातियाले उनके दर्शन से अपवित्र न हो ।

जाँय। १९३१ की जन गणना के समय जब उन लोगों को बहुत समझा बुझाकर घर के बाहर किया गया तो वे घर के मारे थरथर काँप रहे थे। पृ० ३७५ फुटनोट ) ।

हिन्दुत्तान में ऐसी भी जगह है जहाँ ब्राह्मण को दैखकर शूद्र जाति के लोग घर के मारे कूद कर गढ़े में छिप जाते हैं, जहाँ मूल का अध्यापक दलित जाति के विद्यार्थियों से छू जाने के भय से उसे छढ़ी से मारने की बजाय मिट्टी के ढेलों से मारता है, और जहाँ ब्राह्मण डाक्टर शूद्र जाति के लोगों की नाड़ी की परीक्षा करते समय उस पर रेशमी पट्टी बाध लेता है। मालूम होता है कि शूद्रों के घर के देवी-देवता भी अबूत होते हैं और इसीलिये ब्राह्मण लोग उन्हें नमस्कार नहीं करते। (जे० एन० महाचार्य, 'हिन्दू काट्स ऐएड सैक्ट्रम' पृ १६-२०) वगाल के अस्त्रशय शूद्रों के नान करने से तो गगा का जल ही अपवित्र हो जाता है।

अपने आप को सब ब्राह्मणों में अधिक पवित्र और आचारी मानने वाले दक्षिण के नम्बूडी ब्राह्मणों के विषय में प्रसिद्ध है कि वे नायर लियों की साथ ससार करते हैं, पर उनके हाथ का स्पर्श किया हुआ अन्न जल ब्रह्मण नहीं करते। वे प्रात काल रनान करके शुद्ध दो जाते हैं, और दिन में उनका स्पर्श नहीं करते। नम्बूडी ब्राह्मण जब किसी ऐएर या ऐएगर के घरहन में अपने वरतन से जल आदि तरल पदार्थ ढालते हैं तो छूत के भय से घार बाधकर नहीं ढालता, इसे कहा जाता है धार मुरिक्कुग !

ब्राह्मण आदि ऊँची जातियों के आतन से यह स्पृश्य स्पृश्य की भावना निम्नतर जातियों में भी दासित हो गयी। उदाहरण

के लिये, पुलयन जाति के किसी आदमी को यदि कोई पारिया छू दे तो, पुलयन पाच बार स्नान करके और उंगली से रक्त निकाल देने के पाद शुद्ध होता है। जैसे ब्राह्मणों के लिये पारियां अस्पृश्य हैं उसी प्रकार पारिया के लिये ब्राह्मण अस्पृश्य हैं। यदि कोई ब्राह्मण उनके मुहल्ले से गुजरता है तो उसे मार खानी पड़ती है, तथा ब्राह्मण के बहाँ से चते जाने के पाद पारिया लोग गोबर से लीप पोत कर अपने मुहल्ले को शुद्ध करते हैं।

अत्यन्त नीच माने जाने वाली होलेय जाति के घर यदि ब्राह्मण आ जाय तो उनका घर अपवित्र हो जाता है। इसी प्रकार उड़ीसा के कुंभीपटीया जाति के लोग सब का छुआ रा सकते हैं लेकिन ब्राह्मण, राजा, नाई और धोबी उनके लिए अस्पृश्य हैं। ( शिर्जित मोहन सेन, भारत वर्ष में जाति भेद, पृ० ६६—१०० ) इसी तरह बहुत सी जगह चमार भंटी, होम आदि जातियाँ धोबी को अस्पृश्य ममकर्ती हैं तथा धोबी उनके कपड़े नहीं धोता और वे उसका मैला नहीं उठाते। अनेक सैयद आदि मुसलमान हिन्दूओं का छुआ नहीं खाते।

कुछ लोगों का मानना है कि धर्म परिवर्तन से अस्पृश्यों की समस्या इल हो सकती है? अतएव यदि भारत के हरिजन सिंह, इसलाम या ईसाई मजहब प्रहण कर ले तो छुआ छूत की समस्या न रहे। लेकिन यह दलील भी ठीक नहीं।

दक्षिण भारत के द्रावनकोर, कोचीन आदि रथानों में तथा छोटा नागपुर आदि में लग्नन की मिशामरी सोसायटियों ने लाखों अद्वृतों को ईसाई बनाया, लेकिन ध्यान देने की बात है कि इन सोसायटियों को वहीं सफलता मिली जहाँ कि अद्वृतों

को कुछ आर्थिक सुविधायें प्राप्त हो सकीं। उदाहरण के लिए, थोटा नागपुर आदि स्थानों में यदां की आदिवासी मुख्य और ओराँड़ नामक जातियों को ईसाई पादरियों ने सरकारी अफसरों की सहायता से जमीदारों के शोपण से बचाया, तथा अन्य स्थानों में उन्हें सरकारी नौकरियों आदि दिलाने की व्यवस्था की।

रिजली ने अपनी 'पीपल ऑफ इंडिया' (पृ० २४०) में बताया है कि 'ईसाई धर्म' प्रहरण कर लेने पर मनुष्य का सारा चायु मण्डल ही बदल जाता था। ब्राह्मण की तरह उसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबन्ध किया जाता था, पढ़ा लिखा-फर उसे नौकरी आदि दिलाई जाती थी, मिशनरी के बड़े बड़े लोगों से उसका परिचय कराया जाता था, अन्य ईसाइयों की तरह गिरजा घर में उसे धार्मिक क्रिपाये आदि कर सकने का अधिकार था, तथा साफ सुथरों और पढ़ी लिखी किसी मिशन की लड़की से उसका विवाह कर दिया जाता था। मतलब यह कि समाज में वह हर तरह से आदर के पात्र होता था।'

पढ़ते कहा जा चुका है कि हिन्दुस्तान में उद्योग धन्धों की वृद्धि होने से किस प्रकार प्राचीन श्रम विभाजन की व्यवस्था नष्ट हुई। यस्तुत छूआछूत की समस्या इन्हीं उद्योग-धन्धों की वृद्धि से हो सकती है। उदाहरण के लिये फलकचा, घम्बई, मद्रास, कानपुर आदि नगरों के कारखानों में सभी जातियों के मजदूर एक साथ काम करते हैं, और सब एक साथ मिटाकर यूनियनों का काम चलाते हैं। रुई, चाँदी बगैरह के सटे याजारी में भी सब लोग एक साथ उठते-दैठते हैं।

होटलों ने भी जात पाँत और छुआछूत को दूर करने में यदुत मदद की है, क्योंकि यहाँ पर सभी जाति के लोग ऊँच नीच की भावना छोड़कर चाय आदि का पान करते हैं। अमेरीकी दयाओं के प्रचार से मां सानपान की फटूरता कम हुई है। इसी तरह रेल गाड़ियों आदि ने इस पुनीत कार्य में मदद पहुँचाई है। शूल-कालेज, सिनेमा पियेटर, सभा सोसायटियों, बथ राजनीतिक पार्टियों में भी ऊँच नीच का भेद भाव नहीं रहता था ? इनसे मां छुआछूत के दूर होने में काफी मदद मिली है।

कहते हैं कि कारमीर में जब कुटवाल पहला खेल हुआ तो किसी खिलाड़ी के मुँह पर कुटवाल लग जाने से उसने स्नान किया और उसके बाद फिर खेलना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे कुटवाल के खेलों का प्रचार होता गया छुआछूत की भावना घटती गई। इसी प्रकार १८३५ में जब कलकत्ते में मेडिकल कालेज खुला तो वडा हो इल्ला मचा। विद्यार्थियों के सरक्षक ने आपत्ति की कि उनके लड़के मृतक शरीरों के स्पर्श से अपवित्र हो जायेंगे। यहाँ तक कि जब कॉलेज में पहले बिन चीरफाड़ हुई तो कालेज बन्द कर देना पड़ा, कारण कि कालेज के दरवाजे पर लोगों को बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। कहते हैं कि जब पहले विद्यार्थी ने चीड़ फाड़ के लिए चाकू उठाया तो खुशी में कोई बिलियम से बन्दूक दागी गई।

विदेश-यात्रा के विषय में भा यही बात हुई। विदेश यात्रा से लौटने पर हिन्दुओं को पचगव्य (दूध, दही, घा, गोमुक और गोबर, खिलाकर शुद्ध किया जाता था लेकिन वह में

व्य वहुत लोग विदेश यात्रा के लिये जाने लगे तो यह प्रथा बन्द कर देनी पड़ी।

अद्यूतों का अलग संगठन घनाकर एक गुट विशेष का आर्थिक और राजनीतिक आन्दोलन चलाने से भी अद्यूतों का कल्याण नहीं हो सकता। उनकी समस्या जनतंत्र के विकास से ही हल हो सकेगी जब कि जनवादी राष्ट्रीय आन्दोलन अद्यूतों की कठिनाइयाँ दूर करने के लिए अप्रसर होगा। उस समय उनके मन्दिर-प्रवेश, स्कूल प्रवेश सङ्कट पर चलना, कुओं से पानी भरना आदि प्रश्न इच्छमेव हल हो जायेगे।

दलित जातियों की शिक्षा के सबध में छोटे महेद्र सिंह ने अपनी 'डिप्रैड क्लासेज' नामक पुस्तक में निम्नलिखित उद्गार व्यक्त किये हैं—

१६३१ की जन गणना के अवसर पर, विटिश भारत में जलित जाति की तमाम जनसख्या को लेते हुए १ मील में कुल १६ व्यक्ति पढ़े लिखे थे। उच्च वर्ण के हिन्दू अभी भी अपने बच्चों को उनके साथ पढाना पसन्द नहीं करने। बहुत से गाँवों में अद्यूत पाठशालायें खोल दी गई हैं जहाँ लोअर प्राइमरी क्लास तक शिक्षा दी जाती है। उच्च वर्ण के लोगों के पक्षपात के कारण ही ये पाठशालायें खोली गई हैं, अद्यूतों को फायदा पहुँचाने के लिये नहीं। दरअसल इन पाठशालाओं से जातीयता के बधन जटिल ही होते हैं।... जहाँ दलित जातियों के लोगों के लिये अलग स्कूल नहीं होते बहा उन्हें अपने बच्चों को उन्हीं स्कूलों में पढाना पदता है जहा उच्च वर्ण के बच्चे पढ़ते हों। लेकिन इन स्कूलों

मे पढ़ाने वाला अध्यापक अद्युत बच्चों के साथ अच्छा बरेंगा नहीं करता। वह उनसे प्रति विद्यार्थी एक रुपया माहवार अधिक कीस लेता है। इसके सिवाय, उन्हे और भी बहुत सी दिक्षाओं का सामना करना पड़ता है। पहले तो उन्हें अच्छी तरह खाने को ही नहीं मिलता। उनके माला पिता उनके लिये किताब कापी बगैरह नहीं खरीद सकते। बच्चे छो स्कूल मे भेजने से उनके कुटुम्ब का आमदनी में कमी होती है। फिर जमीदार की तकलीफ भी कम नहीं। नहा चाहता कि उसके हरबाहे का लड़का पढ़ लिखकर उसके घरुन से निकल जाय। इसके अलावा वह बखूबी समझता है कि पढ़ लियाहर वह अन्य मजदूरों मे असन्तोष के बीज जिससे उसका हरवाहो और बेगार दोनों खत्म हो जायेंगी। इसीलिये जमीदार दर्जित जातियों के बच्चा को नाना प्रस्तोभन देकर इन बात को कोशिश करता है कि उनके बच्चे स्कूल मे पढ़ सके। जब वह और कुछ नहीं कर सकता तो वह अद्युता के बच्चों को शूल छोड़ देने के लिये मजदूर कर देता है' (पृ० १३५६)

परन्तु यदि हमें सचमुच अ पृथ्या कि दशा सुधारना है तो जमीदारा और साहुकारों के लिलाक हम सख्त कानून बनाने होंगे जिससे कि वे उन्हे गुलाम बनाहर न रख सके और न उनसे किसी प्रकार का बेगार ले सके। यह शापण प्रणाली बन्द होने पर ही दलित जातियों का उन्नति हो सकती है, अन्यथा नहीं। दिनुस्तान मे ऐसे बहुत से गाँव हैं जहाँ हजारों की सख्ता मे हरिजन बसते हैं, उनके लिये यदि सरकार का और से सामूहिक खेती आदि का व्यवस्था का जा सके तो वे बहुत शीघ्र उन्नति कर सकते हैं। अपराधा (किमि नल) समझी जानेवाली वथा दिनुस्तान की आदिम जातियों की समस्याय भा उनकी गराबा दूर होने पर ही हल हा सकती है।

## अध्याय नौवाँ

### जाति-पर्वति और सम्प्रदाय-भेद कैसे नष्ट हो ?

जब आर्य लोग इस देश में आये तो उनमें किसी प्रकार का रंग-भेद नहीं था। सब लोग एक दूसरे के यहाँ सातेपीते और विवाह-शादी करते थे। ईसवी सन् की दसवीं-स्थारहवीं सदी तक किसी न किसी रूप में यह क्रम जारी रहा।

ईसवी सन् के पूर्व वैश्यों का पेशा था खेती करना, जानवर पालना और व्यापार करना। लेकिन बाद में चक्रकर कृषि और गो रक्षा शुद्धि का पेशा माना जाने लगा। हुच्छन-सांग के समय वैश्यों का पेशा केवल व्यापार-घन्धा और शूद्रों का पेशा केवल खेती-जारी रह गया था। लेकिन बौद्ध और जैन-काल में संभवतः जीव हिंसा के कारण खेती को नीच कर्म माने जाने से खेती करने वालों यहाँ की आर्य जातियाँ भी शूद्र गिनी जाने लगीं। उदाहरण के लिये, जाट, गूजर और मराठा वातव्र में आर्य थे। लेकिन हिन्दुस्तान के लोगों ने उन्हें शूद्र बना डाला और पियनों ने सीधियन।

ऐसी हालत में आजकल जातियों की शुद्धता की बात ही किजूल है। अनुलोभ-प्रतिलोभ विवाह आदि के कारण माझए, ज्ञानिय, वैश्य और शूद्र जातियों में पर्याप्त मात्रा में

रक्ष समिधण सूच हुआ है। ललाट और नाक के परिमाण से जाति निश्चय करने की वैज्ञानिक प्रणाली से भी विचार किया जाय तो सारे देश में विशुद्ध आर्य का मिलना कठिन है।

प्राचीन भारत के वर्ण संघर्ष का विश्लेषण करने से मालूम होता है कि वस्तुतः यह संघर्ष वर्ग-संघर्ष का ही रूपातर था जो धर्म के रूप में अभिव्यक्त हुआ था। कारण, उन दिनों लोगों का विश्वास था कि धर्म के रूप में परिवर्तन होने से सामाजिक राजनीतिक अवस्था में स्वतं परिवर्तन हो जायगा। इस सम्बन्ध में एजेल्स ने कहा है।

‘मध्य युग में दर्शन, राजनीति और आईन को धर्म विद्या के साथ सबद्ध कर इन्हें धर्मविद्या का ही अश माना गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक सामाजिक और राजनीतिक आन्दोलनों को वाध्य होकर धर्म का रूप लेना पड़ा। अतएव जिन लोगों का मानिष्ठक नीचे से लेकर ऊपर तक केवल धार्मिकता से परिपूर्ण था, उनका महान् आन्तरिक उद्देश प्रवर्ट होने के लिये उनसी अभिरुचियों का धर्म के रूप में अभिव्यक्त होना आवश्यक हो गया।’ (लुहिंग फ्यूरवास, पृ० ६६, भूपेन्द्रनाथ दत्त की सृष्टी इन इन्डियन सोशन पौलिटी० पृ० ३१८)

इसीलिये हम देखते हैं कि प्राचीन और मध्य युगीन भारतीय जनता का जीवन प्रत्येक दिशा में ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा संचालित होने के कारण भारत की जनता के सामने धार्मिक सिद्धान्तों के रूप में संघर्ष करने के सिवाय दूसरा कोई मार्ग न था, और इससे छुटकारा पाने के लिये सामाजिक धार्मिक आन्दोलन जोर पकड़ते थे।

## जाति-पाँति और सम्प्रदाय का भेद-भाव कैसे नष्ट हो १७७

इस सम्बन्ध में मार्कर्स ने कहा है, 'जितने भर भी ऐति-हासिक संघर्ष होते हैं, चाहे वे राजनीतिक हों, धार्मिक हों, दार्शनिक हों अथवा किसी अन्य सेक्षनितक आधार को लेकर हुए हों, वे सब किसी न किसी रूप में वर्ग-संघर्ष का ही स्पष्ट अभिव्यक्तियाँ हैं।'

भारत में जो विभिन्न वर्ग भत प्रचलित हुए वे मूलतः वर्ग-संघर्ष के ही रूप थे। पहले इस संघर्ष ने धार्मिक-नैतिक रूप प्रदण किया, उसके बाद राजनीतिक परिवर्तन द्वारा सामाजिक रूपान्वर हुआ। लेकिन भारत के ब्राह्मण वर्ग ने वर्ण-संख्या कायम कर वर्ग युद्ध को इस कांति को रोक दिया। किर जब ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता आई, भनुमहाराज की दी हुई व्यवस्था जो ब्राह्मण साम्राज्यवाद का ही रूप था—राज्य-व्यवस्था का आदर्शरूप मानी जाने लगी।

समाज के कर्णधार ब्राह्मण लोग वर्ण व्यवस्था तक ही नहीं ठहरे, उन्होंने वर्ग विद्वेष को कम करने के लिए परलोक और पुनर्जन्म की कल्पना की और उसे मनुष्य की भलाई-बुराई का जिम्मेदार ठहरा कर उसकी बुद्धि को कुंठित कर दिया। इस घात का समर्थन करने के लिए कहा गया कि लोगों को अपनी वर्तमान स्थिति से संतोष करना चाहिए, तथा यदि वे भविष्य में अच्छे बनना चाहें तो उन्हें इस जन्म में दान-पुण्य आदि कर्म करने चाहिए।

ऐसी दृश्यता में अपने वर्ण से असन्तुष्ट होने का या समाज की वर्तमान अवस्था को बदलने का प्रयत्न ही नहीं उठता था। क्योंकि हिन्दूमात्र के दिल में यह विश्वास पैदा करा दिया

गया था कि वह अपने पूर्व कर्म से ही बर्ण, जाति विशेष अथवा अच्छी या बुरी परिस्थिति में पैदा हुआ है। अतएव अपनी वर्तमान दशा के लिए न उसे दुर्घट है, न पश्चात्ताप, और न यह कोई लज्जा की बात है। क्योंकि स्वयं भगवान् ने 'भुण कर्म के विभाग से चातुर्वर्ण की सृष्टि की है,' अतएव 'अपने ही धर्म में मृत्यु श्रेयस्कर है।'

इस संबंध में तेरहवें पोप लियो ने मई १८८१ में जो मशहूर घर्माज्ञा निकाली थी, वह उल्लेखनीय है—

'इसीलिये इन्सान के भाग्य में यही बदा है कि वह धीरज के साथ दुखों को सहन करता जाय। इन्सान चाहे जिरनी कोशिश करे उसकी चिन्दगी की जो श्रीमारियाँ और तकलीफें यह दिन परेशान किये रहती हैं, उन्हें हटाने में कोई भी ताकत या तदवीर कारगर नहीं हो सकती। आगर कोई शख्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि यह बात नहीं है, और जो बुरी तरह दुखी लोगों को दुख और वेदना से छुटकारा या उनको शान्ति, आराम और हमेशा भोग की उम्मीद दिलाते हैं तो वे लोगों को सरासर धोखा देते हैं और उनके ये भूठे बादे उन बुराइयों को दुरुना कर देने वाले हैं। इससे ज्यादा फायदे की बात और कुछ नहीं है कि इम दुनिया को वैसी ही शक्ति में देखे जैसी कि वह है, और साथ ही दुनिया जिन तकलीफों में फँसी हुई है उनके इलाज के क्षिये दूसरी जगह (यानी नित्य और शारीर परलोक) बलाश करें।' (प० जवाहर लाल नेहरू, मेरी कहानी, पृ० ८८१२)

भारत के इतिहास में यह एक ऐसी अद्भुत यात्रा है कि पुरोहितों की बण व्यवरपा के विरुद्ध समय समय पर यहे यहे

सुधारकों ने आवाज उठाई लेकिन यह व्यवस्था अटल रही। इतना ही नहीं उसकी जगह सैकड़ों हजारों जाति और उपजाति-विधाँ कायम हो गईं जिससे हिन्दुस्तानियों के जीवन का हर पहलू बात पाँत के शिकंजे में जकड़ दिया गया।

बौद्ध धर्म को लाजिये। बुद्ध भगवान् ने ब्रह्मणों की वर्ण-व्यवस्था का प्रचण्ड विरोध किया और बौद्ध लोग इस प्रथा के विरुद्ध सेरङ्गां वर्षों तक पड़े। लेकिन अन्त में वे हार मान कर चैठ गये। आजकल बौद्ध धर्म के केन्द्र नैपाल बरमा आदि में जाति-पाति और छूआ-छूत का रोग घुस गया है। बरमा में सात प्रकार के अध्युरय भाने जाते हैं—

१. मंदिरों और मठों में नौरोज़े करने वाले। इनके बाल-पन्चों को भी यही काम करना पड़ता है। और उन्हें राजा भी पाहे तो नौरोज़े से नहीं छुझा सकता।
२. पेरोवर भिखारी।
३. राजकर्मचारी, जेलर और पुलिस।
४. कोढ़ी अथवा अन्य असाध्य रोगी। इन लोगों को शहर के बाहर रखना जाता है।
५. अंगाहीन अथवा बिरुलाँग।
६. घावूत ( मुर्दा रखने का वक्स ) बनाने वाले अथवा कन्न खोदने वाले।
७. सूरक्षारी जमीन लोतने वाले सरकारी नौकर।

इन लोगों के विषय में कहा गया है कि अपने पूर्वोपार्जित कर्म के कारण ही ये इन भेदियों में जन्म लेते हैं। ये लोग पुंगी ( बौद्ध साधु ) नहीं यन सकते और न बौद्ध मठों में

अध्ययन के लिये प्रवेश पा सकते हैं। ( जे० एच० हटन, काट इन इन्हिया, पृ० १२४ इत्यादि ) ।

जैन धर्म ने भी अपने जमाने में कभी जाति के विरुद्ध विद्रोह मचाया था, लेकिन आज वह नाहिण धर्म का ही एक अंग बन चैठा है। आजकल जैनों के आचारों में भी उपनयन, प्रह पूजा, शान्ति स्तवन पूजा होम आदि प्रविष्ट हो गये हैं। जाति-उपजाति, संघ, गण और गच्छ आदि की संरक्षा तो हजारों तक पहुँच गई है। इन लोगों में दसा और बीसा है, जिनमें परस्पर खान-पान और विवाह-शादी विवर्जित है। यहाँ तक कि दोनों के मंदिर अलग हैं और दसा बीसाओं के मंदिर में प्रवेश नहीं पा सकते। दिगम्बर जैनों के गढ़ सहारनपुर के जैन मन्दिरों में अब भी कोई सीप के बटन लगाकर मंदिर में नहीं जा सकता। दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदाय के तीर्थों के मुगड़े तो लंदन की प्रियी कौसिल तक पहुँचे हैं। दक्षिण में पंचम, चण्डिक, छीपी, कसार, चण्डकर ( दुनने वाले ) और चतुर्थ जाति के जैन रहते हैं, लेकिन इनमें परस्पर खान पान और रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता। इनमें से कुछ जातियों में विधवा विवाह जायज माना गया है, अतएव उच वर्ण के जैन इन जातियों को नीच समझते हैं।

भागवत धर्म और महाप्रभु चैतन्य देव के धर्म में भी जातिभेद को रखान नहीं, लेकिन सामाजिक व्यवहार में जाति-भेद दूर नहीं हो सका। वैष्णव नाहिणों में यडगलाइ और तेनगलाइ नाम की शासायें प्रचलित हो गईं, और मस्तक पर तिलक लगाने के सवध में दोनों में परस्पर इतना फ़राहा हुआ कि अदालत की शरण लेनी पड़ी।

जाति पाँति और सम्प्रदाय का भेद भाव कैसे नष्ट हो १८१

इसी प्रकार कठोर, दाढ़ आदि सत पुरुषों ने जाति भेद पर कठोर आघात किया लेकिन आगे चल रहे कठोर सम्प्रदाय के ऊदापथियों ने आचार विचार को कठोरता पर अधिक से अधिक जोर दिया :

सिंहों के विषय में भी यही हुआ। उनमें निरंजनी निरंजारी सेवापथी, कृकापथी आदि अनेक श्रेणियाँ बन गईं। 'रामदासी' कहे जाने वाले मोची और जुलाहे सिख साधारण सिख समाज से भिन्न माने जाते हैं, तथा मेहतर आदि श्रेणी के सिंहों को मजहबी नाम से पुण्यारा जाता है।

बीर शैव सम्प्रदाय के प्रतिष्ठातक उसने जातिभेद का घारे विरोध किया, लेकिन इनके सम्प्रदाय में भी शुद्ध, मार्ग, मिश्र और अण्डेवे नामक चार वर्ग हो गये।

इसलाम में तो कभी जातिभेद या ही नहीं लेकिन यह भी अछूता न व वा। उनमें अराफ़ और अज़लफ़ नाम का श्रेणियाँ बन गई। उम्म श्रेणी के लागा का गणना अराफ़ों में और निश्च श्रेणी के लोगों का गणना अज़लफ़ का में को जातो है। तत्परतात् उनमें सैद्यद, शेख, पठान और मुगल नाम की श्रेणियाँ हैं। यद्यपि इन्हें जाति का नाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन इन लोगों में अल्लाह के साथ साय हिन्दू देवताओं की पूजा, उत्सव त्याहारों पर गाना स्नान, विद्यवा विवाह नियेध और गो-मास त्याग आदि हिन्दुओं के रीति-रिवाज प्रचलित हैं।

परिचयी भारत में अहमदनगर के आसपास हुसैनी माद्दार इसलाम को मानते हैं और उनके आचार विचार माद्दारों जैसे

हैं। ( जे० एन० भट्टाचार्य, हिन्दू फास्टूस एण्ड सेक्टूस, पृ० ११८)। जे० एच० हट्टन ने तुरक़िय वनजारा नामक मुसलमानों में घट्जिम, रिक्खी और शेरस नाम के गोत्रों के पाये जाने का दर्तलेख किया है। फास्ट इन इन्डिया, पृ० १०६)। मुसलमानों में घोइरा लोग अपने आपको इतना भेष्ठ समझते हैं कि यदि उनकी मसजिद में अन्य श्रेणी के मुसलमान नमाज पढ़े तो वे उस स्थान को घोकर शुद्ध करते हैं ( त्रिति मोइन सेन—भारतवर्ष में जाति भेद, पृ० १५५ ) सयुक्तप्रान्त के लालचेगी, चगाल के वेदिया और अबदाल, तथा तिपरा के पालकी उठानेवाले मुसलमानों की निम्न श्रेणी में गणना की जाती है। ( देखिये रिचली, पीपल आफ इन्डिया, पृ० ११८ )।

ईसाइयों में भी हिन्दुओं का जातिभेद पुस गया है। मद्रास सूचे में रपूश्य और अरपूश्य ईसाई मौजूद हैं, तथा सामिलनाड और मलायार आदि में उनमें हिन्दुओं की अपेक्षा कहीं अधिक जातिभेद की मान्यता पाई जाती है। दक्षिण के रोमन कैथोलिक ईसाइयों में ब्राह्मण, त्रित्रिय, शूद्र, कुम्हार आदि श्रेणियाँ मौजूद हैं। ( रिचली, पीपल, आॅफ इन्डिया, पृ० ७६८ ) प द्रहवें पोप प्रेगरी ने व्यवरथा दे दी थी कि भारतीय गिरजाघरों में जातिभेद माना जा सकता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जातपॉत की कठोरता को तोड़ने के लिये हमारे देश में अनेक आन्दोलन हुए, जिनसे समाज में खलबली पैदा हुई, लेकिन जटाँतक साधारण जनवा का सबध था, कोई विशेष अन्तर नहीं पढ़ा।

जाति पाँति और सम्प्रदाय का भेद-भाव कैसे नष्ट हो १८३

दरअसल बात यह हुई कि हिन्दुस्तान में २५०० वर्ष के प्राचीन धर्म के आधिपत्य ने भारत को कमर तोड़ दी, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय समाज में विशृंखल असमानता पैदा हो गई और उससे मनुष्य-भनुष्य में महान् अंतर हो गया, तथा देश और समाज में किरने। ही परिवर्तन होने पर भी जाति का धूधन अटल रहा। इससे भारतीय समाज में एक प्रकार की जड़ता आ गई, सकुचित मनोवृत्ति के कारण परस्पर संयुक्त होकर रहने की वृत्ति नष्ट हो गई, उद्यम शीलता न रही, तथा नूतन सर्वन की भावना कुंठित हो गई। नवीना यह हुआ कि बाप का पेशा अनायास ही लड़के का पेशा बन गया, और हरेक पेशा एक जाति समका जाने लगा, जिससे योरप के अन्य देशों की तरह भारत में एक रूपता पैदा न हो सकी।

शोधर केतकर ने हिन्दुओं के जाति भेद की मीमांसा करते हुए लिखा है—

‘हिन्दू धर्म राष्ट्रीयता की कोई भावना पैदा नहीं कर सका। हिन्दू लोग जाति के पश्चात् एकता पैदा करने के लिये एक ही धार का विचार कर सकते थे, वह थी मानवता की भावना। उन्होंने समस्त मानव समाज को बांध जूँ कर जाति के एक सूत्र में बद्ध कर दिया। यह जाति चार बर्णों में विभक्त की गई, और इसका आधिपत्य किया ब्राह्मणों ने।’ (एन एससे ऑन हिन्दू इज्म, पृ० १३४)।

इसीलिये हम देखते हैं कि समाज-सुधारकों का जाति-विरोधी प्रचार जहाँ जरा ढीला पढ़ा कि चस पर ग्रामणों का

अधिकार हो गया। दलित जातियों ने भी अपनी जाति को उच्च फहलाने के लोभ से ब्राह्मणी की प्रसुता स्वीकार कर उनके आचार-विचार को मानना कबूल किया। भारत की अनेक आदिम जातियों ने अपने रीति-रियाज छोड़कर हिन्दुओं के आचार-विचार प्राप्त किये। और उनके देवताओं को अपना देवता मानने लगे। अनेक ब्राह्मणेतर जातियों ने ब्राह्मणों को अपना पुरोहित स्वीकार किया, और उनके गोत्र और प्रवर को अपना गोत्र-प्रवर घोषित किया।

ऐसी हालत में, पुरोहित और शासक दोनों की सम्मिलित शोपण की चक्री में पिसता हुआ निम्न वर्ग यदि अपने सामाजिक और धार्मिक बंधन तोड़ने के लिये क्रान्ति न कर सका, तो इसमें क्या आश्चर्य है?

वस्तुतः स्मृतिकारों ने जो नियम-उपनियम शूद्र जाति के लिये बना दिये थे, वे आज तक करीब करीब उसी तरह चले आते हैं। प्राचीन स्मृतिप्रन्थों में जो शूद्र के लिये रक्ताङ्क छूट कर चलने का विधान था, वही विधान हम फाहियान के समय पाते हैं, वही हुञ्जन-सांग के समय, वही अलबेदनि के समय और वही पेशवाओं के राज्य काल में। उद्योग धर्यों के इस युग में भी कठिपय शहरों को छोड़कर हारिजनों की आज भी वही हालत है जो आज से २५०० वर्ष पहले थी।

सन् १६२० से पहले और उसके बाद भी वर्षों तक कांग्रेस अधिवेशनों के समय भोजन के लिये अलग-अलग पक्कियाँ लगती थीं। महाराष्ट्र में ब्राह्मणेतर एक पंक्ति में बैठ कर भोजन नहीं कर सकते थे। हरिजन और मुसलमान कार्य-

जाति पाति और सम्प्रदाय का भेद-भाव कैसे नष्ट हो १८५  
कर्गाओं को किसी भी पंक्ति में स्थान नहीं मिलता था। जेलों  
में भी नौ कनौजिये दस चूल्हों वाला हिसाब था।

मदुरा ज़िले के चिन्तामणि गाँव का अभी एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि वहाँ के कुछ उच्च वर्ग के हिन्दुओं ने हरिजनों को पत्थरों से मारा और उनकी मौपड़ियों में आग लगा दी। ( हिन्दू, मद्रास, १८ मार्च १९४८ ) ।

बम्बई प्रान्त के गुहमंत्री श्री मोरार जी देसाई ने बम्बई एसेंबली में भाषण देते हुए अभी बताया था कि गुजरात के कुछ गाँवों में बेगार न करने के कारण हरिजनों को कष्ट दिये जाते हैं। तथा केरा ज़िले की किसी हरिजन औरत को पेड़ से बांध कर मारा गया, और उसके दोठों को आग से जला दिया गया। कहते हैं कि यह औरत जादूगरनी थी। ( वही, ३ अप्रैल, १९४८ )

राजपूताना आदि प्रदेशों में ठाकुरों के सिवाय अन्य जाति के लोग घोड़े की सवारी नहीं कर सकते, और विवाह आदि के अवसरों पर भी हरिजनों के घर मिठान नहीं बनाया जा सकता। बरमा के बहुत से हिन्दू तो वहाँ की मिलियों से विवाह करके जातिच्युत होने के भय से उन्हें हिन्दु-स्तान लेकर नहीं आते, और जब वे अपने देश को वापिस लौटते हैं तो अपनी स्त्री और सन्तान को जबर्दस्ती मुसलमान या ईसाई घन जाने की इच्छाजर दे देते हैं ?

दर-असत धर्म और जात-पाँत भारतीय जीवन के आरंभ से ही मुख्य अंग थे। राजपूतों के जमाने में इम देखते हैं युद्ध करते समय उनके सामने गाय लाकर यहाँ फर देने से

या उनके चीजें में घुस जाने से उनका ईमान धर्म नष्ट हो जाता था और उन्हें युद्ध में हार माननी पड़ती थी। सन् १८५७ के विद्रोह का सातकालिक फारण धरयी फारतूस थे, जिन्हें शुंद से फाटने के फारण हिन्दू और मुसलमानों को धर्म भ्रष्ट हो जाने का भय था। गोआ में हिन्दुओं को धर्म भ्रष्ट करने के लिये कुछों में गो मांस का टुकड़ा और दक्षिण में पाथ रोटी के जूठे टुकड़े दाल देना पाक्ती था। सिद्धपुर के हिन्दू इसी युक्ति से रोजा घनाये गये थे। इसी प्रकार समुद्र-चान्द्र, विष्वा विष्वाह आदि फारणों से अनेक हिन्दू जाति से च्युत हो जाते थे।

आज भी हमें अपने रोनमर्रा के लीबन में चारों तरफ जाति और सम्प्रदाय की दीवारें खड़ी हुई हिन्दूगोचर होती हैं। धर्मवैद जैसे शहर में मकान ढूँढने निकलिये। ब्राह्मण वाड़ी में ब्राह्मणों को ही जगह मिल सकती है तथा पारसी चालों में पारसी, मुसलमान चालों में मुसलमान, और जैन चालों में जैन लोग ही रह सकते हैं। पाटण चिल्डिंग में पाटण के जैनों के लिये ही स्थान है, और अम्रवाल नगर में केवल अम्रवालों के लिये। यही भेदभाव शिवण सरथाओं में देखने में आता है। योजा मुसलिम रक्खन, दयानन्द एंग्लो इंडियन रक्कल, सनातन धर्म कालेज, सालसा कालेज, इस्लामिया कालेज दिग्म्बर जैन योहिंग रक्क्ष, सट पगनेसरक्खन आदि की हिन्दू-स्वान भर में भरमार है। छात्रवृत्तियों के संबंध में यही बात है। भिन्न भिन्न जातियाँ अपनी अपनी जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देते हैं, उच्च शिक्षा के लिये उन्हें योरप आदि भेजते हैं, और किर उन्हें दी हुई छात्र लौटाने को धार्य करते हैं जिससे जाति और सम्प्रदाय की जड़ और मजबूत हो जाती है।

होटल, रेस्टोराँ, सोसायटी, क्लब जिमखाना आदि का भी यही शाल है। घंवई, कलकत्ता आदि शहरों में घुरुत से होटल और क्लब आदि ऐसे हैं जहाँ केवल योरोपियन, या केवल पारसी आदि ही प्रवेश पा सकते हैं। घम्यई के हिन्दू स्वर्गिग थाय और हिन्दू जिमखाना में श्री अद्युत कलाम आजाद और रफी अहमद किदवाई को स्थान नहीं मिल सकता। गुजराती और मारवाड़ीयों के अस्पताल में अन्य जाति के लोग भरती नहीं किये जा सकते। घर्वई के हर किसनदास अस्पताल में अभी एक भरणासन महाराष्ट्री महिला का इलाज करने से इसलिये मना कर दिया गया कि वह गुजराती नहीं थी! अभी की बात है कि घनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में किसी कायस्थ प्रोफेसर की लड़की को पंढिरों ने वेद पढ़ाने से इन्कार कर दिया था! घंगजौर की साइस इन्स्टियुट में भी कुछ घर्प पहले भोजन आदि के सबध में उश और नीच वर्ण के विद्यार्थियों में फ़ादा हो गया था।

सरकारी नौकरियों के प्रार्थना-पत्रों में अभी तक धर्म, जाति उपजाति आदि के खाने बने हुए हैं। फोर्ट, कचहरी और पुलिस के थाने में अभी तक अपनी जाति लिखाना लाजिमी होता है। स्टेशनों पर हिन्दू पानी, मुसलिम पानी और हिन्दू चाय, मुसलिम चाय में भी इसी जाति और सम्प्रदाय की गंध आती है। सार्वजनिक चुनावों तक में लोग अपनी जाति और धर्मवालों को मर देते पाये जाते हैं!

अभी कुछ दिन हुए। दरभंगा के मोहिउद्दीन नगर गांव में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव के भौके पर इस बात पर मगाइा चढ़ गया कि कुछ कामेसी चाहते थे कि कामेस के हमीदवार

ऊँची जाति के ही हों। इसमें १२ आदमियों की जान गर्द और ५० से ज्यादा लोग जखमी हुए। ( टाइम ऑफ इन्डिया २६ जून १९४६ )। अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस फ्रेटी के मन्त्री श्री शकर राव देव ने मद्रास के मन्त्री मण्डल के कारनामों की जाँच करते हुए घताया है कि दक्षिण में सम्प्रदायवाद के विप ने नागरिक और राजनीतिक जीवन को दूषित कर दिया है। —

बवई का दैनिक मुवई समाचार छठा कर देखिये। मरने के बाद भी जाति पीछा नहीं छोड़ती। उसमें दशा श्री माली जैन मरण, दशा भोट वणिक मरण, कच्छी लोहाणा मरण घोघारी लोहाणा मरण, कपोल मरण, पारसी मरण, के शार्पकों के नीचे भिन्न भिन्न जाति उपजातियों के भूत व्यक्तियों की नामावलि ही रहती है।

विवाह शादी तो इस देश में लाजिमी तौर से अपनी ही जाति में करना पड़ता है। तथा वर की तलाश अभी तक चास्को ही गामा की भारत यात्रा से भी कठिन समझा जाता है। यही मेहनत मशक्कत के बाद यदि योग्य वर मिल भी नाय तो वह सगोन न होना चाहिये, तथा दोनों की जन्म कुहली मिलनी चाहिये। आवश्यक पचड़ों के कारण न जाने किनने युवक और युवतियों का जीवन बरबाद हो जाता है। हिन्दू स्तान में कितनी ही उपजातियाँ तो इतनी कम सख्त्या में हैं कि उन्हें अपनी जाति में विवाह करने के लिये पर्याप्त सरया लड़के या लड़कियाँ नहीं मिलते। यदि विवाह में जाति बद्धन की सायता को खत्म कर दिया जाय तो जाति पाँति बहुत हद तक नष्ट हो सकती है।

दर असल जाति और सम्प्रदायवाद की समस्या आज-कल को हिन्दुस्तान की एक जटिल समस्याओं में से है जिसे अप पुराने ढग से हल नहीं किया जा सकता। भारतीय प्राचीन स्त्रृति के स्थर्ण-युग या राम राज्य की ओर दौड़ने से अब काम न चलेगा। देखा जाय तो उन दिनों कुछ मुहीं भर लोगों को छोड़कर अधिकाश जनता थड़े कष्ट में थी, अब उस का तो उस समय पर अभाव या उसुधारवादी एकता और समानता के आध्यात्मिक उपदेशों से भी हमारे देश की समस्या कदापि हल नहीं हो सकती।

इसके लिये हमें अपने देश में अधिक से अधिक सख्ता में उद्योग धर्घों को स्थान देकर अपनी भौतिक उन्नति को बढ़ाना होगा, जिससे वहुजन समाज की सारकृतिक और आध्यात्मिक प्रगति अत्यन्त सुगम हो जायेगी। अप उन पुराने उपदेशों का कोई अर्थ नहीं रहा कि धनवान लोग दान पुण्य करते रहें, और गरीब लोग जिस हालत में हूँ उसी में सतुष्ट रहें और उसके लिये ईश्वर को धन्यवाद दें, मित व्ययी बने और भले आदमियों की तरह रहें। इस युग में तो यह उपदेश देना चाहिये कि हर औरत और मर्द ने हक है कि वह जिन्दा रहे, मेहनत करे और अपनी मेहनत के फलों का उपभोग करे। इस समन्ध में प० जवाहर लाल नेहरू ने अपनी 'मेरी कहानी' (प० ८६७) में जो लिखा है वह चल्लेखनीय है—

'गाँधी जी लोगों का आन्तरिक, नैतिक और आध्यात्मिक सुधार चाहते हैं और इस प्रकार सारी वाणि परिस्थिति को ही बदल देना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि लोग बुरी आदत

छोड़ दे, इन्द्रियों के भोगों को तिलांजलि दे दें और पवित्र वन जाँप। यह इस बात पर जोर देते हैं कि लोग प्रह्लादर्थ से रहें, नशा न करें, न सिगरेट चांगौरा पीवें। इस मामले में लोगों में मतभेद हो सकता है कि इन लोगों में से कौन सा ज्यादा बुरा है और कौन सा कम। लेकिन क्या इस बात में किसी फो शक हो सकता है कि ये व्यक्तिगत त्रुटियों व्यक्तिगत दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से तो और भी कम हानिकारक हैं—घनिस्वत लालच, खुद गर्जी, परिप्रह, चारी कायदे के लिये व्यक्तियों के भयानक लडाई-फगड़े, जमातों और फ़िरकों के क्रूर सधर्प, एक जमाव द्वारा दूसरी जमाव के अमानुषिक शोपण और दमन व राष्ट्रों की आपस की भयानक लडाईयों के ? यह सच है कि गांधी जी इन तमाम हिंसा और पतनकारी सधर्प से नकरत करते हैं। लेकिन क्या वे सब बातें आजकल के स्वार्थी पूँजीपति समाज में स्वाभाविक रूप में मौजूद नहीं हैं, जिसका कानून यह है कि बल्बान लोगों को कमज़ोरों का खून चूसना चाहिए, और पुराने ज़माने की तरह जिसका मूल मन्त्र यह है कि ‘जिनके बाजुओं में ताकत है वे जो चाहें सो ले लें, और जो रख सकते हैं वे जो चाहें अपने आप रखें !’

इस समय हमारे देश की सबसे महान् समस्या है आर्थिक समस्या और यह समस्या तभा हल हो सकती है जबकि हम अपनी मुख्य शक्ति कृषि-सबधी वर्तमान व्यवस्या में आमूल परिवर्तन कर देश में उद्योग घर्धों का प्रसार करें। देश में जगह-जगह सामूहिक आदि सहयोगी कृषि शणाली जारी करके ही योड़े परिश्रम से ज्यादा पैदावार बढ़ाई जा सकती है और उसी समय हमारे देश की बढ़ती

हुई भयंकर दरिद्रता कम हो सकती है। सामूहिक सम्पत्ति और सामूहिक श्रम द्वारा ही जनता एकता की ओर आपसर हो सकती है। जब भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के भमजीवी एक होकर संघर्ष करेंगे, और सब राष्ट्रों को घरावर मान कर आत्म-निर्णय का अधिकार दिया जायगा, उसी समय सम लोग एक परिवार की भाँति एक साथ मिल कर रह सकते हैं और उसी समय जाति और सम्प्रदायवाद की समस्या हल हो सकती है।

बाल्तव में वर्ण, जाति अथवा सम्प्रदाय की कल्पना संसार के आदि काल से चली आने वाली शाश्वत कल्पना नहीं। यह पूँजीवादी भमाज की उपज है। इसलिये इस आनंदोलन का भाग्य पूँजीवादियों के भाग्य से जुड़ा है।

जब तक पूँजी का राज्य कायम है, जब तक उत्तरादन के साधनों पर व्यक्ति का अधिकार है, और उन साधनों पर अधिकार करने के लिये जनता में फूट होती है, ऐमनस्य की घृद्धि होती है मेरे तेरे मन की भावना जोर पकड़ती है, मुनाफे की भावना से संघर्ष होता है और फिर लूट खसोट की वृत्तियाँ अपना काम करने लगती हैं, तब तक अम जीवियों के मित्रता पूर्ण सहयोग के अभाव में जाति और सम्प्रदाय की समस्या हल नहीं हो सकती। इसके लिये आवश्यक है कि अम-जीवियों में अन्तर-राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित और उनमें परस्पर भाई चारे का संबन्ध बढ़े।

हिन्दुस्तान को जाति-पाँति और सम्प्रदायिक भगाड़ों से मुक्त करने के लिये एक सम्पूर्ण जन-तांत्रिक कार्यक्रम बनाने

की आवश्यकता है, जिसके अनुसार यिना किसी जाति अथवा साम्प्रदायिक भेद भाव के प्रत्येक भारतीय को नागरिकता के समान अधिकार दिये जाये, दूर व्यक्ति को भर देने का हक हो ?

दूर भनुप्य नि शुल्ष अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सके भाषण, सभा प्रेस आदि की स्वतंत्रता रहे तथा व्यक्तिगत धर्म पालन करने की आजादी दी जाय। जनता के सहयोग और उसके शिक्षण से ही यह कार्य सम्पन्न हो सकता है।

॥ समाप्त ॥

## संदायक पुस्तकों की सूची

Story of Civilisation, vol 1, Will Durant,

New York, 1935

मानव समाजः राहुल सांकृत्यायन, इलाहाबाद १९४६.  
समाज का विकास, लियान्तिएव, अनुवादक ओम-

प्रकाश संगल, बम्यई, १९४३.

Ancient Society: Morgan

Origin and Growth of India N. P. Dutt, Calcutta

1931

ज्ञातिभेदः गिरिजाकुमार घोष, बॉकीपुर १९२०

The Social organisation In North East India  
in Buddha's time. Fick Richard,

Calcutta, 1932

The Menace of Hindu Imperialism,

Swami Dharm Theerthaji

Maharaj, Lahore, 1941

Caste and Race In India Dr. G S Ghurye

London 1932

Social History of India R. G. Bhandarkar

Indian Antiquary Jan. 1911 हॉ. डी. आर.

भद्रारकर का लेख

Life in the Gupta Age R. N. Salgotra,

Bombay, 1943

History of Mediaeval Hindu India, vol. I.,

C V. Vaidya, Poona 1921

हिन्दू जाति का सत्यान और पतन. रजनीकात शाळी  
इलाहाबाद, १९४७

*Life in Ancient India as depicted in  
the Jain Canons Jagdish Chandra Jain,  
Bombay, 1947*

*Influence of Islam on Indian culture*

Dr. Jyarachand Allahabad, 1946

अलबेरुनि का भारत अनुवादक संस्कारम  
आद्वाने अक्षयरी. फ्रांसिस ग्लैडविन का अप्रेजी अनुवाद  
कथीर, प० हजारीप्रसाद द्विवेदी, बम्बई,

*Modern Buddhism and its followers in Orissa*

N N. Vasu, Calcutta 1911

शिवा जी यदुनाथ सरकार, बम्बई, १९४०

*Annihilation of caste Dr. B R Ambedkar*

भारत में अप्रेजी राज ३ भाग पड़ित सुन्दर लाल,  
इलाहाबाद १९४८

आज का भारत १-४ भाग रजनी पाम दा०, अनुवादक

डा० रामचिलास शर्मा, बम्बई, १९४७

*Modern India and the West O Malley*

Oxford University Press, 1941

*Civilisation in Ancient India vols I & II*

R C. Dutt London 1893

*History of Hindu Civilisation during*

*British Rule, vols I II and III*

Pramathnath Bose Calcutta 1894

हिन्दू मुसलिम समस्या डाक्टर बेनीप्रसाद,

इलाहाबाद, १९४३

मेरी कहानी प० जवाहर लाल नेहरू, दिल्ली, १९५६

हिन्दुसत्तान की कहानीः पं० जवाहर लाल नेहरू, दिल्ली,  
१९४७

Rise and the growth of the Congress

C. F. Andrews and Girija Mukerji,

London 1938

Renaissance India H. C. Eschaer

London 1933

Articles on India: Karl Marx Bombay 1945

जनयुग, साप्ताहिक, घम्बर १

नया हिन्द, मासिक, इलाहाबाद

नाची ट्रेक्निक अथवा आर० एम० एस गोविन्दसहाय

लखनऊ, स० २००४

दिल्ली-डायरी: नवजीवन प्रकाशन मन्दिर,

अहमदाबाद, १९४८

राष्ट्रीय स्वय सेवक संघ क्या है ? नवीन नारायण

आगरा, आगरा १९४८

Depressed classes Dr. Mohendra Singh, Bombay

Caste in India: J. H. Hutton, London, 1946

भारतवर्ष में जाति-भेद: चिति मोहन सेन, कलकत्ता

१९४०

Caste and out caste, J. E. Sanjana,

Bombay, 1956

Modern India and the West;

O' Malley, Oxford University Press 1941

Hindu caste and Sects

J. N. Bhattacharya, Calcutta 1896

जातियों का प्रश्न और मार्क्सवाद: सतालिन,

घम्बर १९४७